C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.XIV, Sixth Session, 2015/1937 (Saka)
No. 12, Friday, December 11, 2015/Agrahayana 20, 1937 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Fourteenth Anniversary of Terrorist attack on Parliament House on 13th December, 2001	8
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.181 to 186	11-57
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 187 to 200	
Unstarred Question Nos.2071 to 2141 and 2143 to 2300	152-699

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 700-714

LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 715

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
24th Report 716

BUSINESS OF THE HOUSE 717-720, 723

COMMITTEE ON PETITIONS
9th and 10th Reports 721

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
12th Report 721

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs 722

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 74th Report of the Standing Committee on Finance on 'Economic impact of revision of natural gas price', pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance
Shri Arun Jaitley 722

(ii) Status of implementaiton of the recommendations in 8th Report of the Standing Committee on Information and Technology on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting
Col. Rajyavardhan Rathore 722

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2015-16 724

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 2012-13 724

OBSERVATION BY THE SPEAKER 725

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS (AMENDMENT) SECOND ORDINANCE , 2015
AND
NEGOTIABLE INSTRUMENTS (AMENDMENT) BILL, 2015 730-732

Clauses 4 and 5 730-731

Amendments – agreed to 732

SUGAR CESS (AMENDMENT) BILL, 2015 751

DISCUSSION UNDER RULE 193
Drought situation in various parts of the country 752-822

Shri Nana Patole 752-754

Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi 755-757

Shri Ram Tahal Choudhary 758

Shri Sushil Kumar Singh 759-760

Shri Om Birla 761-764

Shri D.K. Suresh 765-768

Shri R. Dhruvanarayana 769-771

Shri Rakesh Singh 772-774

Dr. Heena Vijaykumar Gavit 775-777

Shrimati Jayshreeben Patel 778-780

Dr. Ratna De (Nag) 781-783

Shri Virender Kashyap 784

Shri P.P. Chaudhary 785-787

Shri Bhanu Pratap Singh Verma	788
Shri B. Vinod Kumar	789-791
Shri Sunil Kumar Singh	792-794
Shri Keshav Prasad Maurya	795
Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad	796
Shri Gajendra Singh Shekhawat	797-798
Kunwar Pushpender Singh Chandel	799-800
Shri Sharad Tripathi	801-802
Shri Radha Mohan Singh	803-818 821-822

MOTION RE: 16TH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS 823

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i)Immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir 824-879

Shri Bhartruhari Mahtab	824-835
Shri Hukmdeo Narayan Yadav	836-839
Prof. Saugata Roy	840-844
Dr. Satya Pal Singh	845-848
Shrimati Anju Bala	849-851
Shri Jagdambika Pal	852-855
Shri Rajesh Ranjan	856-858
Shri Gopal Shetty	859-860
Shri P.P. Chaudhary	861-862
Shri Varaprasad Rao Velagapalli	863-865
Shri Bhairon Prasad Mishra	866-867
Shri Haribhai Chaudhary	868-871
Shri Nishikant Dubey	872-878
Motion – Adopted	879

(ii)Steps to ensure welfare of employees provident fund pensioners 880-881

Shri N.K. Premachandran 880-881

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 882

Member-wise Index to Unstarred Questions 883-888

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 889

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 890-891

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 11, 2015/Agrahayana 20, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER
Fourteenth Anniversary of Terrorist attack on Parliament House on 13th December, 2001

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अत्यंत वेदना के साथ हम उस दुःखद घटना का स्मरण करते हैं जब 13 दिसम्बर, 2001 को हमारी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के गौरव, भारत की संसद को एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का निशाना बनाया गया था।

इस कायरतापूर्ण हमले को संसद परिसर की रक्षा में ड्यूटी पर तैनात हमारे सतर्क एवं बहादुर सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया था। दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मी सर्वश्री नानक चंद, रामपाल, ओमप्रकाश, बिजेन्द्र सिंह और घनश्याम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल श्रीमती कमलेश कुमारी और संसद सुरक्षा सेवा के दो सुरक्षा सहायक श्री जगदीश प्रसाद यादव और श्री मातबर सिंह नेगी इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए शहीद हो गए थे। इस आतंकवादी हमले में एक कार्मिक श्री देशराज भी शहीद हो गए थे।

यह सभा उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने 13 दिसम्बर, 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सभा उनके परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता भी प्रदर्शित करती है।

इस अवसर पर, आइए हम आतंकवाद के इस वीभत्स कुचक्र से निपटने के लिए नए सिरे से प्रयास करने के अपने संकल्प को दोहराएं और हमारी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी वचनबद्धता को पुनः दृढ़ता से व्यक्त करें।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

11.03 hours

The Members then stood in silence for short while.

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from S/ Shri Bhartruhari Mahtab, Jai Prakash Narayan Yadav, Prof. Saugata Roy and P. Karunakaran on different issues.

The matters though important enough do not warrant interruption of business of the day. The matter can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed the notices of Adjournment Motion.

माननीय सुषमा जी का पत्र मुझे मिला है, सौगत राय जी आपके विषय पर सोमवार को वे अपना स्टेटमेंट सदन में देने वाली हैं।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : अध्यक्ष महोदया, सदन को अभी तक इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): अध्यक्ष जी, मंत्री महोदया से आज बातचीत हुई है और वे सदन में स्टेटमेंट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनका इस विषय में पत्र आया है और उन्होंने आग्रह किया है कि सोमवार को 11 बजे राज्य सभा में और दोपहर को 2 बजे लोक सभा में वक्तव्य देंगी। इस चर्चा में माननीय सांसद भाग भी ले सकते हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I have given notice of Adjournment Motion on a different issue.

माननीय अध्यक्ष : आपने अपना विषय जीरो ऑवर में उठा लिया था। मैंने यह निर्णय दे दिया है कि आप अपना विषय किसी दूसरे मोड में उठा सकते हैं, उसके लिए एडजार्नमेंट मोशन की आवश्यकता नहीं है। आपने पोलावरम के विषय में एडजार्नमेंट मोशन के लिए कहा है।

…(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : The whole State is agitating.

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूं लेकिन मैंने आपको एक बार बोलने का मौका दिया था, दूसरी बार आप किसी दूसरे मद में इस विषय को उठा सकते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लेकिन उस विषय को मैंने एक बार उठाने का समय दिया था।

श्री भर्तृहरि महताब: वह समय तो हंगामे में ही चला गया था। We were expecting an answer from the Government.

माननीय अध्यक्ष : मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने डिसएलाऊ किया है।

श्री भर्तृहरि महताब : मेरा कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी आपके पास पड़ा हुआ है । आज भी यह ज़ीरो आवर में लगा है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने उसके लिए किसी को मना नहीं किया है। मैंने एडजर्नमेंट मोशन की बात कही, बाकी सबकी सारी बातें मैं क्वेश्चन आवर के बाद जरूर सुनूँगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री खड़गे जी रोज़-रोज ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वही विषय रोज़-रोज मत उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आज फिर पेपर में आया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं, पेपर की बात रोज़ न करें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Question Hour.

Q. No. 181 – Shri P. Nagarajan.

11.06 hours

(*At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

<u>11.07 hours</u>

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 181 – Shri P. Nagarajan

(Q. 181)

SHRI P. NAGARAJAN: Madam Speaker, the nationalised banks are burdened heavily with rising bad loans. The gross NPAs of PSBs are more than Rs. 2,50,000 crore. It is high time for Government to act seriously and expedite the recovery process. Government should not tolerate these financial frauds any more as they cause huge dent to people's money deposited in the banks. … (*Interruptions*)

I would like to convey in this august House a very important request from our hon. Chief Minister *Puratchi Thalaivi Amma* to the hon. Prime Minister. Madam, everyone knows about the magnitude of damages to people and their property and belongings caused by the extremely heavy torrential rains in Tamil Nadu. In Amma's letter to the hon. Prime Minister, our hon. Chief Minister, *Puratchi Thalaivi Amma* has urged the Government to defer and alter the repayment modes of the bank loan dues of the flood ravaged people and give them ample time to recover from the colossal damages. Our Amma has also requested that the Government should extend personal loans up to Rs. 5 lakh for the people to repair and restore back their damaged vehicles, refrigerators, televisions, air-conditioners, kitchen appliances, computers, text-books, note-books and educational materials of students immediately. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You ask the question please.

SHRI P. NAGARAJAN: Yes, Madam. It is a relevant question. Also, the Government should provide loans for the poor and the down-trodden people with Jan Dhan accounts based on the special certificates provided by the State Government. … (*Interruptions*)

My question to the hon. Minister is this. What are the steps taken by the Government to book and bring those prominent defaulters and to attach their assets, properties along with their group and associate companies in the ambit of

fraud and prevent them from getting further loans from elsewhere? … (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA: The Government is fully cognizant of the challenging situations posed by the rising NPAs that our public sector banks and our private banks are dealing with right now. We have taken swift action on multiple dimensions to deal with this problem. We start, first of all, by making sure that we have a good understanding of the size and scope of the problem and working with the RBI, we have put in place very precise definitions of which loans and which borrowers should be classified as being stressed *versus* which of them should be classified as non-performing. … (*Interruptions*)

As far as non-performing loans are concerned, even among non-performing loans, we have a strong and very precise gradation of the various kinds of loans. Once it is defined that these, in fact, are non-performing loans, we have set a whole series of steps in motion so that we can recover these loans and the banks can appropriately provision for them. … (*Interruptions*)

As far as the steps taken are concerned, we have created a joint lending forum, we have created a repository of data, the credit repository of large loans that are outstanding, for which the RBI then looks at it across the system. In addition to that, corrective action plans are put together by the joint lending forum to hasten the recovery process. If borrowers turn to be non-cooperative, then there is a series of remedies that are possible. If then, they turn out to be wilful defaulters, then even stronger provisions are possible. We can take criminal action, we can debar them from taking fresh loans and we can also force change in management and then, finally, we have the ability through strategic debt restructuring to take over 51 per cent equity in that particular that is not cooperating with the banking system. … (*Interruptions*)

So, along with what the banks can do, the Government has also undertaken a series of policy measures in various industries which are facing stresses so that whether it is the steel industry, the sugar industry or the textile industry, the

industry level actions that are necessary to take to relieve stress for those industries and for the banking sector have also been undertaken. So, with that, we believe that we have taken a comprehensive multi-dimensional approach towards dealing with the non-performing loan problem. … (*Interruptions*)

Madam Speaker, as you also know, we have said that we want to introduce a bankruptcy code as well that will enable the workouts and resolutions of these non-performing loans to happen even faster along with the Debt Recovery Tribunals, the Lok Adalats and the SARFAESI Act that we already have in place right now. … (*Interruptions*)

SHRI P. NAGARAJAN: Madam, the nation-wide credit reporting companies sell information to creditors and other businesses that use it to evaluate applications for home loan, car loan, credit card, personal loans, etc. … (*Interruptions*) Some credit bureau names are CIBIL, Equifax, Experian. … (*Interruptions*) While the common man is suffering a lot, the big business houses are getting loans easily.

Madam, my second supplementary to the Minister is this. … (*Interruptions*) The Minister has stated that the *modus operandi* of such credit companies is to get personal details of consumers without their consent. … (*Interruptions*) Is there any legal sanctity for such companies operating in the country? … (*Interruptions*) Are the banks following the same yardstick for big companies while disbursing loan? … (*Interruptions*)

Further, as regards our Chief Minister's request to the Prime Minister for relief, we are expecting an answer from the Minister. … (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA : Madam, with respect to the credit bureaus, they are regulated by the Reserve Bank of India. … (*Interruptions*) The collection of data on credit histories is done according to some strict guidelines that have been laid down. … (*Interruptions*) There are very strict confidentiality and privacy safeguards in place as well and these apply equally for small borrowers that are consumers and small businesses as they are with large borrowers as well. … (*Interruptions*)

As I have said, as far as large borrowers are concerned, there is a system-wide repository of large credit that has been undertaken by corporate borrowers, which is monitored by the Reserve Bank of India to ensure that, in fact, if there is a default by a large borrower, then that information is transmitted across the joint lending forum and across to the other banks that are lending to that large borrower. … (*Interruptions*) Similarly, when we talk about borrowers, which are consumers who are small borrowers, the credit bureaus play a very invaluable role of an information utility to be able to make credit histories available to various lending agencies so that they can understand how to price certain loans or how to stay away from people who have not been able to service their loans adequately in the past. … (*Interruptions*)

These safeguards are in place and I can assure all the hon. Members that the Government is working closely with all financial institutions and regulators to ensure that the credit information standards and all these guidelines are fully followed. … (*Interruptions*)

Madam Speaker, the hon. Member also asked about relief in Chennai. … (*Interruptions*) As you know that is done through the Home Ministry. … (*Interruptions*) There is a full and comprehensive process underway there as well through the State Disaster Relief Funds as well as through the National Disaster Relief Funds. … (*Interruptions*) The hon. Prime Minister visited Chennai and already announced some relief. … (*Interruptions*)

As far as financial institutions are concerned, in the Department of Financial Service, we have issued a series of notifications as far as insurance companies are concerned and as far as banks are concerned to ensure that services are available without any interruptions and very quickly to borrowers and people who are servicing their loans in Chennai and other affected areas. … (*Interruptions*) We have also instructed all insurance companies to process claims as speedily as possible. … (*Interruptions*)

SHRI ANIL SHIROLE: Madam Speaker, I want to know about disciplinary action taken against the conniving officers. … (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA : Madam Speaker, the hon. Member asks a very relevant question about connivance and what is happening with respect to bank officials. … (*Interruptions*) I would just like to give him some data. … (*Interruptions*) As of now, the total NPAs across the entire banking system for scheduled commercial banks are Rs. 3.47 lakh crore. … (*Interruptions*) Of these, willful defaulters are amounting to Rs. 64,335 crore, that is, 7,265 borrowers over Rs. 25 lakh are classified as willful defaults; and of those 7,265 cases, we have identified 115 cases where there is clear evidence of connivance with bank officials and with those all necessary enforcement and investigative actions are underway. … (*Interruptions*)

श्री बलभद्र माझी: मैडम, यह देखा गया है कि कारपोरेट्स को जो लोन दिया जाता है, अगर उसमें बैंकरप्सी हो गई तो उस कम्पनी के खिलाफ लाइफटाइम में दो बार सी.डी.आर. करने का प्रावधान है। अगर दो बार सी.डी.आर. के बाद भी कम्पनी पेमेंट रीपे नहीं कर पाती है तो सरकार क्या एक्शन लेती है?...(व्यवधान) उनकी जितनी प्रापर्टी बची होती है, हो सकता है उसे बेचने या ऑक्शन करने पर उतना पैसा न मिल पाए, जितना उन्होंने ऋण ले रखा होता है इसलिए सरकार ऐसे मामलों में क्या एक्शन लेती है?

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, हम कोई इंडीविजुअल केस के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि यह बैंकिंग कांफिडेंशिएलिटी के कानूनों के विरूद्ध है।...(व्यवधान) हम लोग जनरली यह करते हैं कि हर परिस्थिति को देखकर, हर बैंक को निर्णय लेना पड़ता है कि सी.डी.आर. के साथ क्या किया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस साइड में सदस्य चेयर की तरफ पीठ करके बातचीत क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री जयंत सिन्हा: अगर बैंक को भरोसा नहीं होता है कि जो लोन ले रहे हैं, वे वापस दे सकते हैं, ब्याज भर सकते हैं, तो फिर बैंक स्वतंत्र है यह निर्णय लेने में कि आगे उसे लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। ...(व्यवधान) इसलिए हर केस को, हर बॉरोअर को देखना पड़ता है। आर.बी.आई. के कई नियम बने हुए हैं,

उनके अनुसार हर बैंक स्वतंत्र है कि वह निर्णय ले कि हर बॉरोअर के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए।

HON. SPEAKER: Shri Badaruddoza Khan, please ask a short supplementary question.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: Hon. Speaker, Madam, I am drawing your attention to a very serious question. The hon. Minister just now mentioned that they are taking serious action in all such cases. However, I want to give you only one example. According to sources in the Finance Ministry, in December, 2013, when the UPA Government was there, and according to a news item in *The Times of India*, dated 17/07/2014, Kingfisher Airlines' loan default was Rs. 4,022 crore. According to today's *The Hindu*, the same Kingfisher Airlines has been allowed to get a loan of Rs. 900 crore from IDBI. How have they got such huge loans? All this has happened not in the era of this Government, but it has happened during times when the UPA was there.

This Government has announced the Swachh Bharat Abhiyan. How can India remain '*swachh*' without eradicating such things? My question is, why this Government is giving relaxation to such persons. Why is it not taking serious action?

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, all relevant actions are being undertaken. All the investigations are underway in all such cases.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या- 182।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया - उपस्थित नहीं
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे - उपस्थित नहीं

श्री कामाख्या प्रसाद तासा

(Q.182)

श्री कामाख्या प्रसाद तासा : अध्यक्ष महोदया, मैंने मंत्री जी का उत्तर पढ़ा है। असम के मुख्य मंत्री ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल हैं। असम पिछड़ा हुआ राज्य है। नीति आयोग के दायरे में क्या कभी असम के मुख्य मंत्री ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है? अगर उन्होंने भाग लिया है तो उन्होंने वहां क्या कहा है? असम के मुख्य मंत्री प्रदेश में नीति आयोग के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं। नीति आयोग में उनका पार्टिसिपेशन क्या है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

राव इंद्रजीत सिंह : मैडम, नीति आयोग के अंदर सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्री सदस्य हैं। उसमें तीन सब-ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, उनमें विभिन्न मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है और एक मुख्य मंत्री की संयोजकता के अंदर ये सब-ग्रुप्स काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स आते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है, नहीं तो उनके राज्य की तरफ से कोई न कोई व्यक्ति आता है और उसकी सलाह चीफ मिनिस्टर की तरफ से दी जाती है। इन सब चीफ मिनिस्टर्स को सुनने के उपरांत सब-ग्रुप्स अपना मन बनाते हैं, फैसला बनाते हैं और नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी को ये अपना सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इस मीटिंग के अंदर असम के चीफ मिनिस्टर आए या नहीं आए, इस समय जानकारी नहीं है, मैं माननीय सदस्य को बाद में वह दे दूंगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स जो कि पहले प्लानिंग कमीशन और अब नीति आयोग के माध्यम से चलती हैं। राज्य सरकार के हर विभाग की सेन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स को देखने के लिए एक विजिलेंस और मॉनीटरिंग कमेटी बनी हुई है। वह इस समय केवल ग्रामीण योजनाओं में ही है, बाकी किसी भी योजना में नहीं है। पिछले डेढ़ साल से न ही तो यह अर्बन डेवलपमेंट में है, न ही नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में है, रूरल हेल्थ मिशन में नहीं है, न नेशनल हेल्थ मिशन में नहीं है, किसी में भी नहीं है। इसमें 12-13 स्कीम्स हैं, इनको इम्पलीमेंट करने के लिए आप सीनियर सांसद को विजिलेंस और मॉनीटरिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दीजिए। यह सब होने पर ही ये स्कीम्स चलेंगी, नहीं तो नीति आयोग भी रहेगा, मुख्यमंत्री की कमेटी भी रहेगी, लेकिन बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती है कि सभी स्कीम्स के लिए विजिलेंस और मॉनीटरिंग कमेटी जिस प्रकार से रूरल डेवपलमेंट में है, उसी तरह से सभी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए और सीनियर सांसदों को उसका अध्यक्ष बनाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह करेंगे?

राव इंद्रजीत सिंह : मैडम, प्लानिंग कमीशन के बाद और नीति आयोग बनने के उपरांत जो पैसे और स्कीम्स हैं, उनको संबंधित विभाग अपनी-अपनी स्कीम्स को देखते हैं। इस पर उन्हीं का अधिकार है कि किस स्कीम के लिए किस को मॉनीटर करने की इजाज़त दी जाए। मॉनीटरिंग कमेटी विभाग की तरफ से

निश्चित की जाती है। नीति आयोग को भी एक मॉनीटरिंग कमेटी बनाने का अधिकार है कि वह सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स को मॉनीटर करें। विभिन्न विभागों की मॉनीटरिंग कमेटी के लिए हम माननीय सदस्य का सुझाव सब विभागों को नीति आयोग की तरफ से लिख कर दे देंगे कि जहां-जहां मॉनीटरिंग कमेटी काम नहीं कर रही है, उसके बारे में सोचा जाए।

SHRI B. VINOD KUMAR: Madam, just now the hon. Minister has said that the Planning Commission is dismantled whereas the hon. Prime Minister has earlier said that it is re-oriented. My question is whether the recommendations of the Sub-Group of the Chief Ministers are final. The National Rural Health Mission and the National Urban Health Mission did yeomen's service to the nation. Whatever money was released under these Schemes – the National Rural Health Mission and the National Urban Health Mission – the poor of the country had utilised the services under these Schemes. Now the pattern is changed is 60:40 ratio. Definitely, the State Governments may not come forward in investing in some schemes like immunization and other schemes. I would like to know whether the Government is having a re-look on this policy particularly the National Rural Health Mission and the National Urban Health Mission.

RAO INDERJIT SINGH: Madam, as the hon. Member is probably aware that the recommendations of the Fourteenth Finance Commission were accepted *in toto* by this Government. The long and short of it is that earlier before the recommendations of the Fourteenth Finance Commission, the devolution to States was Rs.3.48 lakh as per the Budget of 2014-15. After the recommendations were accepted by the Government, the devolution to States directly out of the share of the Central Divisible Pool of Taxes has gone up from Rs.1.78 lakh crore to Rs.5.24 lakh crore. The recommendation was that the devolution of Central taxes should go to the States from 32 per cent to 42 per cent. Thereafter all States have benefited to a large extent from the Central taxes as from before.

After the Subgroup of Ministers met, a recommendation has been put up to the Prime Minister and to the NITI Aayog that there should be two kinds of Central schemes. One is the core of the core schemes in which no funding pattern

has been changed. The other is core schemes under which the Health Mission comes. Under the core schemes, the decision today is that the Central Government will pay 60 per cent and the State Government will fund 40 per cent of this amount. So, I think by and large the Central Government has given leeway to the States to spend all the money that has been given to them in a freer manner and if a particular State wants to spend it on a certain subject they are free to do so.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, the Minister has mentioned correctly that after the Centrally sponsored schemes especially for social sector have been minimized from 172 to around 36 or 28, a large number of States are being benefited no doubt. But the share of the State has gone up manifold thereby this 10 per cent increase as has been recommended by the 14th Finance Commission has not been very helpful to the States and does not give that much of leeway to invest in many other schemes or to have their own schemes.

After the Subcommittee has met on specific issues, are any steps being taken especially to reduce the maternal mortality rate, for child mortality rate? Especially, is the share of the Centrally sponsored schemes being implemented for women and children going up or not or are the States being penalized to a greater extent?

RAO INDERJIT SINGH: Madam, the core of the core schemes address social issues and upliftment of people who are socially deprived. There are schemes which have been given in an answer which are core of the core schemes. Apart from that, there are some more schemes which are just core schemes. Like I said earlier, the National Health Mission including AYUSH, medical education and RSB/RSSY are also part of these core schemes. The States from out of the funds that they have got extra from the Centre are free to address these issues and they can I suppose make their own schemes on these issues if they are not satisfied with what the Centre has given them.

(Q.183)

श्री भरत सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत सारे टी.वी. चैनलों ने गलत ढंग से अपनी कंपनियों में विदेशी निवेश किया है। इस विषय में सरकार की योजना क्या है कि जो गलत ढंग से निवेश किया गया है, जैसा कि एन.डी.टी.वी. का उदाहरण सामने है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की सरकार की क्या प्लानिंग है? यदि नहीं, तो इस देश में दाऊद इब्राहिम सरीखे लोग भी नया चैनल खोल सकते हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : महोदया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हर एक चैनल में होता है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को तब पता चलता है जब वे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं।...(व्यवधान) और जब वे अपना डायरेक्टर बदलते हैं, तब इस बारे में पता चलता है।...(व्यवधान) अगर कोई भी केस, जिसकी रिपोर्ट आती है, जहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर गलत हुआ है या मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को पता चलता है कि गलत हुआ है तो पहले हम कम्पनी से पूछते हैं और उसके बाद अगर कोई केस हो तो उस केस की इन्वेस्टिंग एजेंसीज तहकीकात करती हैं।...(व्यवधान) जिस केस के बारे में उन्होंने कहा है, अगर उसके ऊपर तहकीकात हो रही होगी तो इन्वेस्टिंग एजेंसीज उसकी जाँच करेंगी और उस पर कानून के हिसाब से एक्शन लेंगी।...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह : महोदया, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो गलत ढंग से विदेशी निवेश किए हैं, उनके खिलाफ जाँच करके, यदि उन पर दोष सिद्ध होता है तो क्या ऐसे चैनल को सरकार बंद कराएगी?...(व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : मैडम, कानून इस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है और जैसे भी वे एक्शन लेंगे, वह कानून के हिसाब से होगा।...(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी : महोदया, आपने हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जो डीटीएच आपरेटर्स हैं, उनके द्वारा जब उपभोक्ता को कनेक्शन दिया जाता है तो यह कहकर दिया जाता है कि आपसे प्रति माह दो सौ या ढाई सौ रूपए फीस ली जाएगी।...(व्यवधान) लेकिन उपभोक्ता जब उनके कनेक्शन से अपने को सम्बद्ध कर लेता है, उसके बाद आए दिन उपभोक्ताओं को विभिन्न चैनलों के नाम पर कभी 15 रूपए, कभी 20 रूपए और इस तरह से वह सारी राशि बढ़कर 400 से 500 रूपए हो जाती है।...(व्यवधान) वे मनमाने तरीके से अपने अनुसार विज्ञापन देखने के लिए उपभोक्ताओं को विवश भी कर देते हैं।...(व्यवधान) तो क्या उपभोक्ता उनके विज्ञापन देखने का भी पैसा दे रहा है?...(व्यवधान) ऐसी

स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या वे इस तरह से प्राइवेट डीटीएच आपरेटर्स द्वारा किए गए कृत्यों पर लगाम लगाने का कोई कार्य करेंगे, यदि करेंगे तो कब तक?...(व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : महोदया, डायरेक्ट टू होम सर्विस के अंदर हमने कुछ क्वालिटीज तय की हुई हैं।...(व्यवधान) उसके अन्दर सबसे पहले तो उनको 24x7 एक कॉल सेंटर बनाना अनिवार्य है।...(व्यवधान) हर डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर को 24x7 कॉल सेंटर लगाना जरूरी है।...(व्यवधान) उपभोक्ताओं के लिए 24x7 जो कॉल सेंटर है, वहाँ वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।...(व्यवधान) उसके बाद हर डीटीएच आपरेटर को एक नोडल आफिसर रखना भी अनिवार्य है।...(व्यवधान) अगर कॉल सेंटर उनकी समस्या हल नहीं करता है तो वह नोडल आफिसर के पास जा सकते हैं।...(व्यवधान) साथ ही डीटीएच की जो सर्विस है, उसे कंज्यूमर कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है।...(व्यवधान) अगर कोई ग्रिवेंस है तो उसे कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Q.- 184
Shri Raju Shetty. Not present.
Shri Shri Asaduddin Owaisi.

(Q. 184)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Hon. Speaker Madam, I would like to know from the hon. Minister as to what steps are being taken by his Ministry about so many accidents happening in our country. Out of these, several people have brain injuries and we need to tap this pool. If we really tap this pool, we will not require living donors. The reason I am saying this is because of the figures which have been published in the Indian Journal of Anaesthesia in 2013. Out of 205 patients declared brain-dead in AIIMS trauma centre in past five years, only 10 have become potential organ donors.

I would like to know from the hon. Minister that in view of so many accidents happening in our country, what steps he proposes to take to ensure that we get these donors.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The issue that the hon. Member has raised has been taken up by the Ministry. We also think that the numbers of donors should increase and we are trying to regulate the system. For this only, first of all, in the past one month, many new initiatives have been taken. First of all, the website of NOTTO has been updated. … (*Interruptions*) At the same time, a 24X7 helpline has been started. In the same way, the organ and tissue donation and transplant registry has been updated and it has been started. So, what we have tried to do is to create awareness and involve people. … (*Interruptions*)

Last to last month, in the month of October, the hon. Prime Minister has spoken in *mann ki baat* about the donation of organs and he had requested people to get actively involved. The result was that the number of people visiting the website of NOTTO has tremendously increased. … (*Interruptions*) In the same way the call centre had also received a number of requests and a number of inquiries about it. We are trying to develop an awareness programme. … (*Interruptions*) It is through the awareness programme that we are going to see to it that we get the support.

As far as the other part is concerned, for co-ordinated action to promote cadaver organ donation we have tried to develop an inter-ministerial co-ordination committee headed by the Secretary of the Ministry and we are co-ordinating with the line departments to see to it that those who want to donate their organs are able to take the benefit of it and that is why strengthening and capacity building is going on. … (*Interruptions*) In the same way, we are also trying to see that the systems are now put in place to register the organ-pledgers; that is why the registry has started. Training and sensitization programme has started. … (*Interruptions*) Criteria for allocation of kidney has been finalized and will be put in the public domain. In the same way, for other organs also it is underway and we are also considering to do it accordingly.… (*Interruptions*)

The issue which is related is that we have to look for preventive part also. We are working on the preventive part and we are also looking at how and when such things happen. … (*Interruptions*) We have made it mandatory that the counselling takes place in the trauma centre and hospitals and co-ordinators are there to talk to the brain stem dead's family members/ patient's attendants when the patient who has met with an accident dies and see to it that the maximum people donate organs. We are going in a big way for the awareness programme.… (*Interruptions*) That is why we need suggestions from the public and we are trying to involve them.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: With all humility, I would like to say that my first supplementary was a pointed question on accidents which happen but the Minister has just reiterated the answer which has been given and which I have read.… (*Interruptions*)

Anyway, my second supplementary to the hon. Minister is this. Is it not true that the Safdarjung Hospital which started a skin bank in 2012 is yet to start working with no cadaver skin donation made so far? Every day we see so many burn patients coming. … (*Interruptions*)

Similarly, in the bone bank at AIIMS, barely 30 bone donations have happened since its inception in 1999. What are the steps he is taking? … (*Interruptions*)

He talked about kidney transplant. Is it also not true that the WHO estimated in 2007 that every year out of poverty 2,000 Indians are selling their kidney every year? … (*Interruptions*) What steps are being taken by his Ministry to ensure that these things do not happen?

About my specific question about the Safdarjung Hospital skin bank and AIIMS bone bank, I would like to have replies. … (*Interruptions*)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, I do not have a specific information.. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is a question on donation.

… (*Interruptions*)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: It is donation but he has asked about the skin bank for which I will send the answer separately.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Ratna De.

… (*Interruptions*)

DR. RATNA DE (NAG): I will not ask the question. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Thank you. Shri Jaidev Galla.

… (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA: Thank you, Madam.

In this issue regarding organ donation, one part is promotion; but also equally important is identifying people who have donated organs at the time of death and also harvesting in time. … (*Interruptions*)

I have conducted an organ donation awareness camp in my constituency along with Guntur Government Hospital just last month. Thousands of people have participated. … (*Interruptions*) I myself have donated my entire body and all my tissues in the case of my death but the problem is only Guntur Government Hospital is authorised to take those organs out of me. If I do not die within a

certain distance of Guntur Hospital, first of all, how will they identify that I am a donor? And secondly, how will the closest hospital actually be able to harvest my organs? … (*Interruptions*)

So, I would ask the hon. Minister through you this question. Why not consider having this part that every time a SIM card is issued for a cell phone, somebody can decide whether he wants to be an organ donor or not? In the case of accident, everyone has a cell phone, immediately they can identify whether they are organ donors or not and the nearest hospital should also be authorized so that they will be able to harvest those organs. I think this will go a long way in saving millions of lives of people. … (*Interruptions*)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, we are working on two fronts. As the hon. Member has said, his suggestion is most welcome. We have started the NOTTO website called http:/www.notto.nic.in. All suggestions related to creation of awareness and the number of donors can be given in this. … (*Interruptions*) We are monitoring it and the hon. Member's suggestion is well taken. We will see to it as to how we can work on it.… (*Interruptions*)

The other part is strengthening of the retrieval of the organs. Strengthening of capacity building has to be done. At the national level, we have done it. Now we are coordinating with the State Hospitals and the Regional Centres. So, operationalisation of ROTTO is an action in this regard … (*Interruptions*) Later on, we will be moving in for SOTTO also. The State Organ Tissue Transplantation Organisation are being set up. The money has been sanctioned for ROTTOS. We are working in this direction and in times to come, with all your active support, we will see to it that retrieval system of the organs is made most robust and it works efficiently.… (*Interruptions*)

श्री दुष्यंत चौटाला : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके अनुसार हमारे देश में दो से तीन परसेंट ऑर्गन डोनर्स अपनी डोनेशन कर पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जैसे विदेशों में अमेरिका की तर्ज पर जब हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, जब हमें ऑप्शन दिया जाता है कि हम डोनर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं और कौन-कौन से पाट्र्स हमारे डोनेट करना चाहते हैं तो क्या भारत सरकार

आने वाले समय में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से ऑर्गन डोनेशन को उसका एक पार्ट बनाना चाहेगी, जिसके तहत अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखकर उसके ऑर्गंस को हम किसी और व्यक्ति के इस्तेमाल में लाने का काम कर सकें?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, यह सुझाव अच्छा है। मैंने पहले कहा कि हमारी वैबसाइट पर सजेशंस दिये जा सकते हैं। हमारी एक समिति हैल्थ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी है और उसमें लाइन डिपार्टमेंट में रोड एण्ड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी है। हम उनके साथ इस बात पर चर्चा करेंगे, and we have to create awareness. बात यह है कि डिमांड बहुत है और हमारे पास ऑर्गंस की बहुतायत में कमी है, क्योंकि वालेण्टरी डोनर्स बहुत कम हैं और वालेण्टरी डोनर्स की संख्या बढ़ानी है। उसके लिए जो सहूलियतें देने की जरूरत है, उसको हम देने का प्रयास करेंगे। इस सजेशन को भी हम लेते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप सब के माध्यम से पब्लिक अवेयरनैस बढ़े और आप सजेशंस दें। मैं लाइन डिपार्टमेंट के साथ चर्चा करके इन सब चीजों को आगे बढ़ाऊंगा।

(Q.185)

SHRI P. KARUNAKARAN : Madam Speaker, the present situation is cited in the answer given by the hon. Minister.

According to Section 12 (11B) of the Prasar Bharati Act, the primary duty of any national public broadcaster is to make the programme of national importance so that it reaches the people. In the beginning, there were 33 channels and now, it has increased to 64. It is an improvement but at the same time, there is a strong criticism from the public that the content of the DTH is not up to the mark compared to many other service providers. Is this aspect realized by the hon. Minister? If so, what steps would he like to take to make the programme more impressive? … (*Interruptions*)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं इस सदन को और सभी सदस्यों को यह खुशखबरी देना चाहूंगा कि जो रीसेंट बार्क की रेटिंग्स आई हैं, उसके अन्दर ...(व्यवधान) जो फ्री डिश है, उसका सब्सक्राइबर बेस 78 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, डी.टी.एच. के पूरे भारत के अन्दर, उसमें से कंजरवेटिव एस्टीमेट है कि कम से कम 20 मिलियन फ्री डिश सब्सक्राइबर्स हैं। 20 millions are Free Dish subscribers. The largest subscriber base is that of the Free Dish. माननीय सदस्य ने जो कहा है, तो कॉन्टेंट में लगातार सुधार होता रहता है।...(व्यवधान) वर्ष 2003 से 2005 तक हम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स लेते थे, यानि जो कार्यक्रम बनाते थे, हम उनको कैरेज़ करते थे।...(व्यवधान) उसके बाद से हमने एस.एफ.सी. शुरू की, कमीशंड प्रोग्राम्स शुरू की।...(व्यवधान) अब प्रसार भारती के अंदर राय है कि हम फिर से दूरदर्शन के अंदर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स लेकर आएं।...(व्यवधान) हमारा जो दूरदर्शन है, उसमें हम कैरेज का इस्तेमाल करने देंगे और जो अच्छे प्रोग्राम्स आएंगे, उन्हें हम दूरदर्शन के अंदर दिखाने का एक अवसर देंगे।...(व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN : Like other private channels, Prasar Bharati has to perform its programmes in the national interest. It is true. But, at the same time, there are a large number of other channels.… (*Interruptions*) We have to take this in a competitive spirit. But there are complaints and suggestions about lack of infrastructure facilities and also, on the side of employees, there are a large number of problems that are to be tackled. I would like to know whether the

Government is serious about this. Will the Government take steps to solve these issues?… (*Interruptions*)

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE: Of course, we are very much serious about these issues. Communication of the Government is a very important aspect. Doordarshan is a very important platform for it. However, it is important to note that we are not a revenue-generating institution. We are also a service-oriented institution.

मैडम, हम न केवल ख़बरें देते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, बल्कि हमारे दूरदर्शन के जो केन्द्र हैं, वे सबसे ज्यादा हैं।...(व्यवधान) हम 23-24 भाषाओं में अलग-अलग कार्यक्रम बनाते हैं।...(व्यवधान) हम अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर वहीं के कल्चरल प्रोग्राम्स बनाने के लिए पैसे देते हैं।...(व्यवधान) इसलिए हमारा जो काम है, वह दूसरे जो चैनल्स हैं, उनसे काफी भिन्न है।...(व्यवधान) इसलिए यह जो कम्पैरिज़न है, यह सही भी नहीं होगा।...(व्यवधान) लेकिन, फिर भी हम कॉम्पीटिटीव रहना चाहते हैं और हम इसमें लगातार सुधार करते रहेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री थुपस्तान छेवांग - उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

श्रीमती शताब्दी राय : मैडम, हम लोग हमेशा फिल्मों के बारे में सोचते हैं, लेकिन टी.वी. में जो आते हैं, स्पेशियली कार्टून जो आते हैं, तो जो कार्टून एडल्ट हो, उन्हें हम बच्चों को नहीं दिखाते हैं।...(व्यवधान) कार्टून्स में जो सब्जेक्ट, जो सिक्वेंस, और जो डायलॉग होते हैं, क्या मिनिस्ट्री ने कभी उन्हें देखा है? अगर देखा है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं?...(व्यवधान) अगर मैं दूरदर्शन को बंद कर दूं कि ये हम बच्चों को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर वही प्राइवेट चैनल दिखाएंगे, फिर इस सेन्सर का मतलब क्या है?...(व्यवधान) फिर एडल्ट और जूनियर का मतलब क्या है?...(व्यवधान) अगर सेन्सर को कुछ करना है, तो कार्टून्स के मामले में प्लीज़ कुछ करें, जिससे कि उनके सब्जेक्ट, डायलॉग, और सिक्वेंस भी बदल जाए और वे बच्चों के लिए, बच्चों के जैसे बनें।...(व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : स्पीकर मैडम, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसे मैं समझ सकता हूं।...(व्यवधान) इसमें एक दुविधा यह होती है कि हर परिवार, हर व्यक्ति, हर मनुष्य का जो स्टैण्डर्ड होता है कि क्या सेन्सर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वह भिन्न होता है।...(व्यवधान) इसलिए सरकार को एक बड़े ब्रॉड एस्पेक्ट से अपनी गाइडलाइंस बनानी पड़ती है।...(व्यवधान) इसमें एक और डिबेट होती है कि अगर सरकार ही सेन्सरशिप करे, तो फिर सेल्फ रेगुलेशन, जिसे कई सारे चैनल्स और ब्रॉडकास्टिंग

एसोसिएशंस हैं, वे उसके बारे में कहती हैं कि सेल्फ रेगुलेशन का एक अवसर दिया जाए।...(व्यवधान) ब्रॉडकास्टिंग कम्प्लेंट कॉन्सिल ऑफ इंडिया - बी.सी.सी.सी. - जितने भी इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, उनके ऊपर वह सेल्फ रेगुलेशन करती है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य और जो व्यूअर्स हैं, वे अगर देखें तो कई प्रोग्राम्स के नीचे एक पट्‌टी चलती है कि अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद नहीं आ रहा और उसमें अगर कोई कॉन्टेंट सही नहीं है, तो आप निम्नलिखित नम्बर के ऊपर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज़ करें।...(व्यवधान)

महोदया, मैं माननीय सदस्य से गुज़ारिश करूंगा कि अगर कभी भी इस तरह का कोई कार्यक्रम आए, तो वे उसमें अपनी शिकायत दर्ज़ करें।...(व्यवधान) अगर फिर भी उस पर कोई एक्शन न लिया जाए, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आप उसके बारे में बताइए।...(व्यवधान) फिर हम अपनी तरफ से भी उस पर सुओ-मोटो एक्शन ले सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हर एक परिवार का अपना-अपना सोचने का स्तर और सेन्सरशिप को लेकर अपने-अपने मानदंड हैं।...(व्यवधान) मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है, तो यह हो सकता है कि हर एक परिवार का बौद्धिक स्तर अलग हो, और हर एक परिवार के सोचने के मानदंड अलग-अलग हों।...(व्यवधान) बच्चों के विषय में ऐसे एक्सपट्‌र्स, जो बच्चों के बौद्धिक स्तर का ध्यान रखते हुए उनके पास क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, इसका चिंतन करते हुए ऐसी एक नियामक संस्था या इस नियामक संस्था में ऐसे सारे एक्सपट्‌र्स को जोड़ने के संबंध में सरकार क्या कोई योजना रखती है? ...(व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : मैडम, यह जो प्रोग्राम की गाइडलाइंस बनाई गई हैं, वह एक्सपट्‌र्स की राय लेकर ही बनाई गई हैं। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि यह जो मानीटरिंग होती है, यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से ही नहीं होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, हर स्टेट लेवल पर होती है। ...(व्यवधान) एक डिस्ट्रिक्ट मानीटरिंग कमेटी होती है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, पुलिस के अधिकारी होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ऐसी हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होती है। ...(व्यवधान)

मैं चाहूंगा कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर यह निश्चित करे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में यह मानीटरिंग कमेटी है या नहीं। ...(व्यवधान) अगर मानीटरिंग कमेटी है, तो वहां केबल के ऊपर जो भी कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उसके ऊपर यह मानीटरिंग कमेटी एक्शन ले सकती है। ...(व्यवधान)

वह प्रोग्राम के दिखाने पर रोक लगा सकती है। ...(व्यवधान) यहां तक कि उनके इतने अधिकार हैं कि वे पूरे के पूरे इक्विपमेंट को भी जब्त कर सकती है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 186

श्री पंकज चौधरी : उपस्थित नहीं।
डॉ. वीरेन्द्र कुमार।

...(व्यवधान)

(Q.186)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, इस उत्तर में यह बात उभरकर आयी है कि शासकीय अस्पतालों में विशेष रूप से दिल्ली में हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीणजन इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते हैं।...(व्यवधान) ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली प्रारम्भ की गई है। ...(व्यवधान) ग्रामों से आने वाले लोग अशिक्षित होते हैं। ...(व्यवधान) ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से उनका वास्ता नहीं होता है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि इस ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी इसका उपयोग कर सके, इस सम्बन्ध क्या कोई कदम उठाने जा रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय सदस्य ने बहुत ही वैलिड प्रश्न पूछा है।...(व्यवधान) यह ऑनलाइन की प्रक्रिया हम लोगों ने 1 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ की है। ...(व्यवधान) तब से लगभग एक लाख अप्वाइंटमेंट्स दिए जा चुके हैं। ...(व्यवधान) इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सारी अप्वाइंटमेंट्स ऑनलाइन नहीं दी जाती हैं। ...(व्यवधान) इसके साथ-साथ जो लोग आते हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट दी जा रही है। ...(व्यवधान) यह सारी प्रक्रिया बहुत ही इनीशियल स्टेज पर है। ...(व्यवधान) हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें सुधार की बहुत गुँजाइश है, इसको और मजबूत बनाने के लिए जो-जो कमियाँ हैं, उनको दूर करते चले जा रहे हैं, ताकि उसको हम ठीक कर सकें। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस सुविधा को कैसे उठा सकते हैं?...(व्यवधान) मंत्रालय इस बारे में अवगत हैं, हम इसके नए तरीकों के ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं। ...(व्यवधान) ताकि ग्रामीण इलाके से आने वाले लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकें। ...(व्यवधान) इसका और सरलीकरण कैसे किया जा सकता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: महोदया, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं। दिल्ली के एम्स में सबसे अधिक साठ प्रतिशत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। ...(व्यवधान) मैडम, एम्स में लगातार मौत पर मौत की खबर आप भी पढ़ती होंगी कि किस तरीके से मौत की खबर आती है। ...(व्यवधान) जब दिल्ली के एम्स में प्रत्येक दिन एक दर्जन, दो दर्जन से ज्यादा मौतों की खबर आम गरीब की आ रही है तो ग्रामीण स्तर पर या जिला स्तर पर जो अस्पताल हैं, जिस तरीके की स्थिति आज सरकारी अस्पतालों की है, क्या उनके सुधार की कोई व्यवस्था आपके पास है? ग्रामीण स्तर पर जो लोग अस्पताल में आते हैं, उनके लिए क्या नए अस्पताल बनाने की कोई योजना है, जहां बेहतर तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का इलाज किया जा सके? ...(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, उसको मैं ध्यान में रखता हूं। ...(व्यवधान) लेकिन उनके प्रश्न से कहीं गलत विचार या गलत माहौल या गलत जानकारी जाए, यह उचित नहीं है। ...(व्यवधान) जहां तक एम्स का सवाल है, सबसे पहली बात तो यह है कि पांच, सात या एक दर्जन की बात आप कह रहे हैं, प्रतिदिन 9,027 ओपीडीज एम्स डील करता है। उसी तरह से इनपेशेंट्स की भी अत्यधिक संख्या पूरे देश से यहा आती है।..(व्यवधान) अधिकांश पेंशेंट्स लास्ट स्टेज में आते हैं, उसके बावजूद जिस तरह से उनको एम्स में देखा जाता है, वहां से लोगों को नई जिंदगी मिलती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए।...(व्यवधान) यह बात सही है कि डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर है।...(व्यवधान) इसलिए हमें हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) मैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के संबंध में आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि सफदरजंग हॉस्पिटल में 85.7 प्रतिशत की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ रही है।...(व्यवधान) यानि सफदरजंग हॉस्पिटल में 1307 बेड्स बढ़ाये जा रहे हैं। ...(व्यवधान) उसी तरह से राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 500 बेड्स बढ़ाये जा रहे हैं। ...(व्यवधान) जिनसे बेड की कैपेसिटी 38.6 प्रतिशत बढ़ जायेगी। ...(व्यवधान) लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में 570 बेड्स बढाये जा रहे हैं, उसकी 45 प्रतिशत बेड कैपेसिटी बढ़ायी जा रही है। ...(व्यवधान) एम्स 1737 बेड्स बढ़ाये जा रहे हैं, उसकी 71.54 प्रतिशत बेड कैपेसिटी बढ़ायी जा रही है।...(व्यवधान) इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाया जा रहा है।...(व्यवधान) जो छः एम्स हैं, उनमें 5760 बेड्स कैपेसिटी बढ़ायी जा रही है।...(व्यवधान) हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते हुए और 10 नये एम्स खोल रहे हैं।...(व्यवधान) हमारा प्रयास है कि हम बेड स्ट्रेन्थ बढ़ायें।...(व्यवधान) लेकिन आज हमारे जो एग्जिस्टींग इंस्टीटूशंस हैं, उनके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में ओपीडीज को लिया जा रहा है।...(व्यवधान) सफदरजंग में डेली ओपीडीज 9359 है।...(व्यवधान) आरएमएल में डेली ओपीडीज 5549 हैं। ...(व्यवधान) बहुत सारे केसेज ऐसे समय में आते हैं, जो ट्राउमा वाले सिचुएशंस में होते हैं।...(व्यवधान) We are trying our level best.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने घोषणा की थी की झारखंड में एम्स का निर्माण किया जायेगा।...(व्यवधान) झारखंड राज्य बने हुए 15 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। ...(व्यवधान) अगर नये राज्य में एम्स का निर्माण होता तो जो दिल्ली में एम्स है, उसका लोड कम हो जाता।...(व्यवधान) जो मरीज झारखंड और बिहार से यहां आ रहे हैं, वे अपना इलाज वहीं पर करवा सकते थे।...(व्यवधान) मंत्री महोदय का प्रयास सराहनीय है।...(व्यवधान) लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि क्या झारखंड में एम्स का निर्माण किया जायेगा? ...(व्यवधान) अगर उसका निर्माण होगा तो वह कब तक होगा? ...(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, सच बात तो यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। ...(व्यवधान) जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि हम फेज्ड मैनर में एम्स इंस्टीटूशन हर स्टेट में खोलेंगे।...(व्यवधान) ताकि, वर्कलोड डिवाइड हो और रिजनलवाइज हेल्थ की सुविधायें सभी जगह हों।...(व्यवधान) हम इसे फेज्ड मैनर में कर रहे हैं।...(व्यवधान) जहां तक झारखंड का सवाल है तो वह भी फेज मैनर में आयेगा।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार की राज्यों के जिला चिकित्सालयों को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है।...(व्यवधान) इसी दिशा में स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में भी 5 जिला चिकित्सालयों को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है।...(व्यवधान) जिनमें बस्ती, फैजाबाद, बहराइज और गोंडा है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिन जिला चिकित्सालयों को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया है।...(व्यवधान) इस निर्णय को क्रियान्वित करने का काम केन्द्र सरकार कब तक करेगी? ...(व्यवधान) क्या इस संबंध में कुछ वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी हुयी हैं? ...(व्यवधान) इसमें कहीं कोई गतिरोध राज्य सरकार के द्वारा है?...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय सदस्य ने सही कहा है।...(व्यवधान) इस मामले में जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। ...(व्यवधान) बहुत जल्द ही उसका नोटिफिकैशन कर दिया जायेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अजमल जी, कृपया आप शॉर्ट क्वैश्चन करें क्योंकि प्रश्न काल का समय समाप्त हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण इश्यू के बारे में पूछना चाहता हूं।..(व्यवधान) जिससे पूरा हिन्दुस्तान परेशान है। ..(व्यवधान) इसके लिए हमें समय दिया जाये। ..(व्यवधान) इसके ऊपर किसी दिन बहस करायी जाये। ..(व्यवधान) यह मेरी डिमांड है।..(व्यवधान)

हमारे असम में एम्स की ब्रांच खोलने की बात हुयी थी।..(व्यवधान) वह अभी ठंडे बस्ते में है।..(व्यवधान) क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह कब शुरू होने वाला है? ..(व्यवधान) गांव से जो लोग आते हैं तो देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं होते हैं।..(व्यवधान) वे बड़े शहरों में अपना क्लीनिक खोल कर बैठते हैं, या किसी बड़े हॉस्पिटल्स से अटैच हो जाते हैं।..(व्यवधान) जिसके कारण गरीबों को

परेशानी होती है।..(व्यवधान) उनको हॉस्पीटल्स में मेडिसिन्स नहीं मिलते हैं।..(व्यवधान) उनकी जांच की कोई फैसिलिटी वहां नहीं होती है।..(व्यवधान) इसलिए बड़े हॉस्पिटल्स में भीड़ होती है।..(व्यवधान) एम्स में सात साल में मेरे अपने पांच लोग मर गये।..(व्यवधान) पांच लोग एम्स की लाइन में लग कर मर गये। ..(व्यवधान) लेकिन उनका नम्बर नहीं आया।..(व्यवधान) क्या मंत्री जी इस मामले में स्पेशल ध्यान देंगे, यह मेरा अर्ज है।..(व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैंने उसमें पहले ही कह दिया है कि हम बैड स्ट्रैन्थ बढ़ा रहे हैं ताकि पेशैंट्स को ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कर सकें। असम में भी यह काम जारी है। वहां हमारी टीम गई थी और कुछ जगहों को देखा है। इसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे कनैक्टिविटी देखनी पड़ती है, फीडिंग एरिया कितना बनता है, उसे भी देखा जाता है। वह टीम उसका निर्णय कर रही है। बहुत जल्दी निर्णय लेंगे।...(व्यवधान)

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Papers to be laid on the Table of the House, Shri Arun Jaitley *ji*.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3379/16/15]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Cost Accountants of India for the year ending 31st March, 2015 published in Notification No. G/18-CWA/9/2015 in Gazette of India dated 29th September, 2015

(ii) Notification No. EL-2015/26 published in Gazette of India dated 25th June, 2015, declaring the result of the election to the 19th Council and four Regional Councils of the Institute of Cost Accountants of India for the term 2015-2019.

[Placed in Library, See No. LT 3380/16/15]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Chartered Accountant of India for the year ending 31st March, 2015 published in Notification No. 1-CA(5)/66/2014 in Gazette of India dated 29th September, 2015.

(ii) G.S.R.563(E) published in Gazette of India dated 20th July, 2015, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.38(E) dated 19th January, 2011.

(iii) G.S.R.744(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2015, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.38(E) dated 19th January, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 3381/16/15]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

(i) The Annual Report and Audited Accounts of the Institute of Company Secretaries of India for the year ending 31st March, 2015 published in Notification No. F. No. 104/35/Accts. in Gazette of India dated 24th September, 2015.

(ii) G.S.R.634(E) published in Gazette of India dated 17th August, 2015, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.315(E) dated 23rd April, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3382/16/15]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3383/16/15]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3384/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3385/16/15]

(4) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) for the year 2014-2015 alongwith Audited Accounts in respect of the following centres:-

(i) Population Research Centre (Department of Statistics, Maharaja Sayajirao University of Baroda), Vadodara.
[Placed in Library, See No. LT 3386/16/15]

(ii) Population Research Centre (Centre for Research in Rural and Industrial Development), Chandigarh.
[Placed in Library, See No. LT 3387/16/15]

(iii) Population Research Centre (Punjab University), Chandigarh.
[Placed in Library, See No. LT 3388/16/15]

(iv) Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research), Dharwad.
[Placed in Library, See No. LT 3389/16/15]

(v) Population Research Centre (Department of Statistics, Guwahati University), Guwahati.
[Placed in Library, See No. LT 3390/16/15]

(vi) Population Research Centre (Department of General and Applied Geography, Dr. Harisingh Gour University), Sagar.
[Placed in Library, See No. LT 3391/16/15]

(vii) Population Research Centre (University of Kashmir), Srinagar.
[Placed in Library, See No. LT 3392/16/15]

(viii) Population Research Centre (University of Kerala), Thiruvananthapuram.
[Placed in Library, See No. LT 3393/16/15]

(ix) Population Research Centre (Mohanlal Sukhadia University), Udaipur.
[Placed in Library, See No. LT 3394/16/15]

(x) Population Research Centre (Institute of Economic Growth), Delhi.

[Placed in Library, See No. LT 3395/16/15]

(xi) Population Research Centre (Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust), Dindigul.

[Placed in Library, See No. LT 3396/16/15]

(xii) Population Research Centre (Department of Economics, University of Lucknow), Lucknow.

[Placed in Library, See No. LT 3397/16/15]

(5) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysore, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3398/16/15]

(6) A copy of the Drugs and Cosmetics (4th Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 690(E) in Gazette of India dated 25th September, 2014 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 3399/16/15]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3400/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3401/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3402/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3403/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Defence Institute of Advanced Technology, Pune, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3404/16/15]

(6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3405/16/15]

(7) A copy of the Pune Cantonment Board (Local Body Tax), Bye-laws, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.R.O.22 in weekly Gazette of India dated 6th June, 2015 under sub-section (2) of Section 66 of the Cantonments Act, 2006.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 3406/16/15]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): On behalf of Shri Shripad Yesso Naik, I beg to lay on the Table a copy of the Homoeopathy (Degree Course) Amendment Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. 12-13/2006-CCH(Pt.V) in Gazette of India dated 14th July, 2015 under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

[Placed in Library, See No. LT 3407/16/15]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2014-2015 under sub-section (2) of Section 18 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 3408/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3409/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3410/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3411/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3412/16/15]

(6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:

(a) (i) Review by the Government of the working of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3413/16/15]

(b) (i) Review by the Government of the working of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the United India Insurance Company Limited, Chennai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3414/16/15]

(c) (i) Review by the Government of the working of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the National Insurance Company Limited, Kolkata, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3415/16/15]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

(i) The Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R.579(E) in Gazette of India dated 24th July, 2015.

(ii) The Foreign Exchange Management (Regularization of assents held abroad by a person resident in India) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R.738(E) in Gazette of India dated 26th September, 2015.

(iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India (Seventh Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R.745(E) in Gazette of India dated 30th September, 2015.

(iv) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India (Ninth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R.759(E) in Gazette of India dated 6th October, 2015.

(v)The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India (Tenth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R.823(E) in Gazette of India dated 30th October, 2015.

(vi) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India (Eleventh Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R.858(E) in Gazette of India dated 16th November, 2015.

(vii) The Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. G.S.R.859(E) in Gazette of India dated 16th November, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3416/16/15]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

(i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Services by Common Service Centres) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./16/106/2015 in Gazette of India dated 19th October, 2015.

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Minimum Limits for Annuities and other Benefits) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./14/104/2015 in Gazette of India dated 3rd September, 2015.

(iii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./13/103/2015 in Gazette of India dated 28th August, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3417/16/15]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013:-

(i) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Reports, Returns and Statements) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 635(E) in Gazette of India dated 17th August, 2015.

(ii) The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 519(E) in Gazette of India dated 30th June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3418/16/15]

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-

(i) The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.592(E) in Gazette of India dated 29th July, 2015.

(ii) The Sukanya Samriddhi Account Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.593(E) in Gazette of India dated 29th July, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3419/16/15]

(11) A copy of the Securities Contracts (Regulation) (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties by Adjudicating Officer) Amendment Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 645(E) in Gazette of India dated 19th August, 2015 under sub-section (3) of Section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 3420/16/15]

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 74 of the Money Laundering Act, 2002:-

(i) The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 544(E) published in Gazette of India dated 7th July, 2015 together with an explanatory memorandum.

(ii) The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 693(E) published in Gazette of India dated 11th September, 2015 together with an explanatory memorandum.

(iii) The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 730(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2015 together with an explanatory memorandum.

(iv) The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Fourth Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 882(E) published in Gazette of India dated 18th November, 2015 together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 3421/16/15]

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.886(E) published in Gazette of India dated 18th November, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Carbon Black used in rubber applications, originating in, or exported from the China PR and Russia, pursuant to the final findings in anti-dumping investigation conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties for a period of five years.

(ii) G.S.R.892(E) published in Gazette of India dated 20th November, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.

(iii) The Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback) (Second Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 860(E) in Gazette of India dated 16th November, 2015, together with an explanatory memorandum.

(iv) G.S.R.861(E) published in Gazette of India dated 16th November, 2015, together with an explanatory memorandum notifying the All Industry Rates of Duty Drawback with effect from 23.11.2015.

[Placed in Library, See No. LT 3422/16/15]

(14) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2015 together with Auditor's Report thereon:-

(i) Allahabad UP Gramin Bank, Banda

[Placed in Library, See No. LT 3423/16/15]

(ii) Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Warangal

[Placed in Library, See No. LT 3424/16/15]

(iii) Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa

[Placed in Library, See No. LT 3425/16/15]

(iv) Arunachal Pradesh Rural Bank, Naharlagun

[Placed in Library, See No. LT 3426/16/15]

(v) Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati

[Placed in Library, See No. LT 3427/16/15]

(vi) Bangiya Gramin Vikash Bank, Murshidabad

[Placed in Library, See No. LT 3428/16/15]

(vii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer

[Placed in Library, See No. LT 3429/16/15]

(viii) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Raebareli

[Placed in Library, See No. LT 3430/16/15]

(ix) Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur

[Placed in Library, See No. LT 3431/16/15]

(x) Dena Gujarat Gramin Bank, Gandhinagar

[Placed in Library, See No. LT 3432/16/15]

(xi) Ellaquai Dehati Bank, Srinagar

[Placed in Library, See No. LT 3433/16/15]

(xii) Gramin Bank of Aryavart, Lucknow

[Placed in Library, See No. LT 3434/16/15]

(xiii) J&K Grameen Bank, Jammu

[Placed in Library, See No. LT 3435/16/15]

(xiv) Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad

[Placed in Library, See No. LT 3436/16/15]

(xv) Kaveri Grammena Bank, Mysore

[Placed in Library, See No. LT 3437/16/15]

(xvi) Kerala Gramin Bank, Mallappuram

[Placed in Library, See No. LT 3438/16/15]

(xvii) Langpi Dehangi Rural Bank, Diphu

[Placed in Library, See No. LT 3439/16/15]

(xviii) Madhyanchal Gramin Bank, Sagar

[Placed in Library, See No. LT 3440/16/15]

(xix) Madhya Bihar Gramin Bank, Patna

[Placed in Library, See No. LT 3441/16/15]

(xx) Maharashtra Gramin Bank, Nanded

[Placed in Library, See No. LT 3442/16/15]

(xxi) Manipur Rural Bank, Imphal

[Placed in Library, See No. LT 3443/16/15]

(xxii) Meghalaya Rural Bank, Shillong

[Placed in Library, See No. LT 3444/16/15]

(xxiii) Mizoram Rural Bank, Aizawl

[Placed in Library, See No. LT 3445/16/15]

(xxiv) Nagaland Rural Bank, Kohima

[Placed in Library, See No. LT 3446/16/15]

(xxv) Narmada Jhabua Gramin Bank, Indore

[Placed in Library, See No. LT 3447/16/15]

(xxvi) Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar

[Placed in Library, See No. LT 3448/16/15]

(xxvii) Pallavan Grama Bank, Salem

[Placed in Library, See No. LT 3449/16/15]

(xxviii) Pandyan Grama Bank, Virudhunagar

[Placed in Library, See No. LT 3450/16/15]

(xxix) Paschim Banga Gramin Bank, Howrah

[Placed in Library, See No. LT 3451/16/15]

(xxx) Pragathi Krishna Gramin Bank, Ballari

[Placed in Library, See No. LT 3452/16/15]

(xxxi) Prathama Bank, Moradabad

[Placed in Library, See No. LT 3453/16/15]

(xxxii) Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry

[Placed in Library, See No. LT 3454/16/15]

(xxxiii) Purvanchal Bank, Gorakhpur

[Placed in Library, See No. LT 3455/16/15]

(xxxiv) Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur

[Placed in Library, See No. LT 3456/16/15]

(xxxv) Saptagiri Grameena Bank, Chittoor

[Placed in Library, See No. LT 3457/16/15]

(xxxvi) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak

[Placed in Library, See No. LT 3458/16/15]

(xxxvii) Saurashtra Gramin Bank, Rajkot

[Placed in Library, See No. LT 3459/16/15]

(xxxviii) Sutlej Gramin Bank, Bathinda

[Placed in Library, See No. LT 3460/16/15]

(xxxix) Telangana Grameena Bank

[Placed in Library, See No. LT 3461/16/15]

(xl) Tripura Gramin Bank, Agartala

[Placed in Library, See No. LT 3462/16/15]

(xli) Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

[Placed in Library, See No. LT 3463/16/15]

(xlii) Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun

[Placed in Library, See No. LT 3464/16/15]

(xliii) Vananchal Gramin Bank, Dumka

[Placed in Library, See No. LT 3465/16/15]

(xliv) Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

[Placed in Library, See No. LT 3466/16/15]

(15) A copy of the Notification No. S.O.2454(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 8th September, 2015 appointing the 9th September, 2015 as the date on which the provisions of clause (B) of Section 138 and Sections 140, 141, 142 and clause (i) of Section 143 of the Finance Act, 2015 shall come into force, issued under clause (A) of Section 138 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 3467/16/15]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3468/16/15]

… (*Interruptions*)

<u>12.03 hours</u>

LEAVE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

HON. SPEAKER: The Committee on Absence of members from the Sittings of the House in their Third Report presented to the House on 10 December, 2015 have recommended that leave of absence from the sittings of the House be granted to the following members for the period indicated against each:

1. Shrimati Sandhya Roy	23.04.2015 to 10.05.2015
2. Shri Subrata Bakshi	09.03.2015 to 20.03.2015
	&
	20.04.2015 to 13.05.2015
3. Shri Pashupati Nath Singh	24.11.2014 to 12.12.2014
4. Shri Chand Nath	22.07.2015 to 13.08.2015
	&
	30.11.2015 to 23.12.2015
5. Dr. Ravindra Kumar Ray	24.11.2014 to 18.12.2014
6. Shri Deepak Adhikari (Dev)	21.07.2015 to 13.08.2015
7. Shri Muzaffar Hussain Baig	21.07.2015 to 13.08.2015

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: Leave is granted. The members will be informed accordingly.

… (*Interruptions*)

12.04 hours

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
24th Report

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to present the Twenty-fourth Report of the Business Advisory Committee.

… (*Interruptions*)

12.04 ½ hours

BUSINESS OF THE HOUSE

HON. SPEAKER: Now submissions by Members. Shri Subhash Chandra Baheria.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदया, 14.12.2015 को शुरू होने वाले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय चर्चा के लिए जोड़े जाएं :-

1. भीलवाड़ा शहर की चंबल पेयजल योजना के लिए वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने बाबत।
2. राजस्थान के किशनगढ़ से नसीराबाद-भीलवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के संबंध में।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kodikunnil Suresh.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shrimati Ranjeet Ranjan.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Rattan Lal Kataria.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Shashi tharoor.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Shailesh Kumar.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary.

… (*Interruptions*)

*__श्री पी.पी.चौधरी (पाली) :__ महोदया, कृपया निम्न अति महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें:-

1. राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में बनी नई ग्राम पंचायतों में मूलभूत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने के संबंध में।
2. पश्चिमी राजस्थान के गोडावण सर्किट के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय से बजट आवंटित करने के संबंध में।

HON. SPEAKER: Dr. Kirit Somaiya.

… (*Interruptions*)

* Speech was laid on the Table.

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Respected Speaker Madam, I request you to include the following issues for discussion in the List of Business for next week.… (*Interruptions*)

1. Debate on climate change, the recent incident of Chennai rain and flood. On the background of the Global Environment Conference held at Paris, efforts by world, India's position, awareness and measures to be taken in India. … (*Interruptions*)
2. Discussion no Multi State Cooperative Credit Societies (MSCS). 2000 MSCS have registered/ being registered without due diligence resulting in increasing non-transparency and fraud since 2008. It is observed that due to lacunae of proper regulatory system the MSCS platform is abused by the ponzi companies and for money laundering. Need to strengthen the regulatory network and stop the abuse. … (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदया, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह के कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

(1) पूरे देश में 70 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं जिनकी स्थिति काफी खराब है। इनकी लाचार स्थिति को देखते हुए असंगठित को पांच हजार रुपये सरकारी पेंशन देने हेतु सख्त विधि बनाये जाने के संबंध में। …(व्यवधान)

(2) आज पूरे देश में कृषि एवं किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। प्रत्येक साल कहीं बाढ़ एवं कहीं सुखाड़ में फसल बर्बाद हो जाता है। जिसके फलस्वरूप हजारों की संख्या में प्रत्येक साल किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। इसे रोकने हेतु कृषि को उद्योग का दर्जा के साथ-साथ किसान पेंशन एवं फसील बीमा लागू कराने हेतु सख्त नियम बनाए जाने के संबंध में। …(व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : महोदया, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह के कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

(1) उस्मानाबाद संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना अति आवश्यक है, यहां के केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सोलापुर जाना पड़ता है तथा उमरगा/उस्मानाबाद में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। …(व्यवधान)

(2) प्रधानमंत्री राहत कोष से गरीबों को अधिकतम तीन या साढ़े तीन लाख राशि मंजूर की जाती है, जबकि कई बीमारियों में 8-10 लाख से अधिक की आवश्यकता होती है जो गरीबों द्वारा वहन करने वाली राशि नहीं है तथा इस दायरे को बढ़ाकर कम से कम 8 से 10 लाख तक की जाए। …(व्यवधान)

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Madam, our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi has raised the issues of climate change and terrorism at various international platforms during his foreign visits.… (*Interruptions*)

Both the issues of terrorism and climate change are becoming important issues for world peace and public health. Therefore, I would request that both the issues may be included in the next business of Lok Sabha which is due for the next week. … (*Interruptions*)

For my second submission, I would like to request the hon. Petroleum and Natural Gas Minister to include the issue of formation of new policy for auction of oil gas and gas block during the ongoing financial year in order to make new bidding round more progressive, more transparent and market friendly. This issue may be included in the business of Lok Sabha. … (*Interruptions*)

12.06 hours

COMMITTEE ON PETITIONS
9th and 10th Reports

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): महोदया, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) देश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन तथा इसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री एम.साई सम्पत से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में नौवां प्रतिवेदन। ...(व्यवधान)

(2) चक्रवात और अग्निरोधी मकानों के निर्माण के लिए जगतसिंहपुर, ओडिसा के लधु और सीमांत कृषकों को विशेष पैकेज प्रदान किए जाने के बारे में श्री विष्णु चरण स्वैन से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में दसवां प्रतिवेदन। ...(व्यवधान)

12.07 hours

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
12th Report

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : मैं 'वाणिज्यिक हानियों को नियंत्रित करने के उपायों' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

12.07 ½ hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a)Status of implementation of the recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Corporate Affairs.

… (*Interruptions*)

(b)Status of implementation of the recommendations contained in the 74th Report of the Standing Committee on Finance on 'Economic impact of revision of natural gas price', pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay the following statements:- Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 74th Report of the Standing Committee on Finance on 'Economic impact of revision of natural gas price', pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.

… (*Interruptions*)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 3469/16/15 and 3470/16/15 respectively.

<u>12.09 hours</u>

(ii) Status of implementaiton of the recommendations in 8th Report of Standing Committee on Information and Technology on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

… (*Interruptions*)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3471/16/15

12.10 hours

BUSINESS OF THE HOUSE-Contd.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 14th of December, 2015, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.

2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Ordinance, 2015 (No.8 of 2015) and consideration and passing of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Bill, 2015.

3. Discussion on the Statutory Resolution seeking disapproval of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance 2015 (No. 9 of 2015) and consideration and passing of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2015.

4. Discussion and Voting on:
   (a) Supplementary Demands for Grants (General) for 2015-16 (Second Batch)
   (b) Demands for Excess Grants (General) for 2012-13.

5. Introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bills.

6. Consideration and passing of the following Bills:
   (a) The Atomic Energy (Amendment) Bill, 2015;
   (b) The Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2015 and,
   (c) The Sugar Cess (Amendment) Bill, 2015.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Submissions of Members for this Item have already been done. They are on record.

12.12 hours

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2015-16

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I rise to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 3472/16/15]

… (*Interruptions*)

12.12 ½ hours

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 2012-13

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I rise to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 2012-2013.

[Placed in Library, See No. LT 3473/16/15]

… (*Interruptions*)

12.13 hours

OBSERVATION BY THE SPEAKER

HON. SPEAKER: Now, we shall take up Item Nos. 17 and 18 together.

Hon. Members, as you are aware, the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015 was passed by Lok Sabha on 6th August, 2015 and laid on the Table of Rajya Sabha on 7th August, 2015. The Bill, however, could not be passed by Rajya Sabha during the last Session. Subsequently, an Ordinance, namely, the Negotiable Instruments (Amendment) Second Ordinance, 2015 was promulgated by the President on 22nd September, 2015. Rajya Sabha on 7th December, 2015 has returned the Bill, as passed by Lok Sabha, with some amendments.

Since the House has already approved the provisions of the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015 on 6th August, 2015, it will not be permissible now to go into the merits of the Bill again and the discussion should be confined to the amendments made by Rajya Sabha. The discussion on the Statutory Resolution should also be confined strictly to the issue of promulgation of the Ordinance.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह बिल बहुत छोटा सा है, इसलिए पहले इसे ले लेते हैं, फिर जीरो ऑवर लेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो वैल में खड़े हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, Kharge ji.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह ऐसे ही थोड़े होता है?

…(व्यवधान)

12.14 hours

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members went back to their seats.)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, ऐसा ही हो रहा है। …(व्यवधान)आप जानती हैं कि हमने कल भी यह इश्यू उठाया था कि, extremely objectionable, derogatory and defamatory language used by Shri Virendra Singh (Bhadohi) imputing direct and personal insults to the entire Parliamentary system, our democracy and our former Prime Ministers. यह सब होने के बावजूद आपने कहा कि उन्होंने जो कहा, वह गलत है और इसके लिए हमारा कोई एप्रूवल नहीं है। मिनिस्टर ने भी यह कहा कि उन्होंने जो कहा, वह गलत है। उसके बावजूद भी उन्होंने इस सदन में अपोलॉजी भी नहीं मांगी और न ही आपने उन्हें सस्पेंड करने की कोशिश की। …(व्यवधान) अगर इस मैम्बर को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वे ऐसे ही बात करते रहेंगे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बार-बार एक ही इश्यू मत उठाइये।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने आज फिर स्टेटमैंट दिया है और कन्फर्म किया है। …(व्यवधान)

उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे ही कहने वाला हूं, कोई कुछ भी कर ले, मेरी यह आदत है। यह उन्होंने कहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रोज-रोज एक ही बात कहते हैं।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : रोज-रोज एक बात नहीं है।…(व्यवधान) अगर ऐसे ही रहा, एटीट्यूड यही रहा और हमें आपकी तरफ से कोई संरक्षण नहीं मिला, हमारे नेताओं के खिलाफ अगर ऐसी बातें करते रहे, ऐसी गंदी बात करते रहे…(व्यवधान) अपने आपको श्रेष्ठ मानते हैं, जो कुछ वे कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा है, यह

कहते हैं।...(व्यवधान) आप उनको सस्पेंड कीजिए। ...* लिए कहिए। ...(व्यवधान) अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ...* कर रही है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, कोई नहीं कर रही है। No. I am sorry.

… (*Interruptions*)

मल्लिकार्जुन खड़गे : वह बार-बार बात कर रहे हैं। इतने मिनिस्टर्स बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं।...(व्यवधान) मैम्बर्स बात करते हैं फिर भी चुप हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रोज बार-बार एक ही बात करते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका माइक बंद हो जाएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सारी बातों पर वह चुप हैं। इसका मतलब है कि *...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत बात है, यह रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) ...*

माननीय अध्यक्ष : गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। कल मिनिस्टर ने खुद कहा है: "We do not support."

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बार-बार एक ही बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपका माइक बंद है।

...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं करनी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, कुछ कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, it is my repeated appeal that if one apology is enough to run the House, why is it not going to be made? Let one apology be made over here; let the House run smoothly. It is your intention that the House should run smoothly. I believe it that the House should run smoothly. Mr. Khargeji is there. For the last three to four days, this matter is being raised and the House is not being allowed to run properly. We have become part of it, no doubt. But why is this man getting support from the Government?.. (*Interruptions*) Why is it happening?… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप गारंटी ले रहे हैं कि ये और कोई इश्यु नहीं लाएंगे।

…(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : It is my submission..

माननीय अध्यक्ष : रोज कुछ भी इश्यु आ जाता है।

…(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : एक एपोलॉजी में हाउस चलेगा।

HON. SPEAKER: I do not know.

… (*Interruptions*)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : आप पहले एपोलॉजी के लिए कहिए फिर देखिए हाउस चलता है कि नहीं?…(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय अध्यक्ष जी, 543 सदस्य हैं, सब सदस्यों का अपना अधिकार है, विपक्ष में बैठे लोगों का भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, सदस्यों का अधिकार है।…(व्यवधान) आपके समक्ष निरंतर सदन के भीतर आकर शोरशराबा करके कांग्रेस के मित्र वाकआउट करते हैं।…(व्यवधान) अपनी बात रखकर चले जाते हैं। यह दोहरी नीति है…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं किसी को कम्पैल नहीं कर सकती। सौगत राय जी, आप जानते हैं। I cannot compel anybody.

… (*Interruptions*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सदन के बीच में आकर नारेबाजी की है। इसके बाद भी हम धैर्य के साथ सब बातें सुनते रहते हैं।...(व्यवधान) आज माननीय सदस्य के बारे में जो बात कही गई है, आपने निर्णय लिया है, जो कुछ उन्होंने कहा, आपने बाहर निकाल दिया। लेकिन बहाना बनाकर सदन की कार्यवाही बाधित करना अनुचित है।...(व्यवधान)

12.18 hours

(Then, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left he House)

12.18 ½ hours

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS (AMENDMENT) SECOND ORDINANCE , 2015
AND
NEGOTIABLE INSTRUMENTS (AMENDMENT) BILL, 2015

HON. SPEAKER: The House will, now, take up Item No. 17 and 18 together.

Shri N.K. Premachandran to move the Statutory Resolution -- Not there;

Shri Adhir Ranjan Chowdhury -- Not there.

Both of them are not there, now, the hon. Minister to move that the Amendments made by Rajya Sabha in the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015, as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to move:

> "That the following amendments made by the Rajya Sabha in the Bill further to amend the Negotiable Instruments Act, 1881, be taken into consideration:
>
> **CLAUSE 4**
>
> 1. That at page 2, *for* lines 25 to 28, the following be *substituted,* namely:-
>
>   "transferred to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015, shall be deemed to have been transferred under this Act, as if that sub-section had been in force at all material times.".

2. That at page 2, *for* lines 41 to 43, the following be *substituted*, namely:-

"Court, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015, before which the first case was filed and is pending, as if that sub-section had been in force at all material times."

CLAUSE 5

3. That at page 2, *for* line 44, the following be *substituted*, namely:-

Repeal and Savings. "5. (1) The Negotiable Instruments (Amendment) Second Ordinance, 2015, is hereby repeated.". Ord. 7 of 2015.

HON. SPEAKER: The question is:

"That the following amendments made by the Rajya Sabha in the Bill further to amend the Negotiable Instruments Act, 1881, be taken into consideration:

CLAUSE 4

1. That at page 2, *for* lines 25 to 28, the following be *substituted,* namely:-

"transferred to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015, shall be deemed to have been transferred under this Act, as if that sub-section had been in force at all material times.".

2. That at page 2, *for* lines 41 to 43, the following be *substituted*, namely:-

"Court, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under sub-section (2) of section 142, as amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015, before which the first case was filed and is pending, as if that sub-section had been in force at all material times."

CLAUSE 5

3. That at page 2, *for* line 44, the following be *substituted*, namely:-

Repeal and Savings. "5. (1) The Negotiable Instruments (Amendment) Second Ordinance, 2015, is hereby repeated.". Ord. 7 of 2015.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the amendments made by Rajya Sabha in the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015, as passed by Lok Sabha, be agreed to.

SHRI JAYANT SINHA: Madam, I beg to move:

"That the amendment Nos. 1 to 3 made by Rajya Sabha in the Bill, as passed by Lok Sabha, be agree to."

HON. SPEAKER: Motion moved:

"That the amendment Nos. 1 to 3 made by Rajya Sabha in the Bill, as passed by Lok Sabha, be agree to."

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, यह तो हमने डिसकशन कर ही लिया है। लेकिन मैं आगे के लिए कहना चाहता हूं कि सरकार का जो पार्लियामेट्री अफेयर्स विभाग है, ये दो सदन हैं, ये हमें मालूम है और राज्य सभा में हमेशा अमेंड होकर आता है और यह हमारी गरिमा के खिलाफ है। हमें दो बार करना पड़ता है। इसलिए सरकार की अगर थोड़ी दूरदृष्टि हो और नेगोशिएशंस करके ही अगर सरकार बिल लेकर आए और चाहे स्टैंडिंग कमेटी के जरिए ही ले आए तो हमें ये दुबारा नहीं करना पड़ेगा। यह लोक सभा के लिए भी सही नहीं है। उनकी बुद्धिमत्ता की मैं तारीफ करता हूं लेकिन सरकार की बुद्धिमता थोड़ी ज्यादा हो, ऐसी मैं मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट्स तो हमेशा ही होती हैं चाहे लोक सभा में हो या राज्य सभा में हो।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the amendment Nos. 1 to 3 made by Rajya Sabha in the Bill, as passed by Lok Sabha, be agree to."

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you Madam Speaker for allowing me to raise an issue on the floor of the House which affects almost half of the population of our country with regard to safety, security and more particularly, the social security of the work force who are in the unorganized sector.

Madam Speaker, we have almost 47 crore workforce in our country out of which about 40 crore are in the unorganized sector and this 40 crore workforce in the unorganized sector contributes to 60 per cent of our GDP but the unfortunate part is that a country like ours, where the workforce is contributing to 60 per cent of the GDP, hardly we are spending less than 2 per cent of our GDP for their safety and social security. In countries like USA, the spending is to the extent of 15 per cent of the GDP and in European Union, it is 30 per cent.

Madam Speaker, when the hon. Prime Minister took this office, he has repeatedly voiced his concern for this segment of society. The Government has also said it in various fora. While they have said that, there is no visible impact which has been reflected in the budgetary provision.

Madam Speaker, I will take the case of Odisha. The hon. Chief Minister of Odisha Shri Naveen Patnaik has taken a historic step in tackling the issue and gave several measures to tackle the issue of unorganized workforce.

Very recently, International Labour Organization has taken cognizance of it and has said that we must follow the Odisha model and they are working and trying to propagate to the whole country and to the entire world.

In this context, I would urge upon the hon. Prime Minister and also Government of India to take cognizance of this and see that the social security measures on the model of Odisha be adopted and at least 4 per cent of the GDP must be made as the provision for the social security and the Sates must be compensated as a matching contribution from the Centre for social security of the unorganized work force. Thank you Madam.

HON. SPEAKER: Dr. Kirit P. Solanki and Ravindra Kumar Pandey are permitted to associate with the issue raised by Shri Rabindra Kumar Jena.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं इस हाउस में उठाना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से समाचार-पत्रों में खबरें आ रही हैं कि जो नैरोबी में 15 से 18 दिसम्बर तक डब्ल्यू.टी. की ओर से मंत्री स्तर की कांफ्रेस होने जा रही है, उसमें बहुत चिंताजनक खबरें आई हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री, पंजाब ने भी माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है, जो शर्तें वे विकसित देश विकासशील देशों पर लगाना चाहते हैं, जैसे पब्लिक स्टॉक सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, उससे तो हमारा फूड सिक्योरिटी का संकल्प खत्म हो जाएगा। जैसे हम आटा, दाल सस्ता देते हैं। ऐसे ही एमएसपी को वे किसानों के लिए सब्सिडी के तौर पर ले रहे हैं और शर्त लगाई जा रही है कि वर्ष 1986 तक 1998 तक का 10 परसेंट से ज्यादा इनक्रीज नहीं हो पाएगा। इससे किसान की उपज का मूल्य बढ़ने की जगह कम हो जाएगा और यह किसान के लिए खुदकुशी की बात हो जाएगी।

तीसरी शर्त यह रखी जा रही है कि स्पेशल सिक्योरिटी अपने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देश लगा देते हैं, वे खत्म करना चाहते हैं। जो विकसित देश हैं, वे दादागिरी दिखाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 15 से 18 दिसम्बर को जो कांफ्रेंस हो रही है, भारत सरकार विकसित देशों की शर्तों के आगे न झुके और हमारा हाउस सर्वसम्मति से सरकार से निवेदन करे कि जो शर्तें लगाई जा रही हैं, उन्हें भारत सरकार किसी भी रूप में न माने तो किसान बच पाएगा, नहीं तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे सामने आने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री पी.पी. चौधरी, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी-मिर्जापुर मार्ग की हालत बहुत ही खराब है। कर्वी से लेकर बरगद की घाटी तक लगभग 100 किलोमीटर सड़क जगह-जगह से टूट चुकी है तथा भारी-भारी गड्ढे हो गए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। मऊ के आगे एक कम्पनी ने कार्य शुरू किया था, लेकिन कई महीनों से वह कार्य बंद पड़ा है। इसके फलस्वरूप सड़क उसी हालत में टूटी पड़ी है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाहाबाद में माघ मेला शुरू होने वाला है। चित्रकूट धाम को जोड़ने वाला यही प्रमुख मार्ग है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करवा कर अविलम्ब ठीक कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, मध्य प्रदेश के महाकौशल एवं विन्ध्य क्षेत्र की जीवनदायनी बरगी बांध सिंचाई परियोजना जिसकी दाई तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकता तय करके केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया था। मैं लगातार लोक सभा में उक्त मामले को उठाकर ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया है कि बरगी परियोजना से लगभग एक करोड़ से अधिक जनसंख्या को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। मुझे जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ने आधी-अधूरी जानकारी दी है। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि हमने सारी जानकारी अपनी तरफ से भेज दी है। वर्तमान में ईएफसी कमेटी उक्त परियोजना पर विचार कर रही है। उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु जलसंसाधन एवं वित्त मंत्रालय को निर्णय लेना है। वर्ष 2010 से जिसका निर्णय लम्बित है इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मेरी मांग है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में तत्काल शामिल किया जाए। इस योजना में पौने चार हजार करोड़ रुपए खर्च होने हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : महोदया, धनबाद एक औद्योगिक नगरी है और देश के हर राज्य के लोग यहां रहते हैं लेकिन ट्रेन में सुविधा नहीं है जिसकी वजह से मैंने पूर्व में भी माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था कि वहां 12938 गरवा एक्सप्रेस 2एसी में 2 बर्थ का कोटा और 3एसी में 2 बर्थ का कोटा एवं स्लीपर में 4 बर्थ का कोटा दिया जाए। 13425 मालदा-सूरत एक्सप्रेस में 3एसी में 4 बर्थ का कोटा और स्लीपर में 8 बर्थ का कोटा दिया जाए। 12942 पारसनाथ एक्सप्रेस जहां जैन धर्म के लोग हमेशा आते-जाते रहते हैं, इसमें 3एसी में 2 बर्थ का कोटा एवं स्लीपर में 3 एवं 2एसी का एक कोच इस गाड़ी में नहीं है, इसे भी शामिल किया जाए। 13351 एल्लपी एक्सप्रेस में 3एसी का एक अतिरिक्त कोच क्योंकि इस ट्रेन में अधिकतर लोग चिकित्सा हेतु मद्रास एवं वेल्लौर जाते हैं। 12321 मुम्बई मेल 2एसी में 2 बर्थ का कोटा, 3एसी में 2 बर्थ का कोटा एवं स्लीपर में 4 बर्थ का कोटा दिया जाए। इसमें अधिकर कैंसर के मरीज चिकित्सा हेतु मुम्बई जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन ट्रेनों में हमारी मांग के अनुसार कोटा बढ़ाया जाए।

श्री राजेश कुमार दिवाकर (हाथरस) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने विषय को थोड़ा-सा बदलना चाहूँगा। यह रेलवे से ही संबंधित विषय है।

माननीय अध्यक्ष : रेलवे से संबंधित है, तो ठीक है।

श्री राजेश कुमार दिवाकर : धन्यवाद महोदया। मेरे लोक सभा क्षेत्र हाथरस में पूर्वोत्तर रेलवे के कासगंज-हाथरस खण्ड के हाथरस सिटी स्टेशन के समीप समपार संख्या 309, तालाब चौराहे के बदले सहभागिता के आधार पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण जाम से निजात पाने के लिए जनहित में तत्काल प्रभाव से होना अत्यंत आवश्यक है।

हाथरस शहर के मध्य से आगरा-अलीगढ़ मार्ग गुजरता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 93 के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरी तरफ मथुरा-कासगंज रेलमार्ग भी आता है तथा इन दोनों की क्रॉसिंग शहर के मध्य में होती है। वहाँ समपार संख्या 309 स्थित है तथा इसके शहर के मध्य में स्थित होने के कारण आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर वाहनों की अतिव्यस्तता होने के कारण पूरे दिन भयंकर जाम की की समस्या बनी रहती है। कासगंज-मथुरा रेलमार्ग पर भी पूरे दिन सवारी गाड़ी और माल गाड़ियों को मिलाकर लगभग 20 से ज्यादा गाड़ियाँ पास होती हैं, जिससे समपार संख्या 309 का फाटक ज्यादातर बंद रहता है। सड़क मार्ग पूरी तरह से ठप हो जाता है। इसी क्रॉसिंग के नजदीक जिला अस्पताल होने के कारण आकस्मिक घटित दुर्घटनाओं में घायल मरीजों का आना भी कठिन हो जाता है। अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से उक्त स्थान पर शीघ्र ओवर ब्रिज बनवाने की मांग करता हूँ।

हाथरस किलां स्टेशन तक से दिल्ली एक मात्र एच.ऐ.डी. ट्रेन संख्या 54582 का प्रचालन होता है। हाथरस से दिल्ली तक आने में यह ट्रेन चार घंटे से ज्यादा का समय लेती है। इसमें महिला एवं बुजुर्ग भी सफर करते हैं। लेकिन इस एक मात्र ट्रेन में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : सभी समस्याएँ अभी रखेंगे?

श्री राजेश कुमार दिवाकर : मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इस एचएडी ट्रेन में शौचालय की व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से की जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री राजेश कुमार दिवाकर द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

सन् 1965 में सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के घिबली गांव में न्यूक्लीयर पावर स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था। वहाँ तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन फेज़ एक और दो स्थापित हुआ तथा फेज़ तीन और चार का काम चल रहा है। कालांतर में इस संबंध में और ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया। इस कारण से यहाँ के किसान, जो फारमिंग और फिशिंग से अपना गुजारा करते थे, उनके लिए अत्यधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी है। न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ने इन परिवारों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं किया। पावर कारपोरेशन के संयंत्र स्थापित होने के बाद मछुआरों का समुद्र में जाना प्रतिबंधित हो गया। इस कारण से मछली पकड़ने के संसाधन अस्त-व्यस्त हो गये। ढिबलीगांव के अधिकतर लोग बेरोजगार हैं और उनके परिवारों का भरन-पोषण कठिन हो गया है। एनपीसी द्वारा यहाँ के परिवारों के एजुकेटेड युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा किया गया था, जो आज पूरा नहीं किया गया है। लोगों में आक्रोश है। उनका जीवनयापन दूभर हो गया है।

अतः आपके माध्यम से, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ पालघर जिले के घिबली गांव के शिक्षित बेरोजगार युवकों को एनपीसी के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने लिए उचित कदम उठाये जाएं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

एक अति महत्वपूर्ण विषय को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। एम्स हमारा राष्ट्रीय अस्पताल है, जहाँ प्रतिदिन हजारों मरीज आते हैं और मरीजों की सुरक्षा तथा सुविधा का ध्यान रखना एम्स प्रशासन की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से ले, ताकि मरीजों को कोई तकलीफ न हो। इसी में एक विशेष बात सामने आयी है। एम्स, नई दिल्ली में दलित, आदिवासी और गरीब लोगों का शोषण होता है, यह जानकारी मुझे मिली है, इसलिए सदन में इसको रखना मेरे लिए जरूरी है। एक दलित की बेटी शशी मावर संकाय सदस्य है, उसका मानसिक उत्पीड़न होते रहता है और हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस केस में जातिगत उत्पीड़न मामला उठाते हुए महिला संकाय सदस्य को तुरन्त उसके पद पर बहाल करने का निर्देश दिया, लेकिन फिर भी यह मामला लम्बित पड़ा है और आयोग के फैसले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय मंत्री जी यहां हैं, मंत्री जी इस मामले में, मैं मानता हूं प्रोग्रेसिव हैं, तो जरूर इसका ख्याल करेंगे। एम्स प्रशासन आयोग के फैसले को लागू करने में जरूर तत्परता दिखाएगा। आए दिन आम आदमी की चिकित्सा के बारे में एम्स में लापरवाही की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। लोगों को,

खासकर बिहार राज्य एवं अन्य गरीब राज्यों में मरीजों को बहुत परेशानी होती है, जो मरीज असाध्य रोग से पीड़ित हैं चाहे वे कैंसर, टीबी या हार्ट के मरीज हों, ऐसे सैकड़ों मरीज आते रहते हैं, उनके लिए वहां बेहतर इलाज की सुविधा हो, मैं यह भी मांग करता हूं। साथ ही, आज मैंने जिन सवालों को उठाने का काम किया है, एम्स में इस सवाल को जनहित अभियान के सदस्य भी उठाते रहे हैं। अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगा कि दलित, गरीब, पिछड़े वर्ग के जो भी लोग हैं, उनको सम्मान मिले। एम्स में उनका जो हक है, उसके साथ कोई जुल्म न हो, अत्याचार न हो, यह देखना केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी है। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी जरूर इन मामलों को गंभीरता से लेंगे और इन पर विचार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने एम्स का जो मुद्दा उठाया है- शशी मावर का, उससे मैं अवगत हूं और उनसे एसोसिएट करता हूं। माननीय मंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन एम्स प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता है। आए दिन वहां पर डिसक्रिमिनेशन होता है।

आपने आज मुझे जो बोलने का मौका दिया है, मैं अपनी बात की शुरूआत करता हूं वाजपेयी जी की सरकार से।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह जीरो आवर है, थोड़े समय में बोलना है।

डॉ. उदित राज : मैडम, मुझे मालूम है, मैं दो मिनट के अंदर ही, उतने ही समय में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

मैडम, वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए। उस समय पूरे देश के कर्मचारी-अधिकारी मेरे नेतृत्व में इकट्ठा होते थे, वर्ष 1997 से 2000 तक और उस समय जब मैं वाजपेयी जी से मिला तो उन्होंने कहा कि करे कौन, भरे कौन अर्थात जो पांच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे, वे गुजराल और देवगौड़ा जी की सरकार के समय में हुए थे। वाजपेयी जी का बड़ा ह्रदय था, उन्होंने तीन संविधान संशोधन किए, वर्ष 2001 में 85वां संविधान संशोधन हुआ, लेकिन संशोधन का सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया और सुप्रीम कोर्ट की पांच जजेज वाली पीठ के सामने वर्ष 2006 में सुनवाई हुई। इस मामले को नागराज केस के नाम से जाना जाता है। सरकार ने ठीक से पैरवी की, अमेंडमेंट बचा तो जरूर, लेकिन उसमें अगर-मगर लगा दिए गए, जिसकी वजह से तमाम भ्रम पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारियों

का डिमोशन इसी आधार पर हो रहा है। जिस तरह से न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, चाहे नेशनल जुडिशियल एप्वाइंटमेंट्स कमीशन की बात हूं। मैं पहले भी इस बात को उठा चुका हूं कि गुजरात हाईकोर्ट के जज ने कहा कि आरक्षण और करप्शन देश को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने आरक्षण और करप्शन की तुलना की है। मैं उनको कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रखिए।

डॉ. उदित राज : आरक्षण से देश का फायदा हुआ है। इससे दलितों की, गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ी है, उन्होंने वस्तुएं खरीदी हैं, जिनसे कारपोरेट हाउसेस डेवलप हुए हैं। इससे धन का उपार्जन हुआ है, देश की जीडीपी बढ़ी है, ग्रोथ रेट बढ़ी है। जो जज महोदय कह रहे हैं कि इससे देश बर्बाद हो रहा है, वह गलत कह रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता वाले जजेज पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए। आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।

डॉ. उदित राज : मैडम, यह 30 करोड़ जनता का अपमान है, दलितों-आदिवासियों का अपमान है। एक जज का यह कहना कि रिजर्वेशन और करप्शन देश को बर्बाद कर रहे हैं, गलत है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Madam Speaker, I thank you for allowing me to speak on a very important issue involving about 40,000 degree colleges in India and the non-teaching staff who are being given district level scale of pay which is much lower than the State Government's directorate level of pay.

My request to the Ministry of Human Resource Development, Government of India and the University Grants Commission is to bring these employees, who number about 10 lakhs in India, under the purview of the UGC norms so that they can get Central Government scale of pay. They are working in all fields and providing assistance to students in research work and doing administrative job, accounting and computer operations. They are doing every kind of work, but the scale of pay given to them is not commensurate with the workload given to them. So, my humble request is that they should be brought under the UGC norms and paid Central Government scale of pay so that they can enjoy the minimum standard of life. I would reiterate that their number is more than 10 lakhs and they are employed in 40,000 degree colleges in India.

Madam, I raise this issue through you and request the Union of India and UGC to meet their grievances.

Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Naba Kumar Sarnia, Dr. Manoj Rajoria, Shri Keshav Prasad Maurya and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Ram Prasad Sarmah.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़-छत्तरपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 76 निकलता है, जोकि कोटा से शिवपुरी, झांसी, हरपालपुर होते हुए मिर्जापुर जाता है। हरपालपुर नगर के बीचों-बीच रेलवे लाइन है। शहर के बीच में से रेल लाइन जाने से शहर का आधा हिस्सा इस तरफ और आधा हिस्सा उस तरफ हो जाता है। इस कारण रेलवे फाटक बंद होने से बसों और ट्रकों का लम्बा जाम लग जाता है। हरपालपुर नगर का शासकीय अस्पताल उस तरफ पड़ता है, सरकारी डिग्री कॉलेज भी उस तरफ है, कृषि मंडी समिति भी उस तरफ है और बाज़ार का काफी हिस्सा भी उस तरफ होने से लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार कोई गम्भीर रूप से बीमार हो जाए, तो उस मरीज

को अस्पताल ले जाने के लिए रेलवे फाटक बंद होने से कोई दूसरा मार्ग नही है। इस वजह से कई बार मरीज दम तोड़ देते हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि हरपालपुर नगर में और रेल फाटक पर, जो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है, वहां रेलवे ओवरब्रिज बनाने की शीघ्र पहल की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, आज शून्य काल में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जिस तरह से प्रधान मंत्री निरंतर हाइवेज़ की चर्चा करते हैं, हरियाणा प्रदेश में मेरे लोक सभा क्षेत्र में नेशनल हाइवे नम्बर 10 को सिक्स लेन करने का कार्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से हिसार से सिरसा, डबवाली तक 150 किलोमीटर सिक्स लेन की जाएगी। इसके बीच में महाराजा अग्रसेन का धाम अग्रोहा भी आता है। सरकार अग्रोहा के बीच में से सिक्स लेन शुरू कर रही है, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा छोटी दुकानें टूटेंगी और 500 घरों को नुकसान होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करूंगा कि अग्रोहा से बाईपास बनाकर उन लोगों को, उनकी प्रापर्टी को छोड़ने का काम सरकार करे, जिससे उनका घर भी चलेगा और रोज़गार भी चलेगा।

साथ ही साथ इसी पैच के अंदर हांसी का बाईपास बन रहा है, छः साल पहले उसकी लैंड एक्वीजिशन हुई थी। छः साल से निरंतर वहां के लोगों ने नए लैंड एक्वीजिशन के तहत अपना मुआवजा बढ़ाने की अपील की थी, जो हमारे डी.आर.ओ. और ए.डी.सी. के पास पेंडिंग पड़ी है। मंत्री जी उसकी जांच कराएं कि क्यों वहां पर एक व्यक्ति को एक एक़ड़ का 21 लाख रुपए मुआवजा दिया गया और दूसरे व्यक्ति को 51 लाख रुपए देने का काम किया। इसे चेक कराकर बराबर का मुआवजा देने का काम किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity to raise an important issue. I am also very happy that today when I am raising this issue, hon. Minister Shri Kiren Rijiju is sitting in front of me as this is directly coming under the action of the Home Ministry.

Madam, I am going to raise an issue of denial of Fundamental Right to a section of people of Lakshadweep, precisely the Minicoy Island of Lakshadweep.

The Minicoy Island is the nearest island to the Maldives. Unlike other islands, the Minicoy Island shares a typical culture, that is, all the programmes are organised by villages headed by the Moopan of that village. Likewise, from time immemorial, there were total eight villages existing in the Minicoy Island, namely, Fallessery, Kudehi, Funhilol, Aloodi, Sedivalu, Rammedu, Boduathiri and Aoumagu villages. In 1924-1925, from these eight villages, a village called Bada was formed from Aoumagu village due to a difference of opinion.

Madam, you give me a little more time as I am just going to raise the issue. You are always giving me time, and I am also thankful to you, Madam.

माननीय अध्यक्ष : वह इसलिए कि मैंने लक्षद्वीप को देखा है और वहां की समस्याओं को समझा है।

MOHAMMED FAIZAL: Yes, Madam. Thank you very much. I know that you have a good concern for Lakshadweep. I should also mention here that the people of Lakshadweep also are very happy with you that you are giving me time for raising their issues.

In the 1960s, a village called Kendyparty was formed from a village called Fallessery village and in 1977 a village called New Boduathiri village was formed from the village Boduathiri. Now, the issue comes here. In 1977 this New Boduathiri village was formed, and prior to that the Lakshadweep Administration was carrying out all the socio-economic development process through this village system by calling the Moopan / leader of the village for implementing all these things in a speedy way. But I do not know what went wrong in 1977 when the New Boduathiri village was formed that only this village was not being invited for any official functions or they were treated in such a way as if the Administration was promoting untouchability. The village have very good village houses. Hon. former Defence Minister Shri George Fernandes visited there, Shri Maqbool Dar visited there and even Shri Praful Patel visited there. There are around 700 people living in that village in a peaceful and tranquil manner.

The issue that I am raising now is very touching to my heart also. I hope that Shri Kiren Rijiju is listening very carefully to me. The invitation given to the

Moopan/leader of the New Boduathiri village whose children are studying in Navodaya Vidyalaya in Minicoy was taken back and they were ill-treated by stating that they are not supposed to come to the function.

This village has all the rights like ration card, electricity connection, telephone connections, etc. in the New Boduathiri village's Moopan's name. When I became the MP, I wrote to the Minister of State for Home, Shri Kiren Rijiju, who is sitting here. I still have the letter with me. On 2 December, 2014 I wrote a letter raising this issue, and the hon. Minister had taken it very seriously and asked the comments of the Lakshadweep Administration. I strongly believe that based on my letter, a Committee was constituted which I feel only to delay the process. Why I feel so is, because in 2002 the then Administrator Shri K. S. Mehra was there and there was a detailed deliberation/ order given to the entire people of Minicoy that no such villages has been recognized by the Administration and that it is a customary practice. So, if all the 10 villages are invited, then the New Boduathiri village should also be invited along with them. But that order was not carried out till date. Thereafter, I have raised this issue before the present Administrator, Shri Vijay Kumar also. Now, on this 26 and 27 December … National Minicoy Festival is going to happen.

HON. SPEAKER: Now, you have to come to the point.

MOHAMMED FAIZAL : Yes, Madam, I am concluding. The National Minicoy Festival is being organized, and I had invited the hon. Minister also for that festival. It is a national event where the Rajiv Gandhi rowing competition is happening, and when the entire village is in a celebration mood, only this particular village is not invited for it. I requested the Administrator to include this village also for this function. It will be a fair opportunity given to this village. Therefore, I would urge the Government and the hon. Minister to implement the order of the Administrator, Shri K.S. Mehra, issued in 2002 treating everyone equally and at par with others, which will bring harmony to the Island.

That is all I wanted to say, and I thank you for giving me this opportunity.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri P.P. Mohammed Faizal.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, मुंबई में The National Textile Corporation was formed in the year 1968. यह इसलिए बनाया गया था कि वस्त्र उद्योग की जो सारी मिले हैं, वे उस वक्त बुरी हालत में थीं। उनको पनर्जीवित किया जाए, उनको ताकतवर बनाया जाए, इसलिए इस National Textile Corporation को बनाया। आगे चल कर सन् 1977 तक उसके पास 119 मिलें आईं। इसके बाद में उन्होंने 77 मिलें बंद कर दीं, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो सकता। मुंबई में आज 24 मिलें उनके पास हैं, उसमें से सिर्फ चार मिलें चल रही हैं। बाकी मिलें बंद पड़ी हुई हैं। National Textile Corporation जब बना था, उसका उद्देश्य उनका रिवाइवल और मॉर्डनाइज़ेशन करना था। इन्होंने दस या पंद्रह प्रतिशत थोड़ा सा मॉर्डनाइज़ेशन किया है। लेकिन पूरा मॉर्डनाइज़ेशन आज भी नहीं हो रहा है। इस स्थिति में National Textile Corporation के अंदर जो पुरानी इमारते हैं, जैसे दिग्विजय मिल हो, इंडिया यूनाइटिड मिल हो, इन पुरानी इमारतों को पुनर्जीवित करने के लिए भी कुछ प्रयास करने की आवश्यकता थी। भारत माता थिएटर, आप जनती होंगी, उसके पीछे जो इंडिया युनाइटिड मिल है, इन्होंने भास्कर कर के एक अखबार निकलता है उनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी कदम नहीं उठाए हैं। आज ऐसी हालत है कि यह इमारत गिर जाएगी। उसके ऊपर भी ध्यान देना हैं। जिन कर्मचारियों ने वीआरएस लिए हैं, उन्होंने एग्रीमेंट के तहत किया है। उसमें भी भ्रष्टचार हो रहा है। वीआरएस देने के बाद भी छह-छह महीने तक उसकी वीआरएस को मान्यता नहीं दी जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को भी न्याय दें और इन इमारतों के पुनर्जीवन और मॉर्डनाइज़ेशन की बात है, उसके ऊपर जल्दी ध्यान देकर उसका काम शीघ्र करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल शेवाले, श्री विनायक भाऊराव राऊत, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री चन्द्रकांत खैरे, श्री संजय हरिभाऊ जाधव एवं डॉ. रविन्द्र बाबू को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, मैं माननीय उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मामलों के मंत्री का ध्यान देश में हैल्थ सप्लिमेंट के नाम पर बिक रहे कैप्सूल, टैबलेट एवं अन्य जैल की बिक्री की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो कि 70 प्रतिशत से अधिक गुणवत्ता के आधार पर सबस्टैंडर्ड के पाए जाते हैं और वह आईएसआई मार्का से अधिकृत किसी भी कंपनी द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। आज भारत में इन हैल्थ सप्लिमेंट्स का बाजार दो अरब मिलियन डॉलर का है, जिसके सन् 2020 तक चार अरब मिलियन डॉलर

तक बढ़ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यद्यपि भारत सरकार ने हाल ही में बिज़नस ऑफ स्टैण्डर्ड ब्युरो के अंतर्गत वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक कठोर कानून पास किया है, जिसके अंतर्गत न केवल वस्तुओं की क्वालिटी बनाए रखने का प्रावधान है, बल्कि उलंघन करने वाली कंपनियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहुंगा कि इन सबस्टैण्डर्ड हैल्थ सप्लिमेंट के नाम पर धड़ल्ले से जो बिक रहे हैं और ऐसी कंपनियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं डॉ. मनोज राजोरिया को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ई-क्रांति के बाद में ई-मेल के द्वारा कनवर्ज़ेशन, ई-मेल वार्तालाप और ई-मेल काग़ज़ों का आदान-प्रदान बहुत कॉमन हो गया है। भारत सरकार ने भी अपनी ई-मेल पॉलिसी की गाइडलाइंस अक्टूबर, 2014 में विभिन्न सरकारी अधिकारियों के लिए जारी की थी कि सारे सरकारी अधिकारी अपने सरकारी कामकाज का ई-मेल का आदान-प्रदान थ्रू एनआईसी की साइट करें। ऐसा संज्ञान में आया है कि अभी भी अनेक सरकारी अधिकारी अपने सरकारी कामकाज में जीमेल या याहू का एकाउंट यूज कर रहे हैं। अनेक सरकारी दफ्तरों की वेबसाइट्स में भी यदि देखा जाए तो अधिकारियों के कांटैक्ट लिस्ट में जो ई-मेल दिया गया है, वह याहू और जीमेल या अन्य एड्रेस दिए गए हैं। इन सब कारणों से सारा कनवर्सेशन हैक होने या उसके मिसयूज होने की संभावनाएं बनी रहती हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो अक्टूबर, 2014 में गाइडलाइन जारी की है, उसका इनफोर्समेंट पूरी तरीके से हो। इस दिशा में काम किया जाए ताकि देश की किसी भी आधिकारिक सूचना का मिसयूज न हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सी.आर.चौधरी, श्री अर्जुन लाल मीणा, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ। जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म के नाते बहुत से ऐसे स्थान है, जिनको यदि डेवलप किया जाए, तो वहाँ के नौजवानों को

रोजगार भी मिल सकता है और जो देश-विदेश से टूरिस्ट आते हैं, उनका मनोरंजन भी वहाँ पर होता है। पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से ही ये स्थान इगनोर होते रहते हैं। जम्मू-कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है, जो अपने पैर पर खड़ा नहीं है और वह केन्द्र पर ज्यादा निर्भर रहता है। विशेष तौर पर मैं गृह मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारा सुचेतगढ़ बार्डर है, जो आर.एस.पुरा तहसील में पड़ता है, वह ऑलरेडी टूरिज्म मैप में है। अगर यहाँ पर वाघा बार्डर की तर्ज पर बीएसएफ की परेड कराई जाए तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ जम्मू-कश्मीर प्रदेश को, हमारे नौजवानों को और खास तौर पर जो टूरिस्ट देश-विदेश से आते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और भारत-पाक के रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं। टूरिज्म के नाते भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और नौजवानों को रोजगार भी मिल सकता है। मेरी आपके माध्यम से यह गृह मंत्रालय से प्रार्थना है, शायद यह इनके विचारधीन भी है, लेकिन अगर इस पर तुरन्त कार्रवाई करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर यहाँ पर बीएसएफ की परेड शुरू कराते हैं तो इसका बहुत बड़ा जम्मू-कश्मीर को मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। यह सीट देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की भी थी, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। वहाँ बहुत सारी समस्यायें हैं।

मैं आज रेलवे से संबंधित कुछ विषय आपके संज्ञान में लाते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इलाहाबाद शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है। रेलवे ने एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। इलाहाबाद में झूंसी एक स्थान है, वहाँ रेलवे की बहुत लैंड भी है। मैं आपके माध्यम से रेलवे का विश्वविद्यालय वहाँ खोलने की माँग करता हूँ। पूर्व में वहाँ पर एक रेल कोच फैक्ट्री स्वीकृत हुई थी, लेकिन बाद में वह कहाँ चली गई, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई उत्पादन की इकाई हो सकती है। वह बहुत बड़ा शिक्षा का हब है, बड़ी संख्या में वहाँ से शिक्षित बेरोजगार निकलते हैं, उनके लिए एक ऐसा केन्द्र बन जाए, उत्पादन की कोई ईकाई स्थापित हो, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद से एक दूरंतो ट्रेन चलती है, वह प्रतिदिन नहीं चल रही है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि दूरंतो को प्रतिदिन किया

जाए। भुवनेश्वर और राँची के लिए राजधानी का इलाहाबाद में ठहराव किया जाये। उसे प्रतिदिन कर दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष : पूरे रेल मंत्रालय की बात आप कर रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद मौर्य: महोदया, मैं बस एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे आधा मिनट दीजिए। …* शायद सभी सदस्य इससे सहमत होंगे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आई ऐम सॉरी। आप बैठिए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भोला सिंह(बेगूसराय) : महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। बेगूसराय पाँच नदियों का जिला है। जिस तरह से पंजाब को पंचनद कहा जाता है। बेगूसराय भी पंचनद के नाम से विख्यात है।

माननीय अध्यक्ष : आजकल बेगूसराय का भाग्य जोरों पर है, रोज नम्बर आ रहा है।

डॉ. भोला सिंह : दुर्भाग्य है कि जो ये नदियाँ हैं, नमामि गंगा, बूढ़ी गंडक, बलान, बैंती, बाया, इनका पानी तो अमृत है, पर इसके नीचे का पानी आर्सेनिक से भरा हुआ है। इलाके का अवाम, लगभग 10 लाख लोग, इन नदियों के किनारे जो बसे हुए हैं, उन्हें टी.बी., कैंसर, घेंघा आदि रोग हो रहे हैं। वे पानी की जगह पर जहर पी रहे हैं। हमारी भारत सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित है और एक अच्छी सूरत में लोगों को वह चाहती है।

13.00 hours

मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि उस इलाके में सरकार शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे। दूसरी बात यह है कि जो नदी का पानी है, उससे सिंचाई की व्यवस्था करे और तीसरी बात यह है कि इस नदी के चलते जो भूमि का कटाव हो रहा है, उससे सुरक्षा प्रदान करे। मैं इस ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I stand here to refer to an issue and I am conscious about that issue and I think the Government is also conscious about it. But I do not know where to start and where to end and what to say and what not to say. The issue is relating to Indira Sagar multipurpose project

---

* Not recorded.

that is being constructed by Government of Andhra Pradesh on river Godavari about 42 kilometres upstream of the famous Godavari Barrage, popularly known as Sir Arthur Cotton Barrage.

Various clearances have been given to Polavaram project either in violation of the GWDT award or not in conformity with national standards and norms. Government of Odisha and Chhattisgarh were not invited at the time of TAC clearance of the project by the CWC and the environment and forest clearance of the Ministry of Environment and Forests. The views of Odisha were not considered by the Ministry of Tribal Affairs before giving the R&R clearance to the project.

Three Ministries of the Government repeatedly have been going against the interest of the tribal people of Malkangiri which is the remotest District and a Maoist affected District of our country. This has happened continuously. In 2005, one clearance was given by CWC. And subsequently, Ministry of Environment and Forests had given clearance. And very recently, Ministry of Tribal Affairs also has given clearance. On these three issues, of course the Odisha Government has gone to the Supreme Court. The Case is pending and the Odisha Government is fighting it out there.

Why I wanted to raise it as an Adjournment Motion was, I have also given a Calling Attention notice, so that we can get a response from the Government. Two days back or yesterday, Minister of Water Resources has come out with a statement outside the House. It is in the electronic media. Our demand is let the Government come to the House and tell us what its position is. That is why I have raised it here. Whatever she said is her opinion. That is a suggestion which she has given. But at least that suggestion is from the Government. She has said, let both the Chief Ministers sit and discuss. But our concern is, the Central Government has become a party instead of becoming an arbitrator, as I cited, through the three Ministries. We should have been called.

As per the tripartite agreement, Godavari river is a riparian river. In 1978 and 1980, two agreements were conducted. In both the agreements it was stated that respective Government of Odisha, respective Government of the then Madhya Pradesh now Chhattisgarh, should be consulted on every matter. There are specific laws relating to protection of tribals because these are scheduled areas as per the Constitution. A schedule area means when certain people are being displaced, when certain forest area is being inundated, specific law comes into force. That has not been done.

Now the Government of Telangana also has intervened in Supreme Court because their area also is a tribal area, is a scheduled area. Therefore, my concern here is, Government should desist from becoming a party to this issue. Government should come out with a statement. And we will appreciate if it becomes the arbitrator. It can call all the three Governments together and sit down and discuss and find a solution.

We are not against the Polavaram project. I had said that at the initial stage when this 16th Lok Sabha was formed. But today I am forced to say, stop the construction of this project. Until and unless it is stopped, we cannot find a solution to the issue that we are raising again and again. Therefore, I would say, stop it. There are alternative methods which the Government can consider. The initial agreement was that because this project is being constructed in Andhra Pradesh, the height of the dam would be such that it will not inundate a single inch of Odisha. Unilaterally, a decision was taken and it has been approved surreptitiously by the Central Water Commission. Now a large area is being inundated and tribal people are affected.

Therefore, my earnest request to the Government is that they should come with a Statement. Hon. Speaker Madam, my request to you is to allow us a Call Attention Notice so that at least the Government can come up with a Statement and we can put forth our viewpoint more conveniently. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह कोई डिस्कशन का विषय नहीं है। उन्होंने कोई एलीगेशन भी नहीं किया है। Shri Rabindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issues raised by S/Shri Ravindra Kumar Jena, Prem Singh Chandumajra, Bhairon Prasad Mishra, Dr. Virendra Kumar, Dr. Udit Raj, Shri Rattan Lal Katheria, Shri Rajendra Agarwal and Shri Ram Kishore Sharma.

____

13.06 hours

SUGAR CESS (AMENDMENT) BILL, 2015*

HON. SPEAKER: Now we take up the Supplementary List of Business. There is only one item in the list, the introduction of Sugar Cess (Amendment) Bill.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Sugar Cess Act, 1982."

The motion was adopted.

श्री राम विलास पासवान: महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करता हूं।

HON. SPEAKER: Now the House stands adjourned to meet again at 14:10 pm.

13.07 hours

The Lok Sabha then adjourned till Ten Minutes past Fourteen of the Clock.

---

* Published in the Gazette of India,Extraordinary Part-II, Section 2 dated 11.12.2015.

14.12 hours

The Lok Sabha reassembled at Twelve Minutes past Fourteen of the Clock

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

DISCUSSION UNDER RULE 193
Drought situation in various parts of the country....Contd

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up further discussion under Rule 193 on drought situation in various parts of the country, Shri Nana Patole.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में बीते दस-पन्द्रह सालों से किसानों के ऊपर आपत्ति आ रही है और उसी के बारे में लोक सभा में कई बार चर्चा भी हुई है और उसके उपायों की भी बात हुई। पिछले साल भी भारत का 50% हिस्सा सूखे में था। इस साल वह 60% पर गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग प्रकृति को समझ सकते थे। उसी के आधार पर हमारे देश में जितने भी वित्त आयोग बने, उसमें हमने सिंचाई योजनाओं की घोषणा की। लेकिन, आज भी हम देखते हैं कि अपने देश में सिंचाई की सिर्फ 33% व्यवस्था की गयी है। अगर पिछले 65 वर्षों से हमारे कृषि क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गयी होती, तो आज हमें सूखे का सामना नहीं करना पड़ता। आज देश में इसकी वज़ह से बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या हो रही है। उसी की वज़ह से सरकार और हम सब जनप्रतिनिधि यह सोच में पड़े हैं कि ये आत्महत्याएं कैसे रोकी जाएं। आत्महत्या का जो कारण बताया गया है, उसमें कर्ज़, फसलों की हानि, प्राकृतिक आपदा, क्षतिग्रस्त उत्पाद, वैकल्पिक आय में असमर्थता इत्यादि। एन.सी.आर.बी. की जो रिपोर्ट आती है, अगर उसके आधार पर उपाय किए गए होते, तो आज तक हम लोग किसानों को सही राह देने में सफल हुए होते। यह सब सहायता किसानों को नहीं दी गयी। इससे हमारा किसान गरीब हुआ। गरीब होने की वज़ह से वह अपना कर्ज़ चुका नहीं सका। उसके पास खेती करने के लिए पैसे न होने की वज़ह से, उसके बच्चों की पढ़ाई व उनकी शादी की व्यवस्था के लिए उसके पास पैसे न होने की वज़ह से किसानों ने आत्महत्या करना शुरू किया।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम रेनफाल देखते हैं तो हर साल हमारी बारिश कम होती जा रही है। जैसे पहले के जमाने में जून के महीने में बारिश होती थी, तो अब वह अगस्त महीने में चली गई है। किसान जून

महीने में खेती की तैयारी करता है, लेकिन समय पर बारिश न होने की वजह से हर बार जो वह बिजाई डालता है, उसमें उसको दो-तीन बार पेमी करना पड़ता है। मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि किसान को बारिश का जो अंदाज रहता है, उसके बारे में जो भी हवामान खाते के माध्यम से बताया जाता है, वह प्रॉपर नहीं बताया जाता है। मैंने पिछली बार सूखे पर चर्चा के समय कहा था कि दुनिया में हमारा साइंस इतना आगे चला गया है कि अगर बिजली गिरती है तो कहां पर, कितने बजे गिरने वाली है, उसका अंदाजा बताया जाता है। हमारे देश में आज बिजली से मरने वालों की संख्या बड़े पैमाने में है। बारिश का अंदाज आज भी हमें नहीं है। हम लोग अंदाज बताते हैं। हवामान खाता हमें अंदाज बताता है कि आज बारिश गिरने वाली है, लेकिन बारिश आठ दिन के बाद गिरती है। इन सभी चीजों के अगर प्रॉपरली सरकार द्वारा सुनियोजित किया गया तो निश्चित रूप से किसानों को हम लोग ताकत दे सकते हैं।

मंत्री महोदय निश्चित रूप से अपने जवाब में कहेंगे कि इस सब की व्यवस्था में सरकार पहल कर रही है। कृषि का धोरण अंग्रेजों के जमाने का है। हमारी सरकार आने के बाद उसके बारे में थोड़ा बदल करने की पहल सरकार ने की है, लेकिन पिछली सरकारों के द्वारा कोई पहल न करने की वजह से किसान के लिए जो फसल का इंश्योरेंस निकाला जाता है, उसका मुआवजा भी उसे नहीं मिलता है। वर्ष 1937 में अंग्रेजों ने इसे बनाया था। अगर किसान की कम फसल होती है तो भी सोलह आने फसल हो गई और उसी के आधार पर किसान को इंश्योरेंस की पॉलिसी उस फसल के लिए नहीं मिलती है और किसान का नुकसान होता है।

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister is going to reply at 2.30 p.m. The House has to take up Private Members' Business at 3.30 p.m. The hon. Minister requires minimum one hour to reply to the debate. There are three more speakers to speak. Therefore, please cooperate and talk only about the points you wish to raise.

श्री नाना पटोले : इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में यहाँ पर मंत्री महोदय को क्लियर करना चाहिए। हमारे मंडल में पूरे एरिया में यदि फसल का नुकसान होता है तो ही किसान को मुआवजा दिया जाता है। जिस किसान ने फसल का बीमा कराया हो, उस किसान का अगर नुकसान होता है तो सैटेलाइट के आधार पर उस किसान को हम इंश्योरेंस का मुआवजा दे सकते हैं क्या? उसके बारे में भी सरकार को यहाँ बताना चाहिए।

महोदय, मैं विशेषकर यह कहूँगा कि हमारी 12वीं योजना हो, 13वीं योजना हो, 14वीं योजना हो, एआईबीपी के आधार पर हमने सिंचाई के लिए लक्ष्य बनाया था। मुझे जानकारी है कि 12वीं योजना में हमने 24 लाख हैक्टेअर जमीन का लक्ष्य बनाया था। हमारा जो पैसा राज्य सरकार में जाता है, उस पैसे का क्या

सही इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या उसका कंट्रोल केन्द्र सरकार के हाथ में है? जब भी हमारे सवाल का जवाब आया है तो हमें यही मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार ने उसमें क्या किया, उसकी हम जानकारी करेंगे और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे।

महोदय, केन्द्र सरकार का पैसा राज्य सरकार, क्योंकि मैं जिस महाराष्ट्र राज्य से आता हूँ, पिछली सरकार ने 70 हजार करोड़ रूपए सिंचाई योजना के लिए खर्च किया। वहां जब नए मुख्यमंत्री बने तो उन्हें रिपोर्ट दिया तो माइनस 1.70 हजार करोड़ में इरीगेशन की सुविधा हुई। इस तरह से अगर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजना में होगा तो किसान के नाम से पैसा जाएगा, लेकिन किसान को उसका फायदा नहीं होगा और किसान आत्महत्या करेगा। मैं कृषि मंत्री जी से इस चर्चा के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि आप किसान को बचाने का कार्य कीजिए।...(व्यवधान)

महोदय, मैं खुद किसान हूँ। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज तक तीन लाख से ऊपर किसानों ने आत्महत्या की हैं। मैं कृषि मंत्री जी से इतना ही कहूँगा कि आज की चर्चा के माध्यम से जो आपका जवाब आएगा, उसमें किसान को न्याय मिलेगा, यही जवाब मुझे मिलना चाहिए। मैं यही आपसे अनुरोध करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*[*] **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) :** वेदकाल के ऋषि मुनियों ने पर्यावरण संतुलन के दृष्टिगत नदियों, जंगलों पशु-पक्षियों सहित पूरे संसार की ओर देखने की सह-अस्तित्व की विशिष्ट अवधारणा को विकसित किया। इसी कारण देश में प्रकृति को समझने की व उससे व्यवहार करने की परंपरा जन्मी। लेकिन पिछले 40-50 वर्षों में अनियंत्रित विकास और औद्योगिकीकरण के कारण प्रकृति के तरल स्नेह को संसाधन के रूप में देखा जाने लगा, श्रद्धा-भावना का लोप हुआ और उपभोग की वृत्ति बढ़ी। लिहाजा कई नदियां जो बारहमासी बहती थी वह गर्मी का मौसम आते-आते ही दम तोड़ देती हैं, कई सूख जाती हैं तो कई नाले का रूप धारण करती हैं, यदि उनमें जल भी रहता है तो वह पीने लायक भी नहीं रहता। मौसम में थोड़ी सी भी ज्यादा बरसात से हमारे चमक-दमक वाले शहर दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई के साथ-साथ छोटे-छोटे शहर भी डूबने लगते हैं। पानी के सड़कों पर जमा होने से हल्ला हो जाता है। हमारे इन सभी आधुनिक बन गये शहरों में 30-40 साल पहले तक सुन्दर तालाब हुआ करते थे और शहर में होने वाली वर्षा के अतिरिक्त जल को अपने में रोक कर पहले उसे बाढ़ से बचाते थे और छः महीने बाद आने वाले जल संकट को थामते थे। लेकिन जमीन के प्रति हमारी लालच और हमारी राजनीति ने इन सब पर कब्जा किया और तालाब की जगह सुंदर जगमगाते मॉल, बाज़ार हाउसिंग सोसायटी आदि बना दिये। इसलिए दो घंटे में हुई तेज बरसात भी इन इलाकों को डुबाकर हमें याद दिलाती है कि हम उसके रास्ते में खड़े हो रहे हैं।

जल संकट देश ही नहीं समूचे विश्व की गंभीर समस्या है। दुनिया के विशेषज्ञों की राय है कि वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देकर गिरते भूजल स्तर को रोका व उचित जल प्रबंधन से सबको शुद्ध जल मुहैया कराया जा सकता है। इसलिए तेजी से कम होते भूजल को संरक्षित करने के लिए जल-प्रबंधन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। भूजल पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे यहां होने वाली जलापूर्ति अधिकतर भूजल पर ही निर्धारित है। लेकिन आज वह चाहे सरकारी मशीनरी हो, उद्योग हो, कृषि क्षेत्र हो या आम जन हो सभी ने भूजल को दोहन किया है जिसके नतीजतन हमारे सामने जल संकट की भीषण समस्या आ खड़ी हुई है। यह भयावह खतरे का संकेत है कि जब-जब पानी का अत्यधिक दोहन होता है तब जमीन के अंदर पानी का उत्प्लावन बल को बरकरार रखा जाये। पानी समुचित मात्रा में रिचार्ज होता रहे तभी यह संभव है कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों जगह दोहन नियंत्रित हो, संरक्षण भंडारण हो ताकि वह जमीन के अंदर प्रवेश कर सके।

अकाल का सामना करने के लिए महाराट्र राज्य ने बड़े पैमाने पर इलाज किया है। सन् 1972 के अकाल में राज्य सरकार ने रोज़गार गारंटी योजना कार्यान्वित की। आगे चलकर उसे पूरे देश ने स्वीकारा

[*] Speech was laid on the Table.

और वहाँ रोज़गार गारंटी योजना देश में ''मनरेगा'' नाम से चलाई जा रही है। दूसरा-राज्य में वर्तमान भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार ने ''जलयुक्त शिविर'' योजना का कार्यान्वयन किया जिससे अकालग्रस्त गॉव में पीने के पानी के साथ-साथ मवेशियों के चारे की भी व्यवस्था हो गयी है। यह एक पारदर्शी तथा उपयुक्त योजना हैं पहाड़ी क्षेत्र में ''टेकड़ी धरण'' संकल्पना भी महाराट्र राज्य की देन है। अब मैं अकाल संबंधी वर्तमान व्यवस्था की ओर आता हूँ। जिस क्षेत्र में लंबे समय तक (कई महीने या वर्ाों तक) वर्ाा कम होती या नहीं होती है उसे सरकारी भााा में अकाल कहा जाता है। अकाल के कारण कृाि एवं पर्यावरण पर गहरा असर होता है। अकाल घोाित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नीति नियम बनाये गये हैं। इन नियमों के तहत जिस गॉव में खेती उत्पादन 50 प्रतिशत से कम होता है, वहाँ अकाल घोाित किया जाता है। लेकिन सरकारी बाबू अपने दफ्तर में बैठकर ही आणेवारी का फैसला करते हैं, उससे सत्य परिस्थिति का आकलन होने के बजाय सूखाग्रस्त किसानों के सामने समस्या खड़ी होती है क्योंकि 50 प्रतिशत कम उत्पादन अधिकारी दिखाते नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि अकाल घोाित किया तो उनके कामकाज बढ़ेगा और खेती में उत्पादन न होने के कारण किसान अवरूद्ध हो जाता है। इसका उदाहरण मेरा संसदीय क्षेत्र अहमनगर है जिसमें पाथर्ती नगर तहसील है, वे पूरे अकालग्रस्त हैं लेकिन ये दोनों तहसीलों में से सिर्फ 17 गॉव हैं जो अकालग्रस्त घोाित किये हैं। कर्जत-जामखेड़ में भी अकाल की छाया है। आज वहाँ पीने के पानी की किल्लत है लेकिन कर्जत जामखेड़ में से एक भी गॉव का अकालग्रस्त में समावेश नहीं किया गया। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों की कमी के कारण मनरेगा जैसी योजना का कार्यान्वयन ठीक नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए हर साल आवंटित धनराशि में कटौती की जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में गत 3 सालों में एक भी पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वयन के लिए नहीं मिला है। महाराट्र राज्य ने भी प्रयास किये लेकिन राशि आवंटित नहीं हुई। इसी कारण अकाल की गंभीरता बढ़ रही है। अहमदनगर जिले में हर साल जनवरी में टैंकर से पीने का पानी शुरू होता है लेकिन इस साल नवंबर में ही 100 टैंकर से जिले में पीने के पानी की सप्लाई हो रही है। जिले के 66 गॉवों में 299 बस्तियों के 65000 लोगों को टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। इस स्थिति का आकलन केंद्र सरकार ने ''उच्च स्तरीय टीम'' महाराष्ट्र में भेजकर किया है। अब हमें इंतजार है कि केंद्र सरकार अकाल घोषित करने के लिए नीति-नियमों में बदलाव करके शीघ्रतिशीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करे।

महाराष्ट्र राज्य कें किसानों की सूखे की वजह से हालत खस्ता हुई है, अकाल पीड़ित किसानों को राहत दिलाने हेतु राज्य सरकार ने केंद्र से 6000/- करोड़ रूपए की सहायता मांगी है। उसे प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी प्रदान करके मंजूर राशि बिना विलंब महाराष्ट्र राज्य को हस्तांतरित की जाए।

प्याज के भाव बढ़ने से इसका लाभ दलाल और व्यापारी को मिलता है और किसान सूखा ही रह जाता है। अगस्त में सरकार ने प्याज का न्यूनतम मूल्य (एमईपी) 425 डॉलर प्रति टन से 700 डॉलर कर दिया जिसके कारण निर्यात में बाधा आई थी और प्याज का अधिक उत्पादन तथा निर्यात में कमी के कारण प्याज के मूल्य में गिरावट आई थी। इस स्थिति का जायजा लेकर सरकार ने दिनांक 10.12.2015 को प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य 700 डॉलर प्रति टन से घटाकर 400 डॉलर प्रति टन कर दिया। एम.ई.पी. वह दर है, जिसके नीचे किसी भी व्यापारी को निर्यात की अनुमति नहीं है। एम.ई.पी. वृहदी से निर्यात में बाधा आती है और घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ने से प्याज की दर गिर जाती है और प्याज उत्पादक किसानों के लिए प्याज और आंसू के समीकरण बन जाते हैं। सरकार ने किसानों के आंसू पोछने के लिए एम.ई.पी. घटाकर प्याज उत्पादक किसानों को राहत दिलाई है। इसका हम तहेदिल से स्वागत करते हैं और किसानों के प्रति एक अच्छा निर्णय लिया और उनको राहत दिलाई इसलिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ।

[*] **श्री राम टहल चौधरी (राँची) :** देश के कई राज्य सुखाड़ स्थिति से प्रभावित हैं और इसी में झारखण्ड राज्य के करीब-करीब सभी जिले पूरे सुखाड़ से प्रभावित हैं। पचास से सत्तर प्रतिशत खरीफ फसल को सुखाड़ से नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई है एवं इस सुखाड़ से निपटने के लिए साढ़े ग्यारह हज़ार करोड़ की माँग की गयी है। पहले की सरकार में पचास प्रतिशत फसल के नुकसान पर मुआवजा देने का प्रावधान था। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में जहाँ भी तैतीस प्रतिशत तक नुकसान हुआ है, उसको भी सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्देश दिए हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। इसमें आम गरीब किसानों को काफी राहत मिलेगी। पूरे झारखण्ड में सिंचाई की जो दर है,वह पाँच प्रतिशत है, जिससे लोग खरीफ की फसल भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए जरूरत है, जिस नाले में पानी बहता हो,वहाँ चेक डेम बनाकर, डीप बोरिंग कर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए। पेयजल के लिए चापानल लगाना और हर जगह बिजली पहुँचाना, जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करना, जगह-जगह पर पुराने एवं नए अधूरे पड़े तालाब को पूरा करना ताकि उसमें पानी जमा हो सके, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। गेतेलसूद डेम, चांडिल डेम से सैकड़ों गाँव उजड़ गए हैं। डेम के किनारे बसे सभी गाँवों में लिफ्ट इरिगेशन लगवाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना ताकि गरीब किसानों को इससे लाभ मिल सके और झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा माँग की गयी राशि उपलब्ध करायी जायी ताकि सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार उपर्युक्त कार्य कर सके।

---

[*] Speech was laid on the Table.

*__श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) :__ मैं बिहार के जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोक सभा में करता हूं, वह इलाका, औरंगाबाद तथा गया जिले में समय पर पर्याप्त वर्षा के अभाव में सूखे से प्रभावित तो है ही जैसे देश के बड़े हिस्से और बिहार के कई जिले सूखे से प्रभावित हैं। मेरे इलाके बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में लगातार कई वर्षों से आंशिक या पूर्ण रूप से सूखा पड़ रहा है, लेकिन इस वर्ष खरीफ की फसल के सूखे ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। कारण, प्रारम्भ में धान के बिचड़ा डालने के समय और रोपनी के समय अच्छी बारिश हुई। जिससे सभी किसानों ने अपनी-अपनी पूरी जमीन में धान का पौधा लगा दिया। इसलिए कि उस समय तक मौसम अनुकूल था। बिचड़ा से रोपनी और उसके बाद सोहनी (गुड़ाई-सफाई) डी.ए.पी., यूरिया उर्वरक का छिड़काव, मजदूरी, जुताई, कुड़ाई, डीजल आदि लगभग सारा खर्च करने के बाद बीच फसल के समय में वर्षा के एकदम न होने से सारा खर्च खेतों पर कर देने के बाद किसानों की फसल मारी गई। इससे किसानों को केवल एक ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनके कई नुकसान हुए, जैसे- पिछले वर्ष भी अकाल की मार झेलना, इस वर्ष 2015 में खरीफ फसल पर होने वाले सारे खर्च हो गए, इसलिए कि शुरू में मौसम अनुकूल था। कर्ज लेकर बैंकों से या कहीं ओर से लेकर किया गया खर्च भी सारा व्यर्थ हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में वर्षा नहीं होने से खेतों में नमी नहीं रही, जिससे खरीफ की फसल तो मारी ही गई, रबी की बुआई भी खेतों में नमी के अभाव में नहीं हो सकी। यानि खरीफ और रबी दोनों फसलों का नुकसान हुआ और खरीफ की फसल लगाने में भारी खर्च भी बरबाद गया।

इससे जहां मनुष्य को पीने के पानी (पेयजल) का अभाव अभी से ही शुरू हो गया, वहीं पशुओं के चारे का भी घोर अभाव हो गया। राज्य सरकार द्वारा घोषित सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान वास्तविक किसानों को नहीं मिला, उसमें भी भारी घपला हो गया। जिन इलाकों में नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था है, वहां भी नहरों के अंतिम छोरों पर पड़ने वाले गांवों तक नहरों का पानी नहीं पहुंचा और धान की फसलें मारी गई। इस तरह से किसान बिल्कुल टूट चुके हैं और एक घोर अनिश्चितता के वातावरण में जीने को मजबूर हैं। जहां-तहां, जैसे-तैसे डीजल पम्प बगैरह चलाकर अपनी मेहनत से किसानों ने अपनी फसल बचायी भी है, वैसे किसानों के साथ समस्या यह है कि उनका धान सरकारी दर यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं जाता। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार में धान खरीद में लगभग 40,000 करोड़ रूपए से भी ज्यादा के घोटाले की पुष्टि की है। इस तरह से किसान प्रकृति के साथ-साथ मानव द्वारा जनित समस्याओं से पीड़ित हैं।

---

* Speech was laid on the Table.

लगभग प्रत्येक वर्ष सूखे की समस्या के स्थाई निदान के लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार, झारखण्ड के चार जिलों पलामू, औरंगाबाद, गया, अरवल के किसानों के सवा लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 40 वर्षों से हज़ारों करोड़ रूपए खर्च करके भी अधूरे पड़े उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के मंडल डेम में लोहे का गेट लगाया जाए, जिससे जल का भंडारण हो सके जो सिंचाई और पेयजल के काम आए। सोन नहर प्रणालियों में जल के अभाव को दूर करने के लिए इन्द्रपुरी जलाशय योजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना में अधिकाधिक धनराशि आवंटित कर जनप्रतिनिधियों से उनके इलाकों से संबंधित सिंचाई की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव लेकर उस पर कार्य कराया जाये। फसल बीमा योजना के प्रावधानों को सरल और आसान बनाया जाये।

उन किसानों को भी फसल बीमा योजना के तहत फसलों के नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाए, जिन्होंने किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से बिना ऋण लिए खेती की हो। चूंकि प्राकृतिक रूप से बिहार प्रदेश की बनावट ऐसी है कि एक ओर जहां गंगा नदी के उत्तर का भाग अर्थात् उत्तर बिहार बाढ़ की समस्या से प्रभावित रहता है, जहां पानी की आवश्यकता से अधिक है। वहीं गंगा के दक्षिण का हिस्सा दक्षिण बिहार जल के अभाव में लगभग प्रति वर्ष सूखे की मार और पेयजल की समस्या से जूझने को विवश है।

इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देशहित में नदियों को नदियों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना को व्यापक रूप से कार्यान्वित कराया जाए ताकि एक ओर उत्तर बिहार बाढ़ समस्या से निजात पा सके वही दक्षिण बिहार प्रतिवर्ष के सूखे की मार से बच सके। पेयजल की कमी पूरी हो और पशुओं को चारा उपलब्ध हो सके।

[*] **SHRI OM BIRLA (KOTA) :** It is a challenging time for India facing consecutive years of drought while on the path of higher growth and economic reforms.

In my speech, I will cover the drought situation in India, lessons from Rajasthan given that it is one of the worst affected states in India and suggest measures to overcome the issue.

One of the problems that needs better understanding is the swiftness in declaring drought hit areas in time. As on November 2015, as per a reply from the honourable Agriculture Minister, only 180 districts have been declared drought his spanning across just seven states. However, 302 out of 640 districts faced below normal rainfall of at least 20%. Many of the states are yet to declare the areas under drought. This underlines the need for swift actions in evaluation and announcement of districts under drought. Not to forget the need to understand the severity of the issue with varying amounts of rainfall shortage in different areas.

At the same time, I would urge the Ministry to set up a research under Ministry to work out the history of the droughts, floods and other calamities, understand the impact it has and what steps were taken in the past. A better understanding of how we dealt with these issues in the past is vital in our approach in the future too. The recent floods in Tamil Nadu has created havoc and crippled the state. However, history indicated that there has been a pattern to the rainfall Chennai received. Some of the states like Odisha have learnt from their frequent encounters with disastrous effect of cyclones and in recent years, their disaster management techniques have received praise worldwide. Hence, I reiterate that a thorough analysis of the pattern in the calamities we faced will go a long way in saving precious lives and the livelihood of people. The fact that drought continues to make severe dent in our economy and the life of a common man means that we are still a long way away from being prepared.

---

[*] Speech was laid on the Table.

Here, I would draw the attention of the Minister towards the issue of drought in Rajasthan. As you are all aware, several districts in Rajasthan are already declared drought prone. In fact, the state government has already declared the recurrence as mentioned below.

Sr. No.	**Recurrence Period (Year)**	**Districts**
1	Once in 3 years	Barmer, Jaisalmer, Jalore, Jodhpur and Sirohi
2	Once in 4 years	Ajmer, Bikaner, Bundi, Dungarpur, Sriganganagar, Nagaur, Hanumangarh and Churu
3	Once in 5 years	Alwar, Banswara, Bhilwara, Jaipur Jhunjhunu, Pali, Sawai Madhopur, Sikar, Dausa and Karauli
4	Once in 6 years	Chittorgarh, Jhalawar, Kota, Udaipur, Tonk, Rajsamand and Baran
5	Once in 8 years	Bharatpur and Dholpur

I would urge the Minister that Rajasthan faces a problem of high fluoride levels in water. While certain steps have been taken to resolve, a determined approach by implementing a scheme for treatment of water with high fluoride levels will go a long way in availability of water in the dry areas.

Overall, the actions of the government on two aspects will determine how well-prepared India is to face droughts ahead. A) Improvement in irrigation facilities in India. B)Revamping the financial support for the farmers especially the crop insurance.

While nature can't be controlled, we can always be prepared for tough times with better technology at our disposal. Assessment of ground water level monitoring data for the plains by Central Ground Water Board (CGWB), for pre-monsoon 2015, compared with last five years mean of pre-monsoon (2010-14), indicates that out of total 14346 wells analyzed, around 46% of the wells are showing decline in ground water levels in various parts of the country. I would

also like to highlight that the Ministry has not maintained a list of waterfalls that have dried up. I urge the Water Resources Ministry to ensure that the data for the same should be collected at the earliest.

In the states of Andhra Pradesh, Assam, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Gujarat, Haryana, Meghalaya, Puducherry, Punjab, Telangana, and Uttrakhand, more than 50% of the monitored wells have registered decline in ground water levels. As per the Water Resources Ministry, out of 6607 assessment units (Firkas/Blocks/Mandals/Talukas/Districts) in the country, 1071 units in 16 states and 2 UTs have been categorized as 'Over-exploited'. Better irrigation facilities especially drip and micro-irrigation facilities needs to be developed. I hope the government will also focus and increase the projects of inter-linking of rivers in India, one of the long term solutions to the issue.

Now, I wish to highlight the need for a better crop insurance scheme. Crop insurance plays a critical role in how the drought is dealt with and how it will be dealt with in the future as well. Today, we have National Crop Insurance Programme (NCIP) at the national level, with other schemes falling under it. They are Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS), Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) and Coconut Palm Insurance Scheme(CPIS). However, the number of farmers aware about crop insurance scheme is very low.

Moreover, the total number of farmers who benefitted from programs under National Agricultural Insurance Scheme between 2000 and 2011-12 is 26.45%. This includes beneficiaries during both Kharif and Rabi season.

In India, crop insurance claim is not disbursed to farmers if they default on repayment on loans they have purchased for agriculture. Hence, non-payment of dues and damage of crops can lead to huge losses for farmers with no insurance amount.

Payment of timely compensation has also been an issue. In fact, claims due to prevented sowing and post-harvest losses were never paid under MNAIS.

There is a high discrepancy in the crop area insured to the net area sown. The increase in premium rates of insurance under NCIP, MNAIS and WBCIS has discouraged the farmers in buying insurance scheme. The report of the Committee reviewing implementation of crop insurance scheme has recommended to have a relook at premium rates. It states that insurance cover of farmers would increase with lower premium rates. This would encourage in implementation of better farming practices.

While there are plenty of issues to deal with, I appreciate the steps taken by the government led by hon. Prime Minister Narendra Modi in implementing reform measures which includes revamping the crop insurance scheme. Some of the schemes reflect the long term vision in finding a solution to the issues surrounding agriculture. The Soil Health Card Scheme will be crucial in ensuring the farmers have adequate knowledge about maintaining fertility of the soil. Similarly, the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana will go a long way in ensuring better irrigation facilities considering the increasing demand of water for agriculture. The launch of DD Kisan Channel will also ensure better awareness among farmers.

I hope the Ministry of Water Resources, rural development and agriculture with adequate support from Finance Ministry will co-ordinate effectively in implementing robust measures to deal with droughts in future.

***SHRI D. K. SURESH (BANGALORE RURAL) :** I would like to draw the attention of the Union Government towards the serious drought situation in the country. It is a matter of great concern that the entire country including Karnataka is facing one of the worst drought in the recent years. Almost all the parts of Karnataka has been affected by the serious drought problems and a number of farmers were forced to end their life due to debt owed to various nationalized banks and private financial institutions. The serious drought affected the cultivation of almost all the agricultural products including rice, wheat, sugarcane, sericulture and even commercial crops also. The farmers have no source of income to meet their minimum livelihood and to take care of their family. The financial institutions gave loan to them and they have already started the legal process to reimburse their loans. The Union Government has to intervene in the matter immediately and extend all possible assistance to the farmers in the drought affected districts of the country.

My state Karnataka has declared 27 of 30 districts as drought affected areas, which are facing serious drought since the last five years consecutively. The depletion of ground water in the above 27 districts are going down year by year. This causes serious longstanding problems to agrarian sector. Most of the areas are still depending on the rain water for irrigation process. The living conditions of the farmers of that areas are in a very bad condition and the farmers are forcing to migrate to the urban areas to find a source of income for their bread. This will cause a lot of social and economical problems and government has to face a lot of ire from various sections of the society.

The sericulture sector in Karnataka on in the verge of conversion to some other commercial crops. Cultivation of mulberry leaf and silk worm rearing in dates back to the 18th century. From the beginning, the Government of Karnataka played important role of a catalyst to keep the sericulture industry going. It

---

* Speech was laid on the Table.

established a separate department in 1913 to look after some of the needs and also the problem of sericulturists. Encouraged by the achievement of the sericulture industry, the state government undertook an ambitious plan for the expansion of sericulture covering a period of five years (1980-85) through a World Bank Loan, known as the Karnataka Sericulture Programme (KSP). This programme envisaged introducing sericulture in certain new areas of Karnataka, so that it can serve as an important source of employment and income generation in rural areas. The Government of Karnataka launched this programme in 13 districts. For the traditional mulberry growing areas, this programme envisaged a further improvement in the existing infrastructural facilities alongwith extending the area under the improved mulberry and also encouraging rearing of improved and bivoltine silkworm. In the non-traditional areas, the plan was to introduce sericulture activities on a large scale to bring about economic transformation in these areas. In addition to provide the necessary infrastructure, the plan envisaged an effective extension of facilities so as to propularise the sericulture activities.

In the field of sericulture, India stands second in the world, in terms of area and production. Karnataka is number one while considering the area of cultivation and production. The sericulture farmers of the district of Ramnagara, belongs to my constituency and are facing very serious problems due to cutting of import duty to 10% of the products from abroad. Government of Karnataka is trying its very best to protect the mulberry farmers of the State. The government is trying on a modest scale, to present an overall view of the changes which have taken place at the household level in both traditional and non-traditional regions of the state in terms of sericulture activities. There is a change in the structure of costs and labour needs for the cultivation of mulberry leaf and silkworm rearing on the one hand and on the other, the changes has taken place in the income earning capacities of the sericulturists. State government is trying to encourage sericulture and making inroads into the economic life, particularly in the new sericulture regions of the state.

Till 15 years back, the farmers were getting Rs.300 per kg. of silk cocoon. Unfortunately, due to import policies of central government presently the farmers are getting only Rs.100 per kg. Naturally, the farmers are forced to agitate against the policies of the Central government. The price has been reduced due to the reduction in the import duty of the Chinese silk. The import duty has been reduced from 35% to 5%. So, this is the main cause for the farmers not getting even the cost of production for cocoons. To save the 6 to 7 million sericulture farmers, the central government has to impose minimum 35% import duty on Chinese silks.

Besides, 136 Talukas in Karnataka have been seriously affected by drought due to shortage of rainfall. The living conditions of the farmers of the above areas is very poor and social and economical atmosphere is affected very badly. The consecutive droughts have lead to depletion of ground water level, drying up of shallow bore wells, reduction in the water quality and yield. The rainfall deficiency has resulted in poor inflows into the major reservoirs. As on 12th September, out of 860 TMC of all the 13 major reservoirs, only 470 TMC was stored.

Lower water levels in the almost all reservoirs of Karnataka has affected the hydro power generation also. It results in the reduction of the areas to be cultivated. As per the reports more than 33% of agriculture crops are affected due to shortage of rainfall.

Another major setback happened in the livestock sector of Karnataka. As per available reports, 512 million livestock has been affected by the problem. Our farmers are facing great difficulties in supplying fodder to livestock. Farmers have to spent huge amount to feed their livestock due to non availability of enough green fodder. The environment department bans the entry of livestock in the forests. This has doubled the problem of green fodder in the country. This is the situation prevailing in the country.

Due to the natural calamities, farmers are facing multi sectoral problems to maintain a minimum standard life. They are on the verge of suicide. The agriculture allied activities are totally closing down due to government policies and the natural calamities. The Central government has to intervene urgently in the matter to end the miseries of farmers. The government should allow the farmers to use the forest areas for feeding their livestocks.

The government of Karnataka has extended all possible assistance to its farmers. Karnataka distributed Rs.5 lakh to the families of the farmers who end their lives due to debt and other reasons and waived off the interest and the compound interest on loans taken by farmers. Government started zero percent interest loans to farmers in the state. Karnataka started Rs.2000 monthly pension to the families of the farmers who ended their life due to various reasons.

Karnataka requested central government to release Rs.3830 crores immediately to the state to assist the debt ridden farmers. Unfortunately, the central government is not liberal to the state. I urge the central government to take immediate steps to protect the farmers of Karnataka by releasing enough financial assistance and impose more import duty on sericulture products. Central government must give directions to the environment department to allow the livestocks in the reserved forest areas to survive the farming community of the country.

*__SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJNAGAR) :__ Recently Telangana has declared a drought in parts of the State, becoming the ninth state this year to do so. While Chennai and the neighbouring districts are suffering a disastrous crisis from too much rainfall, for the entire country, the June-September southwest monsoon recorded a deficit of 14% compared to the normal, the second straight year of sub-par rains after 2014 saw a deficit of 12%. This year, 302 of the 640 districts in India experienced deficit rains, or at least a 20% shortfall compared to the normal.

As many as 8330 lakh people, that is, 73% of the country's population live in villages, according to the latest data from the Socio-Economic and Caste Census (SECC). Out of this, 6700 lakh live below the poverty line, that is, with Rs.33 per person per day. A third of the 8330 lakh people live off farming. While such a large population of the country depend on agriculture, the farm economy of the nation reported a growth of 0.2% last year. And with the present situation of drought, our nation would be lucky if it manages a positive growth in farm economy this year.

In my State, Karnataka, 27 out of the 30 districts have been declared drought affected. These areas are facing drought consecutively for the 5th year. In the worst drought in 40 years, northern districts have registered 70 per cent deficiency in rainfall. Groundwater, which is the major source of drinking water and irrigation has depleted, resulting in drying up of shallow borewells, reduction in the yield and also deteriorating water quality. Department of Agriculture had estimated that 28.88 lakh hectares of agriculture crops have suffered more than 33% loss amounting to Rs.15,636 crore. Both rabi and kharif crops have been wiped out. Out of 74 lakh hectares of primarily kharif crops, 8 lakh hectares saw no sowing due to absence of rains in the early part of monsoon. Of the rest 66

---

* Speech was laid on the Table.

lakh hectares, the drought has wiped out 37 lakh hectares of crops, which primarily include oilseeds, foodgrains and pulses.

Assistance sought for input subsidy for kharif 2015 is Rs.188.60 crores. An amount of Rs.202.31 crores is sought as cattle care, Rs.900 is required for managing drinking water and Rs.102.82 crores is needed for emergency supply of drinking water through tankers in drought affected areas. The Centre has approved only Rs.1,540 crore, nearly two months after we submitted a memorandum seeking Rs.3,931 crore in Central assistance.

There is an immediate need to address the drought situation across the country, not only because farmers and agricultural labourers are affected, but also because this has also led to a shortage in food stock of the nation.

The government of Karnataka has been on its toes to ease the plight of the farmers and address the issue of drought and farmer suicides. Interest free loan is being provided to farmers upto Rs.3 lakh. An interest of 3% is charged on loans between Rs.3-10 lakh.

Under a scheme called Annabhagya, upto 20kgs of rice is given free of cost to all BPL households. As a relief to families of those farmers who committed suicide, compensation has been increased from Rs.2 lakh to Rs.5 lakh. In addition, the widow of the deceased is also entitled to pension every month, which has been increased from Rs.500 to Rs.2000. The government has announced that the compensation available in the case of suicide is also applicable to landless labourers. All interest and penal interest on crop loans have been waived by the State. Cooperative banks have also been asked to reschedule loans and defer recovery of installments. The government had also ordered a crackdown on moneylenders who were fleecing the farmers and more than 1,300 cases had been booked against them with 568 arrested. The state government is also working towards getting higher Minimum Support Price, a subject that falls within the Centre's purview, for paddy, jowar and ragi.

While the State governments is waiting for the Central government's aid to compensate for the damaged crops, distressed farmers have no option but to commit suicide in the absence of relief. While the Central assistance towards relief for crop damage sounds generous on paper, in reality it barely covers farmers' cost of production. According to central norms the maximum farmers can receive as compensation is a paltry Rs.2,700 per acre in rain-fed areas, meaning compensation pays only a fraction of the crop loss. For the Rs.15,636 crores of crop loss recorded in Karnataka, we have received only about a tenth of it to distribute as compensation among farmers so far.

The Centre has decided to provide additional 50 days of work in drought-hit areas under the MGNREGA scheme to provide relief to farmers. But this would be an effective measure of relief only if the already huge backlog in wage payments is cleared for those employed under the scheme. The scheme has suffered from huge loopholes in implementation. In Karnataka, the average days of employment provided per household is only 33.18 days so far this year. More than half of this financial year is already over. How will we generate the additional 50 days of work?

In addition to the short-term measures, like compensating for crop damage and waiving interest on crop loans, the Centre also needs to come up with an effective crop insurance scheme. The existing schemes cover banks' loans and not the farmers' risk of repeated crop loss. Also, reports suggest that only 20% of farmers are covered under the Centre's crop insurance scheme that provides a safety net for farm loan dues in case of crop damage.

I urge the Government to look into the matter immediately in all the nine States and provide adequate amount of aid. If we lose the faith of our farmers any more than we already have, it will be great disservice to the entire nation. Kindly provide 2500 crores of rupees to Karnataka state for relief work.

*श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। देश में 65 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। हमारे देश का अर्थतंत्र कृषि पर निर्भर है। कृषि के उत्पादन का देश में व्यापार व्यवसाय पर सीधा असर होता है लेकिन गर्व है कि हमारा किसान कृषि को व्यापार व्यवसाय नहीं बल्कि अपना धर्म मानकर खेत में अपना पसीना बहाता है।

आज विज्ञान ने चाहे कितनी ऊँचाईयों को छुआ हो किंतु हमारे यहॉं आज भी खेती प्रकृति पर ही निर्भर है। यदि मौसम ने साथ दिया तो खेती ठीक अन्यथा किसान को नुकसान होना ही है।

आज हमारे देश में व दुनिया में भौतिक संसाधनों के असीमित उपयोगों ने ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है कि देश में एक ओर जहां वर्षा के मौसम में भारी बाढ़ आ रही है तो दूसरी ओर देश के अनेक हिस्सों में भीषण सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इस समय तो अत्यधिक कठिन स्थिति देश के सामने है कई राज्यों में बारिश ने जहॉं जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, बड़ी संख्या में लोगों को जान गॅवानी पड़ी है तो वहीं कई राज्यों में सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। आने वाले दिनों में पीने के पानी के संकट का सामना भी कुछ राज्यों को करना पड़ेगा।

देश के अनेक राज्य जिनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश आदि राज्य इस संकट का सामना कर रहे हैं।

मेरे प्रदेश मध्यप्रदेश में तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी संकट उठाना पड़ रहा है। हमारा प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जो कृषि क्षेत्र में लगातार विकास कर रहे हैं और तमाम विषम स्थितियों के बाद भी मध्यप्रदेश की सरकार ने लगातार कृषि क्षेत्र में विकास दर 20 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखी है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार किसान हितैषी निर्णयों के लिए जानी जाती है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जहॉं किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया वही मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में सिंचित रकवों को 8 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 36 लाख हैक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र तक पहुंचा दिया है।

जिस प्रदेश में किसान के लिए बिजली, जहॉं व्रत, त्यौहारों में होने वाले उल्लास की तरह हुआ करती थी वहां आज खेती के लिए किसान को 10 घंटे से अधिक बिजली प्रतिदिन मिल रही है।

---

* Speech was laid on the Table.

किंतु आज की परिस्थिति अत्यधिक विषम है। प्रदेश के 45 जिलों की 268 तहसीलों में सूखे ने किसान की कमर तोड़ दी है।

जो जानकारियां मिली हैं उनके अनुसार सूखे से प्रभावित किसान की संख्या हमारे प्रदेश में लगभग 59 लाख 22 हज़ार है और इन किसानों को जो प्रभावित रकवा है वह लगभग 56 लाख 68 हज़ार हैक्टेयर है।

इसके अतिरिक्त ऐसे किसान जिनकी 25 से 33 प्रतिशत फसल सूखे व कीट इल्ली से प्रभावित हुई है उनकी संख्या 12 लाख 31 हज़ार है और ऐसा प्रभावित रकवा 9 लाख 84 हज़ार हैक्टेयर है।

मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर की सातों तहसील जिनमें जबलपुर, पाटन, सिहोरा, शहपुरा, पनानगर, कुंडम व मझौली शामिल हैं, सूखे से प्रभावित हैं। लगभग 80 हज़ार किसानों के सामने गंभीर संकट है तथा 30 हज़ार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है। इस तरह सिर्फ जबलपुर जिले में ही लगभग 37 करोड़ से अधिक राशि की फसलों का नुकसान हुआ है।

इस देश में पहली बार आज़ादी के बाद किसी सरकार ने यदि किसानों के हित में निर्णय लेकर प्राकृतिक आपदा में फसलों के नुकसान को 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत तक करने का काम किया है तो वह माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. की सरकार है।

किंतु मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के सुख दुख में उनके साथ खड़े होकर नुकसान के प्रतिशत को घटाकर 25 प्रतिशत तक कर उसकी भरपाई अपने संसाधनों से की है।

मैं बताना चाहता हूँ कि एस.डी.आर.एफ. के नियमों के अनुसार फसलों के लिए 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर प्रति हैक्टेयर 6800/- रूपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है किंतु मध्यप्रदेश में लघु और सीमांत किसानों को 25 से 33 प्रतिशत फसलों की क्षति होने पर प्रति हैक्टेयर 5000/- रूपए राशि देने का नियम बनाया गया। वहीं 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर लघु और सीमांत किसानों को 8000/- रूपए प्रति हैक्टेयर दिया जाता है।

इतना ही नहीं ऐसे किसान जो लघु और सीमांत किसान की श्रेणी के नहीं है, उन्हें 25 से 33 प्रतिशत नुकसान होने पर 4500/- रूपए प्रति हैक्टेयर और 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 6800/- रूपए प्रति हैक्टेयर मध्यप्रदेश की सरकार देती है।

मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि पिछले तीन वर्षों में लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण मध्यप्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों और सूखा प्रभावित बड़े रकवे के कारण अधिक बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्रीय अनुदान सहायता हेतु लगभग 4800/- करोड़ रूपए की राशि दी जाये।

सूखे से व्याप्त विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन हेतु 250.50 करोड़ रूपए तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल परिवहन हेतु 46.80 करोड़ रूपए की मांग मध्यप्रदेश सरकार ने अपने मांग पत्र में की है।

सूखे के कारण होने वाले पलायन को रोकने हेतु भी मध्यप्रदेश सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत कृषि मजदूरों को अतिरिक्त 50 कार्य दिवस दिए जाने के लिए 762 करोड़ रूपए की राशि की मांग केंद्र सरकार से की है।

किसान को कर्ज की मार से बचाने की भी आवश्यकता है इसलिए मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत फसलों के नुकसान की स्थिति में अल्पकालीन ऋण में बदलने हेतु ब्याज में छूट की राशि 330 करोड़ रूपए की मांग की है और 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान की स्थिति में अल्पकालीन ऋण को मध्यमकालीन ऋण में बदलने के लिए भी ब्याज में छूट हेतु 440 करोड़ रूपए की मांग की है।

इन सभी को जोड़कर कुल 4821.63 करोड़ रूपए की मांग मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से की है।

किसानों के लिए अत्यंत गंभीर इस संकट को देखते हुए मध्यप्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को आवश्यकतानुसार राहत राशि का आवंटन कर दिया है, यह राशि किसानों को वितरित करने का काम भी शुरू कर दिया है।

हम आभारी है माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के मध्यप्रदेश में व्याप्त इस संकट की जानकारी मिलते ही उन्होंने केंद्र सरकार के अंतरमंत्रालयीन केंद्रीय दल को विस्तृत आकलन हेतु मध्यप्रदेश में 8-10 नवम्बर तक दौरे के लिए भेज दिया था।

मैं केंद्र सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश के इस संकट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा मांगी गई राहत राशि को शीघ्र देने का निर्णय करे।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Hon. Deputy-Speaker, thank you for giving me this opportunity. My colleagues have already expressed their views on drought in different parts of the country. I come from the State of Maharashtra which has also been hit by drought. Along with Vidarbha and Marathwada, North Maharashtra is also reeling under the drought like situation. To tackle this drought like situation the State Government has already taken steps like creation of cattle camps, supply of water through tankers, availability of fodder for cattle at the doorsteps of the farmers, waiver of education fees, renovation of village wells and initiation of well recharge projects. Under the severe grip of water scarcity in several parts of the State, Maharashtra Government has sought financial assistance to the tune of Rs. 4000 crore from the Central Government. Although the Government has announced a relief package for drought affected areas, these sorts of quick fix solutions are not enough to solve the ground level problems. No temporary solutions will help overcome the drought like situation in the future and so whatever plans we make should not be restricted only to four to five years but we must focus on the next 25 years. The problem of suicide amongst farmers should be tackled in a holistic way.

Sir, response to drought is generally reactive in terms of crisis management. I would like to suggest to the hon. Minister through you that whatever plans we make or whatever strategies we make should be more of a pro-active nature rather than being of a reactive nature to the drought like situation. Whatever policies the Central Government makes in regard to tackling drought is more or less on a general basis for the whole country. We must focus more on the geographical areas and the climatic conditions in those areas.

Sir, I would like to make some suggestions to the hon. Minister through you. There should be promotion of various macro and micro level adaptation strategies amongst farmers with the help of Government officials to cope with the drought. We should also focus on developing, introducing and implementing water harvesting practices at the community level and *in situ* water harvesting practices

to save wastage of water. Traditional flood irrigation practices should be replaced by water saving irrigation practices like drip irrigation or sprinkler irrigation. Introduction of less water consuming crops and drought resistant varieties of crops should be explored as a way of increasing resilience against drought and reducing the crop failures in the dry spells. Crop insurance should be strengthened. In the National Agricultural Insurance Scheme for field crops and weather based insurance scheme for fruit crops, the revenue circle is notified and considered for giving insurance. Instead of this, the village level should be considered and crop insurance compensation should be given to the farmers. I would like to say that when a revenue circle is concerned, there are a few farmers who are badly affected and there are many farmers whose farms may not be that much damaged, but because of considering a revenue circle what happens is that an average is taken and an overall average of damage for that area is less and so the farmers who are badly affected do not get the compensation to the extent that they should get. So, my suggestion to the hon. Minister is that instead of having a revenue circle, he should consider notifying an insurance scheme where particular focus is at a village level and try to give benefit to as many farmers as possible.

Sir, I come from the State of Maharashtra and what we have observed in our State is that after granting crop insurance to a farmer by the National Crop Insurance by Mumbai, the claim amount is not deposited to the account of the farmer in time and so I would also like to make a suggestion that the banks should be given a stipulated time and by that they should deposit the amount that is granted to the farmer. Also, it has been observed that the premium amount of crop insurance is not paid by the banks to the AIC, Mumbai in time. In such cases, the banks should be held responsible for the same.

In the case of weather based Fruit Crop Insurance Scheme, automatic weather units are installed far away from the villages. Thus, they cannot be computed properly. So, individual farmer's computation should be made easy.

In my parliamentary constituency, Nandurbar, fruits like pomegranate, guava and papaya are cultivated on a large scale but in the Fruit Insurance Scheme, only banana and mango crops are included. I would like to request that, along with banana and mango, fruits like pomegranate, guava, papaya and watermelon should also be included in the Fruit Crop Insurance Scheme.

The worst hit during drought are the poor and marginal farmers. So, it is important that we must focus our attention on them to see how their farming can be improved. We must provide them with advanced mechanisation and this should be given at subsidized rates so that the conditions of the farmers are improved.

Seed Bank, Disease Resistant Gene Bank, Village Water Bank, Nutrient Bank, etc. should be established at the village level and subsidy should be given by the Government to the farmers for the same.

Krishi Vigyan Kendras should be strengthened. As regards Custom Hiring Centres, equipment are purchased by a group of farmers and the needy farmers can hire these equipments. These equipment can be given to the people as and when they are required.

Integrated farming system should be introduced and farmers should be given loans at low interest rates to start additional business like poultry, fishery, cattle farms, etc.

I hope the hon. Minister will consider my suggestions so that they can benefit the farmers who are suffering due to the drought situation.

*__श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :__ मैं अपने कुछ विचार देश में पड़ रहे सूखे पर प्रकट करना चाहती हूं। कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है। कृषि पर हमारे देश का अर्थतंत्र निर्भर है। देश के 55 प्रतिशत लोग किसान मजदूर क तौर पर जीवन-यापन करते हैं। भारत देश में 39 प्रतिशत जमीन और 66 करोड़ लोग भयंकर सूखे की चपेट में है। 18 राज्यों के 302 जिले सूखाग्रस्त हैं। आज़ादी के 68 वर्षों के बाद भी 50 प्रतिशत खेती भगवान भरोसे हो रही है। सभी राज्यों में किसी न किसी तौर पर केंद्र से सहायता की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र के 16,128 गांव और मध्यप्रदेश के 19,000 गांव सूखे की चपेट में हैं। बारिश अंदाजन पिछले 100 सालों में तकरीबन 89 प्रतिशत रही है। इसी वर्ष 86 प्रतिशत बारिश पड़ी है। स्थिति बहुत गंभीर है, तकरीबन हर दूसरे साल में बारिश का अभाव है।

देश के जलाशयों में पिछले 10 सालों में सबसे कम पानी इकट्ठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति के बीच सरकार की इच्छा 4 प्रतिशत कृषि विकास दर रखने की है, लेकिन यह संभव नहीं दिखाई देता क्योंकि उपज नहीं बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी।

आधे देश में सूखा है तब किसानों को सूखे की स्थिति से उबारना अत्यंज जरूरी है। किसान भगवान भरोसे खुले आकाश के तले किसी की परवाह किए बिना लाखों रूपयों का जुआ लगाते हैं।

1980 तक अमेरिका से आयात किए गए लाल चट्टा गेहूं खाने वाला इंडिया आज गेहूं का निर्यात कर रहा है। देश में अभी भी 22 करोड़ लोग रात को भूखे पेट सो जाते हैं। वह किसानों के प्रति उपेक्षा प्रतिपादित करता है। फसल बीमा से भी 19 प्रतिशत किसान ही लाभांवित होते हैं।

सूखे का असर देश के पूरे अर्थतंत्र पर दूरगामी असर डालेगा। खरीफ और रबी दोनों मौसम फेल हुए हैं। गेहूं की बुआई 28 प्रतिशत और तिलहन की बुआई 18 प्रतिशत और दलहन की बुआई 8 प्रतिशत कम हुई है। इसके कारण उन सभी फसलों का भाव आसमान को छुएगा। देश को दोनों और (स्टॉक एंड डिमांड) से मार पड़ेगी। सूखे के कारण ग्रामीण इलाकों में किसानों की आवक घटेगी जिसके कारण बाज़ार पर उसका भारी असर पड़ेगा। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि कृषि लक्षी औजार तथा द्विपहिया वाहनों को बेचने में भी घाटा हुआ है। उदाहरण के तौर पर ट्रैक्टरों की सेल 20 प्रतिशत घटी है।

कृषि क्षेत्र आर्थिक दबाव से गुजर रहा है जिसके कारण श्रमिकों के वेतन में भी घाटा हो रहा है। राज्यों द्वारा केंद्र के पास जितनी सहायता की मांग की जाती है उतनी केंद्र द्वारा उन्हें मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की आय में जो ज्यादा घाटा होगा तो देश के अर्थतंत्र पर बुरा असर पड़ेगा। बाजार की मांग में घाटा हो रहा है जिसके कारण अर्थतंत्र की हालत पतली हो गई है।

---

* Speech was laid on the Table.

मेरी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा जंग के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के हाथों में ज्यादा इन्कम आए इसका भरपूर प्रयास करना चाहिए तथा सूखाग्रस्त के तहत सहायता पैकेज का भुगतान किसानों को जल्द से जल्द किया जाए। जलवायु परविर्तन के कारण सूखा पड़ता है। इससे खेती को बचाने के तरीके ढूंढे जाए।

मौसम परिवर्तन तथा ओले-पाले की स्थिति में नुकसान के अंदाज का प्रतिशत 50 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत कर दिया है, वह सराहनीय है, लेकिन सूखे का सर्वे, मुआवजा, राहत पैकेज की प्रक्रिया में तेजी लाना अत्यंत जरूरी है।

कृषि सब्सिडी की प्रक्रिया में बदलाव किसान के हित में लाना जरूरी है। जिस तरह मनरेगा में 100 दिन का रोज़गार गारंटी दिया गया है, इसी तरह छोटे किसानों के हित में किसान इन्कम गारंटी स्कीम शुरू की जानी चाहिए। गुजरात मॉडल की तरह सभी किसानों को बिजली के बिल में सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए। किसानों को अपनी उपज की अच्छी लागत मिले, इसके लिए किसानों को खेतों में गोदाम बनाने के लिए सब्सिडाइज प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारी कृषि कुदरती बरसात पर आधारित है,उसकी परिपूर्ति के लिए डेमो से, तालाबों से, केनालों से कृषि का 50 प्रतिशत एरिया सिंचाई के लिए लाया जाए। बीज भुगतान की सब्सिडी और मुफ्त बिजली, पानी मुहैया करवाया जाए तथा कृषि ऋण और ब्याज माफ किया जाना चाहिए। डॉ. स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू करना चाहिए। नदियों को जोड़ने की योजना साकार करनी चाहिए जैसे गुजरात में जोड़ी गई हैं।

कृषक आयोग बनाना चाहिए और इसमें ज्यादातर किसानों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। वन ड्रॉप-मोर क्रोप की प्रधानमंत्री जी की नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। सहकारी खेती और ऑर्गेनिक कृषि को ज्यादा बढ़ावा देने की नीति बनाई जानी चाहिए। श्वेत क्रांति-पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए।

डेरी उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिए और हर तहसील पर घास, चारा बैंक स्थापित किया जाना चाहिए तथा सस्ते दामों पर घास मुहैया कराई जानी चाहिए। हर जिले में कैटल हॉस्टल बनाई जानी चाहिए तथा गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सस्ती बिजली पैदा कर किसानों को मुहैया कराई जानी चाहिए।

ए.पी.एम.सी. कानूनों में बदलाव लाकर उनको कृषकों के हित में उदारवादी बनाना चाहिए। हर तहसील पर ए.पी.एम.सी. की शाखाएं स्थापित की जानी चाहिए। गुजरात सरकार की नीति की तरह निजी ए.पी.एम.सी. को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

किसानों को सिंचाई की सुविधा के तहत डार्कजोन हटा देना चाहिए और तुरंत बिजली के कनैक्शन किसानों को दिए जाने चाहिए।

[*] **DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY) :** Drought in India has almost become a regular and recurring feature year after year. There is no stopping of this hardship on the States. Centre's benevolence rarely meets the State's financial requirement or demand. This has become the hallmark of Centre-State relationship over the years. States are treated step-motherly, to say the least. In a federal structure, both Centre and States have a say but the sway of Centre is heard more and carried away with all the financial might with the result States are left to fend for themselves. West Bengal is one such States which faces drought or drought like situation every year.

It is tragic to know that as many as eight States have reported occurrence of drought this year, out of which seven have sought more than Rs.24,000 crore as financial assistance from the Centre under National Disaster Response Force (NDRF). This was the response of the Government in Rajya Sabha.

This year too, a drought like situation is prevailing in West Bengal. West Bengal Chief Minister Kumari Mamata Banerjee recently sanctioned Rs.50 crore for the people affected by a drought like situation in Purulia district.

With drought like situation prevailing in 8 States, our villages are expected to face a sharp spike in food prices in 2016. This is also due to a second straight year of drought in the country. Cost of sugar and milk too has gone up considerably, apart from other essential commodities.

Our Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee had expressed concern over the drought situation in West Bengal. We allege that the NDA-led BJP government at the Centre has failed to make serious efforts in providing relief to farmers across the country, in general, and in West Bengal, in particular. Farmers committing suicide is continuing

We could see prolonged heat wave in West Bengal for long resulting in fast receding level of water in West Bengal. The side effect of this problem is drinking water in West Bengal has become scarce. How can farmers draw enough water

[*] Speech was laid on the Table.

for farming? If this pathetic situation continues, we could find shortage of vegetables too.

It is to our West Bengal Government's and our Chief Minister's credit that we had put in place measures to tackle the situation at a time of rising deaths of distressed potato farmers. She had also convened a meeting of agriculture department officials. West Bengal at her own level is helping the farmers who are facing drought with drought-resistant paddy seeds and other inputs that will help cut costs.

It is to be noted that nearly 60 per cent of West Bengal's farm activity is rain-fed with the western districts of Bankura, Birbhum, Purulia and Paschim Medinipur being among the drought-prone districts which have received less rainfall this year too like the earlier year 2014-15 Kharif season. It is common knowledge that these districts lack irrigation facilities, and cultivation is mainly rain-fed. West Bengal Government is of firm conviction that this strategy would result in increased crop productivity.

Additionally the government of West Bengal is also emphasizing on the use of farm mechanisation and modernisation. The aim and objective of West Bengal Government is to encourage small and marginal farmers to use equipment such as harvesters and to make them available equipment to small farmers. Here, encouraging rainwater harvesting would go a long way and assumes paramount importance and renewed focus in view of the impending rainfall shortage.

Having said as to what West Bengal Government and our Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee has been doing in the last 6 months to help the farmers to tide over the drought like situation, I would like to add that West Bengal is one of the 8 States which is facing its worst agricultural crisis in recent years with vast stretches of West Bengal being declared as drought-hit by our Government in West Bengal. The drought situation in West Bengal has reached an alarming proportion.

We demand that West Bengal be declared as "drought-hit" and the most affected areas of West Bengal region as "calamity-hit", followed by generous release of financial assistance to tide over the situation.

In the end, I would like to strongly urge the Central Government to extend generous financial assistance to States, particularly the West Bengal which is facing drought year after year.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं थोड़ा हटकर बोलना चाहता हूं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के बारे में हाउस में बहुत कम चर्चा होती है। जहां तक सूखे की बात है, यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं उनके ध्यान में भी यह बात लाना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र में सूखे की दृष्टि से यहां किसी ने चर्चा नहीं की। मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश का सांसद यहां बैठा हूं। हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी क्षेत्र चाहे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या नार्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, उनमें भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं लगभग हर वर्ष आती हैं। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ वाली त्रासदी हुई। वैसे ही जम्मू कश्मीर में हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने से कई बार किसानों का काफी नुकसान होता है। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग यहां अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, उनमें पहाड़ी क्षेत्र के बारे में खास ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 11 छोटे-छोटे राज्यों के बारे में यहां सोचा नहीं जाता। यह बात ठीक है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से नार्थ ईस्ट के बारे में काफी काम हो रहा है। यूपीए सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हमें पीछे धकेल दिया था। मैं आज मोदी जी और खासकर मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का अनुपात रखा गया है। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को दुबारा से स्पैशल स्टेट्स के रूप में दिया गया है। मैं उसके लिए विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सॉयल हैल्थ कार्ड जो क्रान्तिकारी योजना केन्द्र द्वारा लाई गई है, उसके माध्यम से हर किसान को लाभ होने वाला है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो क्रान्तिकारी योजना दी है, उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे अटल जी के समय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी, वैसे ही अब प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना आ रही है। अगर हम आने वाले बजट में उस पर ज्यादा प्रावधान करेंगे तो एक रैवोल्युशनरी स्टैप होगा। पहाड़ों में यह इसलिए जरूरी है कि पहाड़ का पानी प्लेन्स में बह जाता है। हमारे पास पानी रोकने का साधन नहीं है। इसलिए जो पानी नदी-नालों में बह रहा है, उसे लिफ्ट करने के लिए अगर हमारे पास केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो पहाड़ के लोगों को वहां की खेती करने में ज्यादा लाभ होगा।

और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपके पास समय कम है। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के बारे में बोलने का आपने समय दिया। धन्यवाद।

[*]**श्री पी.पी. चौधरी (पाली) :** हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा खेती मानसून पर निर्भर रहती है। यह सर्वविदित है कि मानसून 5 वर्षों में लगभग 2 बार ही ठीक रहता है, जिसका किसान पूरा-पूरा लाभ ले पाता है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे महत्वपूर्ण विषय है, जिन पर हमारी सरकार अन्य देशों की सरकारों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे किसान इससे होने वाली परेशानियों से जागरूक नहीं है, लेकिन प्रतिवर्ष इससे होने वाले नुकसान को आंकॅड़ों में देखा जा सकता है।

जिस देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और उसके संलग्न कार्यों में लगी हो और देश की जी.डी.पी. का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा देते हो तो इसी आंकड़ें से कृषि की माली हालत को समझा जा सकता है। कृषि क्षेत्र का विकास पिछले कई पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार गिरता जा रहा है, जहॉं 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर 4.8 थी, वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3.5 ही रह गई। जहॉं एक और किसान खेती छोड़ शहरों की और पलायन कर रहे हैं और दूसरी ओर जो किसान खेती में लगे हुए भी है, उनकी आत्महत्याओं की खबरें समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो रही है।

वर्षा का जल संचय करने में भी हमारा देश काफी पीछे है, हमारे देश में वर्षा के जल का 6 प्रतिशत ही काम में लिया जाता है बाकी 94 प्रतिशत पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है। यदि इस 94 प्रतिशत पानी का बांधों के माध्यम से संचय किया जाता है तो इसके माध्यम से 25 मिलियन हैक्टेयर पर सिंचाई की जा सकेगी, 24000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा तथा 10 मि.ली. हैक्टेयर क्षेत्र के ग्राउण्ड वाटर में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। इसके साथ-साथ देश खाद्यान्न, फल, सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक देश भी हो सकता है और हम बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। देश के किसान को खेती व युवाओं को बेहतर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होने लगेंगे तो देश को फूड सिक्योरिटी व मनरेगा जैसी योजनाएं चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों रूपए बचा कर इंफ्रांस्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सकता है, ताकि देश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क आदि के क्षेत्र में भरपूर विकास किया जा सकेगा।

इस क्षेत्र में बरसाती पानी को एकत्रित करने का पिछले साठ वर्षों से कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन्दिरा गांधी नहर एवं कुओं के पानी पर ही निर्भर रहना महंगा साबित हो रहा है। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वॉटर टैंक बनाने की अनुमति किसान के स्वयं के खेत में दी

---

[*] Speech was laid on the Table.

जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर आधारभूत ढॉंचा विकसित हो सके एवं किसान अपने स्वयं के खेत के साथ-साथ बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सके एवं आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सके। प्रथमतः राजस्थान के सभी 11 मरूस्थली जिलों में सभी 5 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये। इसके लिए तकनीकी दृष्टि से 15 फुट व्यास एवं 20 फुट गहरा टैंक बनाना आवश्यक है, जिसके चारों ओर प्रत्येक जिले की औसत वर्षा के आधार पर कम से कम 60 से 80 फुट व्यास का जलग्रहण क्षेत्र (आगौर) बनाया जाये। इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा यह भी सुझाव है कि जलग्रहण क्षेत्रीय मुरड़ या अन्य सामग्री से कुटाई कर पक्का बनाया जाए जिससे एक ही अच्छी वर्षा से टैंक पूरा भर जाए। इस माप के टैंक एवं आगौर के निर्माण पर तकनीकी आंकलन के आधार पर लगभग 80,000 रूपए का खर्च आएगा। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं 50 प्रतिशत राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी। टैंक का निर्माण सभी की सहभागिता से कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने-अपने खेत में किया जाएगा। जिससे उसके परिवार के सदस्य एवं गांव में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेरोज़गार श्रमिकों को भारी संख्या में श्रम रोज़गार भी उपलब्ध हो सकेगा।

नदियों को जोड़ना सूखा व बाढ़ की समस्या का ही हल नहीं बल्कि इसके माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध करवाने के साधन भी उपलब्ध होंगे, कृषि हेतु सिंचाई के लिए भी उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाकर कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। कृषि में विकास होने पर जी.डी.पी. में कृषि का योगदान बढ़ेगा और देश तेजी से विकास मार्ग की और बढ़ेगा।

मानसून की अनिश्चितता एवं सूखे के कारण महंगाई और बढ़ने की संभावना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों को निर्देशित करें कि सूखे एवं मानसून की अनिश्चितता से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव दें। इनमें से कुछ सुझाव ऐसे हो सकते हैं, जैसे जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग, ड्रिप एवं माइक्रो इरिगेशन का ज्यादा प्रयोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा, चारा उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग करके हरा चारा अधिक से अधिक उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पशुधन को भी बचाया जा सके एवं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए अनाज का भी उत्पादन संभव हो सके।

कृषि क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्धता के अलावा संरक्षण की भी आवश्यकता है। सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों को पिछले तीन सालों में 2.5 लाख करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि तथा 2.5 लाख करोड़ रूपए की विभिन्न छूटें प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र को भी इसी तर्ज पर प्रोत्साहन राशि व छूट देने की भी आवश्यकता है।

राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार गंभीर सूखे की स्थिति में सहायता कार्यक्रमों को 90 दिनों से अधिक तक जारी रखने के लिए एस.डी.आर.एफ. के वार्षिक आवंटन की 25 प्रतिशत व्यय की सीमा को समाप्त करने पर भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। इस सम्बंध में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। पहले 90 दिन से अधिक सूखे की स्थिति रहने पर एक कार्यकारी समिति इस संबंध में निर्णय ले सकती थी।

तेरहवें वित्त आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को राज्य आपदा शमन निधि एवं जिला आपदा शमन निधि का गठन कर 75 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा देने का अनुरोध किया जा चुका है। इस पर मेरा केंद्र सरकार से जल्द से जल्द कार्यवाही करने का अनुरोध है।

इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि किसानों को छोटी और महत्वपूर्ण राहत देने के लिए देश के प्रत्येक किसान को सोलर कृषि पम्प दिया जाए, ताकि वह आसानी से कृषि की लागत कम करते हुए खेती कर सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि देश के छोटे किसानों के बच्चों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाए, ताकि किसान का बेटा-बेटी आत्मनिर्भर बन सके।

*श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) :** बुंदेलखण्ड में पिछले छह वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है और इसके साथ ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से यहां फसलें लगातार बरबाद हो रही हैं। यदि गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो बुंदेलखण्ड में फसल बरबाद हो जाने के कारण वर्ष 2014 में 365 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, अभी हाल ही में मेरे लोक सभा क्षेत्र के कुठौंद ब्लॉक में किसानों ने जो फसल बोयी थी, वह ओलावृष्टि के कारण बरबाद हो गई है। यह पिछली सरकार की नाकामी ही है कि आज स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है। मोदी सरकार ने अपने पहले दिन से किसानों की समस्याओं को लेकर जो सक्रियता दिखाई है वह निश्चित ही एक प्रशंसनीय कदम है। जब कांग्रेस सत्ता में थी बुंदेलखण्ड जाते जरूर थे मगर सिर्फ फोटो खिचाकर दिल्ली वापस आ जाते थे।

इस बार ओलावृष्टि के कारण किसानों पर प्रकृति की मार पड़ी तो मोदी सरकार ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया और स्वयं माननीय गृहमंत्री ने वहां जाकर किसानों का दर्द समझा और उनके आंसू पोछे। केंद्र सरकार ने तो अपना खजाना खोलकर किसानों के लिए आर्थिक सहायता भेजी मगर राज्य सरकार और उसके तंत्र ने गरीब किसानों की मदद के लिए भेजे पैसों से जमकर भ्रष्टाचार किया। मेरे संसदीय क्षेत्र की कोंच तहसील में मुख्यालय उरई के नायाब तहसीलदार को कोंच तहसील का प्रभारी तहसीलदार बनाकर भेजा और फिर उस प्रभारी तहसीलदार के कार्यकाल में लगभग चालीस लाख का गबन कर लिया गया जो उक्त प्रभारी तहसीलदार को प्रोन्नत करके वापस मुख्यालय उरई का प्रभारी तहसीलदार बनाकर भेज दिया। जिस अधिकारी के कार्यकाल में चालीस लाख का गबन हुआ हो, उसे जेल में भेजे जाने के बजाए प्रोन्नत कर दिया गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को लेकर कितनी चिंतित है और भ्रष्टाचार पर उसका रवैया क्या होगा?

जो चालीस लाख के गबन की बात मैं कर रहा हूँ, वह मात्र एक तहसील का आंकड़ा है, अगर एक तहसील में चालीस लाख का गबन किया जा रहा है तो सोचिये पूरे क्षेत्र में यह आंकड़ा क्या होगा? अतः मेरी सरकार से मांग है कि किसानों को भेजी गई राहत राशि की जांच सी.बी.आई. द्वारा कराकर किसानों को न्याय दिलाने का काम करें तथा शीघ्र ही किसानों की देनदारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए।

* Speech was laid on the Table.

***SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR) :** The nation is reeling under the effects of severe drought. 18 states, which is more than half the total, and 302 out of the total number of 676 districts, have become drought affected due to a deficit in monsoon rainfall. The rabi crop is in grave danger and the already embattled Indian farmer is facing yet another crisis. This danger must also draw our attention to the harsh reality of climate change, a danger that becomes more ominous by the year, and the need for urgent and substantial action is reminded to us all once again.

My own state of Telangana has experienced the bitter reality of having to live without water for far too long, and in fact that was one of the key factors for us demanding a separate state where we would be in charge of our destiny. Already the government of Telangana is working in overdrive to overcome the irrigation deficit through its mammoth Mission Kakatiya and Water Grid programmes, but the neglect of the past decades cannot be overcome in a few months. 231 mandals have been declared as drought affected and this action has been taken on the District Collectors' recommendations based on drought guidelines.

The districts wise break down of affected mandals are as follows -

1. Mahabubnagar (64)
2. Medak (46)
3. Nizamabad (36)
4. Ranga Reddy (33)
5. Karimnagar (19)
6. Nalgonda (22)
7. Warangal (11)

Telangana State as a whole received 634 mm rainfall against the normal of 814 mm this year, which is a 22 per cent deficit. The situation is similar to 2009-10, when the state faced a severe drought. Production of foodgrains is likely to be affected badly since cultivation of paddy, which comprises more than 50 per cent

---

* Speech was laid on the Table.

(10.59 lakh hectares) of total foodgrain (20.56 lakh hectares) cultivation of paddy, which comprises more than 50 per cent (10.59 lakh hectares) of total foodgrain (20.65 lakh hectares) cultivation in Kharif, is just about one-third (5.26 lakh hectare) of the normal extent till September first week and less than 50 per cent for the season.

The details of rainfall deficit is as follows (as of 7th September 2015)

District	Normal	Actual	Deviation
Adilabad	862	840	-26%
Nizamabad	737	383	-48%
Karimnagar	689	467	-32%
Medak	568	311	-45%
Rangareddy	468	293	-37%
Mahabubnagar	345	224	-35%
Nalgonda	423	398	-06%
Warangal	675	702	+04%
Khammam	724	768	+06%

The other key challenge the state is facing is declining ground water. This is also a problem in the rest of the country and most states are witnessing this phenomenon owing to indiscriminate construction of borewells. There needs to be stringent enforcement to curb this practice accompanied by adequate creation of public irrigation networks so that people are not forced to set up their own wells. In this regard, the Centre must provide assistance to the States and work on the Krishi Sinchai Yojana is welcome.

With regard to Telangana, the Groundwater Department estimated that the average groundwater level for the state in October was 11.80 meters against 9.30 meters in the same month last year. The fall in average water levels was observed in the range of 0.10 meters to 7.10 meters in all districts. The stress on groundwater has been not only due to the deficit but also the abnormal distribution of rainfall pattern which failed to recharge whatever quantity of water was available below the ground.

Thus the state is facing an overall water shortage crisis and central assistance is required to prevent the crisis from turning into a calamity.

I Demands that the Centre should allocate INR 2,514 crore to the state of Telangana to help it tide over this crisis. Relief amount should cover crop loss as well as input cost for next section. Sharecroppers and farmers taking land on lease/rent should also be protected. Crop losses less than the arbitrarily-decided minimum threshold should also be covered. Direct linkage of farmers with insurance companies is required so as to avoid the confusion which arises when the banks play the role of intermediary. Unit of insurance should shift from area-based approach to taking the individual farmer's survey number/land holding as a unit.

*श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मैं देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। देश में हर साल कहीं पर बाढ़ का खतरा है तो कहीं पर सूखे का। ये सब प्राकृतिक आपदाएँ हैं और इनका सीधा संबंध पर्यावरण से है। सूखा भी एक विनाशकारी पर्यावरण प्रकोप है। लंबे समय तक जल की कमी से सूखे की आपदा होती है। बारिश की कमी से फसल की हानि, सूखे का सबसे आम रूप है। दीर्घकालीन सूखे से भयानक अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत में सूखे की समस्या कई कारणों से होती है जैसे मानसून का देरी से शुरू होना, मानसून में लंबी अवधि का अंतराल होना, मानसून समय से पूर्व समाप्त होना, वर्षा का असमान वितरण। इसके साथ ही मानवीय गतिविधियां भी सूखे को बढ़ावा देने का कारण बनती हैं। वन कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के कारण भी सूखे के लिए उत्तरदायी होते हैं।

संसद में प्रतिवर्ष किसानों की समस्याओं पर चर्चा होती है। सूखे, बढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर भी चर्चा होती है। किसानों की फसलों का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था जिसने अपनी सिफारिशें सरकार को दी थी, लेकिन आज तक किसी सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की। आज चिंता का विषय है कि किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व की सरकारों ने किसानों की दशा सुधारने की बहुत बड़ी-बड़ी बातें की है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया। जिससे आज देश के किसानों की आज़ादी के इतने साल बाद भी यह स्थिति बनी हुई है। आज कोई भी किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता है। किसानों की समस्याएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। खाद, बीज, बिजली, पानी, भण्डारण, वितरण, समर्थन मूल्य पर खरीद आदि के साथ-साथ प्रकृति द्वारा बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, शीतलहर से भी किसानों की फसलों का नुकसान होता रहता है। भारत में सूखा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु आदि प्रमुख हैं।

झारखंड राज्य में बार-बार सूखा पड़ रहा है। इस वर्ष झारखण्ड के 24 जिलों में से 18 जिलों में बेहद कम बारिश हुई है। राज्य कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 64 ब्लॉक में 50 प्रतिशत फसल बर्बाद हुई है जबकि 62 ब्लॉक में 40 प्रतिशत नुकसान हुआ है। झारखण्ड सरकार द्वारा 01 सितम्बर 2015 को पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है तथा केंद्र सरकार से सहायता की मांग की गई है। राज्य सरकार द्वारा सुखाड़ राहत के लिए केंद्र से 1140 करोड़ 77 लाख रूपए का पैकेज की मांग की गई। माननीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह जी ने हाल ही में झारखण्ड दौरे के दौरान केंद्रीय टीम भेजकर रिपोर्ट मंगवाने के

* Speech was laid on the Table.

बाद सहायता जारी करने का आवश्वासन दिया है। अतः मेरी कृषि मंत्री जी से मांग है कि केंद्रीय टीम से शीघ्र रिपोर्ट मंगवाकर झारखण्ड को सूखा राहत के लिए वित्तीय सहायता जारी करें। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर में वर्तमान में देश में 4857 निर्मित बड़े बांध हैं और 314 निर्माणाधीन बड़े बांध हैं। लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकारों में समन्वय के अभाव के कारण इन बांधों का सही रख-रखाव एवं समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण कई बांधों का पूर्ण उपयेग नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन एव रख-रखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर देश में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं का आकलन किया जाये और इसकी कार्य प्रगति को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाए। साथ ही, प्रधानमंत्री कृषि ग्राम सिंचाई योजना को शीघ्रातिशीघ्र अमली जामा पहनाया जाये।

झारखंड राज्य के लातेहर जिला के बरवाडीह प्रखंड स्थित उत्तर कोयल जलाशय परियोजना राज्य की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का लाभ बिहार और झारखंड राज्य के विस्तृत असिंचित क्षेत्र को मिलेगा। वर्षा जल के अभाव से ग्रसित झारखंड के पलामू, लातेहर, गढ़वा जिलों एवं बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही, सौ साल से भी पुरानी सोन नहर सिंचाई प्रणाली को जल अभाव के संकट से जूझ रही है, को भी पुनर्जीवन प्राप्त होगा। इस परियोजना के पूरा होने पर झारखंड और बिहार दोनों राज्यों के 1,24,000 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। लातेहर, पलामू और गढ़वा जिलों में भू-जल स्तर के निरंतर ह्रास का भी प्रभावी निषेध होगा। जिससे पेयजल समस्या का भी समाधान संभव हो सकेगा। साथ ही 25 मेगावाट हाईडिल बिजली का उत्पादन होगा जो पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त ऊर्जा का माध्यम है। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के पूर्ण होने से आपके द्वितीय हरित क्रांति के स्वपन को एक ठोस आकार मिल पायेगा। परंतु पिछले 40 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक यह परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई है। मेरी सरकार से मांग है कि उत्तर कोयल जलाशय, अमानत, औरंगा, कनहर, टहले, गरही, मुहाने, सोनरेखा, मलय, अजय सहित राज्य की सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाये जायें।

सुखाड़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक तात्कालिक एवं दीर्घकालिक योजना बनाकर स्थाई उपाय करने की आवश्यकता है। भूमि के जल स्तर को बढ़ाने तथा नदियों के जल का खेती के उपयोग के लिए लॉग टर्म योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। नदियों को जोड़ने का काम गति के साथ करना होगा जिससे बाढ़ और सुखाड़ दोनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के रूप में झारखंड जहां सबसे अमीर राज्य है वहीं कृषि की वृद्धि दर अत्यंत कम है।

सुखाड़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला समूह जनजातीय, अनुसूचित जाति के लोग और छोटी जोत वाले खेतीहर मजदूर हैं। झारखंड अत्याधिक कुपोषण वाले राज्यों में से एक है। इसलिए इस राज्य को तत्काल राहत की आवश्यकता है। राहत कार्य चलाते समय हमें पशुधन की सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी होगी। सूखे से बचाव वाले उपायों जैसे कुँआ, आहर, वाटरशेट प्रबंधन, लघु सिंचाई परियोजनाओं और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं पर तत्काल ध्यान देना होगा। साथ ही फसल बीमा की राशि का वितरण तुरंत होना चाहिए। किसानों को अगले फसल चक्र हेतु अभी से सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही कृषि ऋण की वसूली को माफ करने संबंधित कार्यवाही करनी चाहिए। चतरा, लातेहर, पलामू और गढ़वा लगातार सूखे से ग्रसित क्षेत्र रहे हैं, इनके लिए विशेष राहत और पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए।

*[*] **श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर) :** देश की 75 प्रतिशत से अधिक आबादी किसान है अथवा कृषि पर निर्भर है। आज़ादी के 60 वर्ष बाद भी जो परिवार का आधार केवल खेती रहा है, उसके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो गरीब था और कर्जदार हो गया और कर्ज अदा नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या को मजबूर हुआ है। जब तक देश के किसानों को मजबूत नहीं बनाया जाता तब तक देश मजबूत नहीं होगा।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की जिससे किसानों को सिंचाई की समस्या से मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हो या ज्योतिरादित्या सिंधिया हों भाषण देना अलग बात है, जमीन पर करके दिखाना अलग बात है। कांग्रेस और कांग्रेस के पुरखे ने किसानों के हितों के लिए कोई प्रयास नहीं किया और सदा उत्पीड़न करने का काम किया है।

''जाके पैर न फटी बेबाई, वह क्या जाने पीर पराई'' कांग्रेस किसानों का दर्द नहीं जान सकती क्योंकि इन्होंने कभी न गरीबी देखी है, न किसानी देखी है और न किसानों का दर्द देखा है। मैंने स्वयं अपने खेतों में काम किया निराई, गुड़ाई और मड़ाई की है, मैं यह भी जानता हूँ कि किसान चाहे जितना अच्छी सब्जी, फल, अनाज पैदा करे परंतु खाता वही है, जो बाज़ार में बिक नहीं सकता है। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की बर्बादी के लिए प्रदेश की श्री अखिलेश यादव सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। प्रदेश की सरकार ने किसानों को जब सिंचाई के लिए बिजली और नहरों में पानी की जरूरत थी तब बिजली, पानी नहीं दिया, जब फसल तैयार हुई, क्रय केंद्रों में खरीद नही की, इस कारण किसानों को औने-पौने दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ी। केंद्र सरकार के द्वारा सूखा, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता के बाद भी वह काम किया कि ''का वर्षा जब कृषि सुखानी'' किसानों को मुआवजा समय से और सभी को नहीं मिला, वितरण में दल के हिसाब से भेदभाव किया गया, सपाई हो तो मुआवजा मिलेगा, भाजपाई हो तो मुआवजा नहीं मिलेगा।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि किसानों को मुआवजे की राशि बिना भेदभाव के तीस दिन के अंदर भुगतान की जाए और उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाये, सरकारी खर्च पर फसलों का बीमा कराया जाये तथा किसी भी दुर्घटना में भूमिहर अथवा भूमिहीन किसान की मृत्यु होने पर 50 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाये, निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था की जाये एवं जैविक कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाये।

[*] Speech was laid on the Table.

***प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) :** मैं सूखाग्रस्त उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) से आता हूं । मेरे क्षेत्र में 200 से अधिक ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है । मेरा अनुरोध है कि खरीफ-रबी गाँव हटाकर हर फसल पर सरकार मदद करे । बीमा योजना में किसान का और खेत में फसल का बीमा से जो बीमा प्रीमियम भरा उसे नुकसान की बीमा राशि कंपनी दे । (नेट टू नेट) बीमा निकाले (अपघटन बीमा न रहे) । आत्महत्या ग्रस्त किसानों को 5.00 लाख तक मुआवजा दे। केन्द्र कर्ज देनी नहीं उसे धान देकर कर्ज उपलबध कराया जाए ।

* Speech was laid on the Table.

*__श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) :__ मैं थार मरूस्थल के क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हूँ दुर्भाग्य मेरे क्षेत्र का सहोदर है, सगा भाई है । पिछले 50 वर्षों में से 43 वर्ष पश्चिमी राजस्थान में आंशिक अथवा पूर्ण अकाल रहा है । देश की औसत वर्षा लगभग 900 एमएम होती है व जिन प्रदेशों में सूखे के विषय में चर्चा हो रही है उन सभी प्रदेशों का औसतम भी 600 एमएम से अधिक है । यदि सिंचित जमीनों के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाये तो देश का औसतम 45 % हे । देश में किसी क्षेत्र में यदि 25 % वर्षा औसत से कम हो तो उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है तथा यदि 50 % औसत से कम वर्षा हो तो उस ही अकालग्रस्त घोषित कर राहत कार्य तदनुसार प्रारंभ् किये जाते हैं । माननीय सभापति महोदया यदि उन क्षेत्रों में जहाँ का औसत 900-1000 या 600 एमएम है उनमें यदि 50 % कम यानि 450-500 या 300 एमएम वर्षा होती है तो वहां अकाल राहत का कार्य होता हे तथा देश भर में चाहे सदन में हो अथवा सदन के बाहर सूखे की चर्चा प्रारंभ हो जाती है जबकि मेरे प्रदेश को तो औसत ही मात्र 300 एमएम है । 1000 एमएम औसत वाले क्षेत्र में यदि 500 एमएम वर्षा हो तो वहाँ क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर किसान को राहत प्रदान की जा सकती है, उसके पास विकल्प मौजूद रहते हैं जबकि मेरे क्षेत्र में तो यदि औसतम से आधी बरसात होती है, जो कि मेरे क्षेत्र में अनकॉमन फीनोमेना नहीं है तो किसान व ग्रामवासियों के लिये अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता हे ।

आज किसान की बढ़ती दुदर्शा व कृषि कार्य से लगातार बढ़ते मोहभंग के कारण देश के समक्ष जहां एक ओर भविष्य में अन्न का संकट आने की संभावना बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर जहाँ देश के 60 % से ज्यादा लोग चूंकि आज भी कृषि कार्य पर आपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं के जबरन मजदूर बनने का संकट खड़ा है ।

आज यह समयानुकल नहीं है कि जब देश का अन्नदाता संकट में है हम आपने क्या किया व क्या नहीं किया का दोषारोपण एक दूसरे पर किया जाए अपितु समय की मांग यह है कि हम सभी जिस विषय पर समवेत रूप से चिंतित हैं पर राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर देश के सामने आसन्न इस संकट से निपटने व आने वाली पीढ़ी व समय रहते कृषि क्षेत्र को संबल प्रदान करने की दिशा में चिन्तन आरंभ करें ।

सूखा व वर्षा की कमी नितान्त -प्राकृतिक विषय है तथा ईश्वराधीन है, प्रकृति का ऋतुचक्र भी परिवर्तित होता जा रहा है, अन्य ऋतुओं की ही तरह वर्षा का समय भी बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है, पैतृक संपदा होने के कारण प्रति किसान का जोत क्षेत्रफल लगातार घट रहा है, जमीन के भीतर जल

---

* Speech was laid on the Table.

समाप्त प्राय है, मेरे प्रदेश में तो लगभग 70 % क्षेत्र डार्क जोन घोषित है तथा बचे हुए क्षेत्र घोषित होने के कगार पर है, नदियों का जल प्रवाह सिकुड़ता सिमटता जा रहा है, ऐसे में गंभीर चुनौती सामने प्रतीत होती है।

व्यापक शोध व विभिन्न विभागों का इंटीग्रेशन करते हुए विषय विशेषज्ञों को व्यापक चिंतन करते हुए इस देश के अन्नदाता का भविष्य और सीधे इस देश के भविष्य से संबद्ध इस विषय के लिए काम करने का समय है, समय पर उचित बीज की उपलब्धता, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण जलपुनर्भरण व रीवर इंटीग्रेशन पर शीघ्र व त्वरित गति से काम करने का समय अब आ गया है ।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ युगदृष्टा प्रधानमंत्री जी व उनके नेतृत्व वाली सरकार का जिसने किसान के समक्ष आई आपदा के समय मुआवजे की दर व आधर में परिवर्तन कर देश भर के किसानों को न केवल संबल प्रदान किया बल्कि आत्महत्या के लिए मजबूर होने से भी बचाया है । साथ ही स्वायल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व टेक्नॉलोजी के लैब टू लैंड ट्रांसफर की दिशा में ठोस कार्य प्रारंभ करते हुए अन्नदाता के लिये आशा का सूर्य उगाने का कार्य प्रारंभ किया है । किन्तु अभी हमें मीलों लबा सफर तय करना है ।

[*]**कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** कृषि व किसानों को सूखे से अपार क्षति पहुंचती है। मेरे द्वारा कहे गये शब्दों को सदन गंभीरता से मनन व चिन्तन करके कृषि से किसान के अटूट व पवित्र प्रेमपूर्ण बंधन को खेत को पानी की सुविधा देकर सूखे से निपटने के सभी सफल उपाय करके किसान को कृषि से विमुख होने से बचाने का हर संभव प्रयास करें। किसानों का नारा जो पचास साल से आधे हिन्दुस्तान में विशेषकर मेरे बुन्देलखण्ड में आज सर्वाधिक प्रायः लगाया जाता है कि "चाहे जो मजबूरी हो, हमारी माँगे पूरी हो" , मेरा सरकार से निवेदन है कि कांग्रेस के शासन में अन्नदाता की रीढ़ तोड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया गया उससे अन्नदाता को 5 से 10 वर्ष के अन्दर शत प्रतिशत सूखे से निपटने के लिए स्वयं किसान को समर्थ बनाना ही होगा ।

विश्व में खाद्यान्न संकट के इस संकट के दौर में हमारे हिन्दुस्तान के किसानों ने सदैव अपनी सुविधा व क्षमता से अधिक कर्ज में निरन्तर डूबकर एवं अपने परिवार के सदस्य को दुर्भाग्य से आत्महत्या के कारणों के ज्ञात होने के उपरान्त भी साहस एवं हिम्मत से, धैर्य से कृषि कार्य से संलग्न है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महोबा एवं तिन्दवारी जो गौरवशाली, वीर बुन्देलखण्ड की ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व वाली भूमि देश की सीमाओं की सुरक्षा हेतु अनगिनत बलिदान देने वाली भूमि का अंग है। आज निरन्तर 10 वर्षों से पड़ रहे सूखे के कारण से दुर्दिन देखने को मजबूर हैं, हमारे बुंदेलखण्ड का अति स्वाभिमानी किसान जो तुलनात्मक रूप से देश के अन्य क्षेत्रों के किसानों से अधिक क्षेत्रफल में (प्रति किसान क्षेत्रफल) कृषि करता है आज सिर्फ पानी, बिजली की कमी के कारण सूखे की मार झेल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हर संभव प्रयास करके समूचे बुंदेलखण्ड को शत प्रतिशत सिंचित करने का सफल उपाय करने से देश को दोहरा लाभ होगा। एक तो किसान सम्पन्न समर्थ होगा और अपनी कृषि को साधन सम्पन्न बनाकर स्वयं सक्षम होकर अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करेगा, ही साथ ही साथ प्रति किसान अधिक भूमि होने के कारण देश के अन्य क्षेत्रों को खाद्यान्न देने का कार्य करेगा । देश के अन्न की मात्रा को भरेगा और दूसरा अपने परिवार के बच्चों और युवकों को स्वस्थ व शिक्षित बनाकर देश की प्रगति में योगदान भी करेगा ।

अपनी बात पूर्ण करने के पूर्व मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि सर्वप्रथम बुन्देलखण्ड के सूखाग्रस्त क्षेश्त्र को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संतृप्त करें । उसके बाद अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्र एवं अन्त में अन्य क्षेत्रों में योजना को लागू करें ।

---

[*] Speech was laid on the Table.

बार-बार हर बार यही निवेदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं कि बुन्देलखण्ड की कृषि एवं किसान को सर्वप्रथम संरक्षित व सुरक्षित करने का काम करें ।

[*]**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) :** सूखे की स्थिति से कारगर रूप से निपटने के लिए सरकार केंद्रीय शुष्क खेती अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 600 जिलों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय में कृषि आकस्मिकता योजना का प्रचार कर रहे हैं। आकस्मिकता योजना फसल/पशुधन/जल कृषि प्रणालियां/पद्धति, मृदा विशेषताएं, अवसंरचना सुविधाएॅं आदि को ध्यान में रखते हुए जलवायु भिन्नता के समय वैकल्पिक रणनीतियॉं निर्धारित करते हुए जिला स्तर पर किसानों को विस्तृत परामर्श प्रदान कर रही हैं। विभिन्न मौसम स्थितियों जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात लू/शीत लहर, पाला, रोग आदि के लिए निश्चित उत्प्रेरक मॉडलों के आधार पर इन योजनाओं को विकसित किया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पुनःसंरचित राशि पर प्रथम वर्ष के लिए बैंक को दो प्रतिशत दर पर ब्याज सहायता उपलब्ध कराये जाने को जारी रखने का निर्णय किया है, इससे किसानों का सूखे से निपटने में काफी मदद मिलेगी।

सूखे को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है, इसका इसी बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि जैसे ही सूखे से संबंधित खबरें आई, सरकार ने पिछले खरीफ सीजन की शुरूआती अवधि में बारिश न होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सूखा संबंधी राहत पाने के लिए प्रभावित राज्यों को तत्काल ज्ञापन पेश करने को कहा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने तत्काल बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, झारखण्ड और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों को संदेश भेज यह आग्रह किया कि वह अपने यहॉं प्रभावित जिलों की संख्या के बारे में तत्काल सूचित करें।

हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एवं सूखा राहत के लिए निम्न कार्य कियेः- **चिरस्थायी बागवानी फसलों को बचाने के लिए उपायः** जल की कमी वाली बागवानी फसलों को पुनर्जीवित करने के लिए समुचित उपाय करने के लिए 150 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। देश के सभी सूखा प्रभावित जिले/ब्लॉकों में यह योजना लागू की जा रही है, जो समन्वित बागवानी विकास मिशन के अधीन शामिल किये गये हैं और कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सूखा प्रभावित जिले/ब्लॉक के किसानों को प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए लागत के आधार पर 6,000 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। राजसहायता के माध्यम से इस प्रकार दी जाने वाली सहायता में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रशासन 50-50 के आधार पर हिस्सेदारी करेंगे।

---

[*] Speech was laid on the Table.

अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयनः पशुधन पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव में कमी लाने के उद्देश्य से चारा उत्पादन के लिए अतिरिक्त सहायता (50 करोड़ रूपए का आवंटन) दी जायेगी। सूखा प्रभावित जिले/ब्लॉकों के किसानों को अतिरिक्त चारा उत्पादन के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए लागत के आधार पर 3200 रूपए प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। राजसहायता के माध्यम से इस प्रकार दी जाने वाली सहायता में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन 50-50 के आधार पर हिस्सेदारी करेंगे।

आर.के.वी.वाई और केंद्र प्रायोजित अन्य योजनाओं के अधीन लोचशील आवंटनः राज्यों को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अधीन आवंटित लगभग 5 से 10 प्रतिशत धनराशि को अलग रखें, ताकि कृषि क्षेत्र पर मानसून के प्रतिकूल प्रभाव में कमी लाने के उद्देश्य से आवश्यक उपाय किये जा सके।

आकस्मिक फसल योजनाः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.डी.ए.) हैदराबाद के माध्यम से कृषि मंत्रालय ने 600 जिलों के लिए विस्तृत आकस्मिक फसल योजनाएं तैयार की हैं। राज्यों को सी.आर.आई.डी.ए.- आई.सी.ए.आर. और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से परामर्श करके प्रत्येक आकस्मिक फसल योजना तैयार करने/अद्यतन बनाने की सलाह दी गई है।

राज्यों के लिए चेतावनियां- राज्य सरकारों का सलाह दी गई है कि वे महात्मा गांधी नरेगा और अन्य ऐसी योजना के अधीन जल संभरण संरचनाओं के निर्माण जैसे अग्रिम निदान की दिशा में पहल करें।

खरीफ 2015 के लिए बीजों और अन्य संसाधनों की उपलब्धताः कृषि विभाग में साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह (सीड्ब्ल्यूजी) की बैठकों में बीजों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की निरंतर निगरानी/समीक्षा की जाती है।

एस.एम.एस. के जरिए चेतावनीः मंत्रालय की ओर से पंजीकृत किसानों को एम-किसान पोर्टल के जरिए एस.एम.एस. चेतावनी भेजी जाती है।

वर्ष 2015 में सूखे के लिए संकट प्रबंधन योजनाः कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर सूखे के लिए एक संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) उपलब्ध कराई गयी है।

एसडीआरएफ/एनडीआरएफ कोष- एसडीआरएफ की पहली किस्त जारीः प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है। भारत सरकार वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। राहत संबंधी उपायों के संचालन

के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के रूप में राज्य सरकारों के पास धन उपलब्ध है। इसकी पहली किस्त राज्यों सरकारों के लिए जारी की गई है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Minister to reply.

The other hon. Members can seek clarifications after the hon. Minister's reply. If there is time, I will allow them to seek some kind of clarifications. They can do it at that time.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पांच दिनों से चर्चा हो रही है। मुझे खुशी है कि लगभग 33 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और 41 सदस्यों ने अपनी राय लिख कर दी है, लेकिन दुःख इस बात का है कि जिन लोगों ने चर्चा शुरू की, वे यहां उपस्थित नहीं हैं। आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारा संदेश उन तक पहुंचे। कृषि विभाग सूखा, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण और ओला के लिए जो उपाय होते हैं उसके लिए हम गृह मंत्रालय से समन्वय करते हैं। राहत दो तरीके से दी जाती है, इस बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। हम सब अधिकतर किसान परिवार से हैं, कृषि से नाता वर्षों पहले छूट गया है। आज जो व्यवस्था है उसका पूरा चित्र हमारे ध्यान में नहीं है, इस बारे में थोड़ा विस्तातर से बताऊंगा, राहत दो तरीके से दी जाती है, राज्य आपदा अनुसरण कोष, जिसे एसडीआरएफ कहते हैं, पहले से राज्यों के पास पैसा उपलब्ध रहता है जिसमें 75% भारत सरकार और 25% राशि राज्य सरकार की होती है। यह राशि दो किस्तों में दी जाती है, एनडीआरएफ से पैसा मुहैया कराया जाता है, जब कहीं आपदा आती है तो राज्य सरकार के पास जो एसडीआरएफ का पैसा होता है उसे खर्चा करते हैं। नई सरकार ने एक व्यवस्था की है, देश के अंदर 12 राष्ट्रीय आपदाएं हैं, इसके अलावे भी और आपदाएं आती हैं जैसे बिजली गिरने से कोई मर गया, कटाव होने से मर गया या किसान का नुकसान हुआ, स्थानीय आपदाओं के लिए भी इस राशि में से 10% राशि राज्य खर्च कर सकते हैं, इसके पहले यह व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त सहायता हेतु मद और मानदंडों के दृष्टिगत स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गंभीर किस्त की प्राकृतिक आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से पैसा दिया जाता है। एसडीआरएफ में पैसा कम पड़ने पर राज्य केन्द्र सरकार से एनडीआरएफ से पैसा मांगती है और इसके लिए ज्ञापन सौंपेती है। एक सेन्ट्रल टीम राज्यों का दौरा करती है, जिसके पश्चात् राज्यों के लिए पैसा तय होता है।

हममें से बहुत से लोगों को दिमाग में यह बात रहती है कि एनडीआरएफ की टीम जाएगी, वह आकलन करके आएगी और उसके बाद पैसा दिया जाएगा लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्यों के पास

पहले से पैसा होता है, उदाहरण के लिए आप मध्य प्रदेश की सरकार को देख सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर राशि तय करके राहत का काम शुरू किया है। मैं झारखंड गया था, वहां की राज्य सरकार ने 1300 करोड़ रुपये की राशि कैबिनेट से मंजूर कर सहायता शुरू की। जब हमारे पास ज्ञापन आता है, हमारी टीम जाती है, अगर 1300 करोड़ रुपये उन्होंने खर्चा किया है, एनडीआरएफ के प्रावधान के तहत कितनी राशि देनी है, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में वित्त मंत्री और कृषि मंत्री उसके सदस्य होते हैं, वहां से तय होता है और फिर उतना पैसा राज्य के खजाने में जाता है। यह जो समझ है कि बिना टीम के गए सहायता का काम शुरू नही होगा, इसे समझना आवश्यक है। अभी खरीफ के सीजन में कम वर्षा हुई उसके कारण कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य सूखा से प्रभावित हुए हैं। उपरोक्त 9 राज्यों से ज्ञापन आया है। उस ज्ञापन के मुताबिक 9 राज्यों में 207 जिलों को सूखा घोषित किया गया। हमारी केन्द्रीय टीम अधिकतर राज्यों से दौरा करके वापिस आ गयी है और उसने बैठक करके राज्यों की डिमांड उच्चस्तरीय कमेटी को भेज दी है। सिर्फ आंध्र प्रदेश की टीम कल लौटेगी और झारखंड का मेमोरेंडम चूंकि विलंब से आया है, इसलिए टीम गठित हो रही है। एक-दो दिन में वहां भी टीम दौरे के लिए जायेगी। हमें 207 जिलों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, लेकिन बराबर 302 जिलों की चर्चा हो रही है। मौसम विज्ञान ने बताया कि (-) 20 प्रतिशत वर्षा 302 जिलों में हुई है। इसका मतलब यह नही है कि 302 जिलों में अकाल पड़ गया। अब हम नेपाल की तराई में रहते हैं। वहां यदि (-) 25 प्रतिशत वर्षा होती है, तो सूखे का संकट नहीं होगा। लेकिन विदर्भ में (-) 15 प्रतिशत वर्षा हो जाये, तो सूखे का संकट होता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 302 जिलों में (-) 20 प्रतिशत वर्षा हुई है। लेकिन अभी तक राज्यों से जो मेमोरेंडम आये हैं, उसके मुताबिक 9 राज्यों के 207 जिले प्रभावित हैं।

महोदय, अब एक दूसरा विषय है कि पूरे देश में, खासकर मैं कुछ टेलीविजन पर देख रहा हूं कि बुआई की हालत बहुत खराब हो गयी है। पन्द्रह दिन पहले जब मैं टेलीविजन देख रहा था, तो कुछ टेलीविजन पर ऐसे लगा, जैसे गेहूं की बुआई का समय समाप्त हो गया है। इस बार आधा उत्पादन नहीं होगा और देश में भारी अकाल पड़ेगा। अब कागज में भले ही यह लिखा है कि 30 नवम्बर तक बुआई होगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहां बहुत हैं, इसलिए वहां धान की कटनी होनी है। अभी दिसम्बर का फर्स्ट वीक है। हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब गन्ने की कटाई बहुत खेतों में होती है तब गेहूं की बुआई होती है। कहीं आलू निकालने के बाद उसमें गेहूं की बुआई होती है। अब संकट जरूर है और किसान संकट में है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति को काफी गंभीर बना दिया जा रहा है, तो उन्हें हम स्मरण दिलाना चाहेंगे कि वर्ष 1965 में लगातार दो

बार, यानी दो फसलों पर सूखा पड़ा था। उस समय देश में बहुत हाहाकार मचा था और महंगाई चरम पर थी। इस बार मोदी सरकार आने के बाद पहला सूखा खरीफ पर पड़ा, क्योंकि (-)12 प्रतिशत वर्षा हुई। फिर रबी में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई। उसके बात वर्ष 2015 में खरीफ की फसल हुई, उसमें सूखा पड़ा। अब प्राकृतिक की आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे जो उत्पादन होने वाले प्रभाव हैं, उसे हम कितना कम कर सकते हैं, यह सरकार की प्रारंभिक जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि वर्ष 1965 के बाद, उस समय दो फसलें सूखे से प्रभावित थीं, तो इस बार तीन फसलें सूखे और ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं। आज जो स्थिति है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि रबी मौसम में कुल बुआई का रकबा कितना है। मैंने 9 तारीख को सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बात की कि कहां क्या स्थिति है? कल ई-मेल से हमने सभी जगह से जानकारी मंगायी है। उसके आधार पर 11 दिसम्बर, 2015 तक 442 लाख हैक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 446 लाख हैक्टेयर दर्ज था, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत कम है। सूखे का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उतना नहीं पड़ने दिया, क्योंकि कंटीजेंसी प्लान बनाकर हमने राज्यों को दिया है। यह इसका परिणाम है। अभी 15 दिन और बुआई होने वाली है। यह पूरे रबी का आंकड़ा है और केवल 9 प्रतिशत की कमी है। जब हम गेहूं की बात करते हैं, तो इस वर्ष 202 लाख हैक्टेयर में बुआई 11 दिसम्बर, 2015 तक हुई है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 241 लाख हैक्टेयर की बुआई हुई थी, जिससे 16 प्रतिशत कम है। लेकिन अभी 15 दिन गेहूं की बुआई और होनी है। मैंने पहले भी बताया कि आलू और गन्ने के बाद भी यह बुआई शुरू होगी। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों से बात हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी-अभी बात हुई है।

दलहन की बुआई का क्षेत्र 114 लाख हेक्टेयर है जो कि पिछले 115 लाख हेक्टेयर था, मात्र .7 प्रतिशत यानी गत वर्ष की तुलना में बराबर है। इस वर्ष सूखा ज्यादा है फिर भी दलहन की बुआई लगभग बराबर है। यह ऐसे ही बराबर नहीं आया है, इसके लिए ज्यों ही सरकार आई, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तहत जो राशि राज्यों को देते थे, उसमें आधी राशि निर्देशित की कि इससे सिर्फ दलहन की खेती करने वाले किसानों को सहायता देनी है।

महोदय, कृषि का माध्यम राज्य है। राज्यों के माध्यम से हमने काम किया और कई राज्य सरकारों ने इसमें काफी रुचि दिखाई है। अगर कुछ लोग सामने होते तो मैं सवाल पूछता, क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने देश में 300 कृषि विज्ञान केंद्रों को पैसा दिया है फ्रंट लाइन एक्सटेंशन के लिए ताकि पैदावार के बीज किसानों की फील्ड एक्सटेंशन में जा सके। यह ठीक है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम आज दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बार-बार अपने भाषण में कहता हूं कि हमारे पुरखे मानते थे कि सतयुग और

द्वापर के युग में जो पाप करता था, उसी को प्राश्चित करना पड़ता था। यह कलयुग है, इसमें पाप कोई करता है और प्रायश्चित किसी दूसरे को करना पड़ता है।

महोदय, दलहन और तिलहन के विषय में कई सवाल खड़े किए गए हैं। क्या आज तक सरकारों को चिंता नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि दलहन और तिलहन के मामले में आज नहीं वर्षों से उत्पादन कम है? क्या पहले बफर स्टाक बनाने की चिंता नहीं करनी चाहिए थी? हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं जिन्होंने पहली बार इसके बफर स्टाक बनाने की घोषणा की। हमने बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए राज्यों को पत्र लिखा, मूल स्थिरीकरण फंड की माननीय प्रधानमंत्री ने व्यवस्था की। किसी राज्य सरकार को यदि लगता है प्याज, दाल और आलू की कीमत बढ़ने वाली है, वह प्रस्ताव दे, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, उसे खरीदकर स्टाक करे। भारत सरकार के कर्मचारी सब जिलों, ब्लाकों और राज्यों में नहीं है। मुझे खुशी है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दो-तीन राज्यों ने प्रस्ताव दिया और उनको हमने पैसा दिया। संसद के माननीय सदस्यों को यदि किसानों की चिंता है, उपभोक्ताओं की चिंता है तो निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र में, अपने राज्यों में सरकारों से बात करें। हम सब माननीय सदस्यों को मुहैया कराने वाले हैं कि हम किस राज्य को कितना पैसा देते हैं और कितना वह खर्च कर पाते हैं, हम कितनी योजनाओं का सुझाव देते हैं और वे कितना पालन कर पाते हैं। मूल स्थिरीकरण फंड का चार राज्यों ने उपयोग किया है जबकि कई राज्य सरकारों ने हमारे द्वारा चार बार पत्र भेजने के बाद भी इसका उपयोग नहीं किया है।

महोदय, इसी प्रकार से तिलहन में सात प्रतिशत की कमी जरूर आई है लेकिन दलहन की बुआई में कमी नहीं आई है। जहां तक उत्पादन का सवाल है, वर्षा की दृष्टि से 2013-14 बहुत अच्छा साल था। उस साल खरीफ चावल का उत्पादन 91 मिलियन टन था। रबी के 15 मिलियन टन उत्पादन को मिलाकर वर्ष 2013-14 में चावल का कुल उत्पादन 106 मिलियन टन था। यह वर्ष बहुत अनुकूल था। वर्ष 2014-15 के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून वर्षा सामान्य से कम रही थी। पूरे देश में वर्षा में सामान्य से 12 प्रतिशत की कमी रही थी। इसके बावजूद खरीफ चावल का उत्पादन 90 मिलियन टन रहा। रबी का 13 मिलियन टन उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। 12 प्रतिशत कम वर्षा के बावजूद वर्ष 2014-15 में चावल का कुल उत्पादन 104 मिलियन टन रहा जो पिछले साल के रिकार्ड उत्पादन 106 मिलियन टन की तुलना में मात्र एक-डेढ़ प्रतिशत कम रहा।

मैंने पूर्व में भी कहा कि प्राकृतिक आपदा को हम नहीं रोक सकते लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं, कम वर्षा होने के बाद भी चावल के उत्पादन में डेढ़ प्रतिशत की कमी आई थी। वर्ष 2015-16 में भी वर्षा की स्थिति ठीक नहीं थी तथा देश में मानसून वर्षा सामान्य से 14 प्रतिशत कम थी। वर्ष 2015-16 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार मानसून वर्षा में 40 प्रतिशत की कमी

के बावजूद खरीफ चावल का उत्पादन 90 मिलियन टन होने की संभावना है जो वर्ष 2013-14 के खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में मात्र एक प्रतिशत कम है। वर्ष 2013-14 का अनुकूल औसत था लेकिन उसके बाद का सूखा पड़ा था तो केवल एक प्रतिशत की कमी आई और इस बार का भी जो हमारा अनुमान था, 14 प्रतिशत की कमी खरीफ में रही है तो मात्र एक प्रतिशत की कमी आने वाली है।

महोदय, गेहूं के उत्पादन के लिए वर्ष 2013-14 वर्षा की दृष्टि से अच्छा था। वर्ष 2014-15 में गेहूं की फसल अच्छी थी किंतु फरवरी-मार्च 2015 में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसल को काफी नुकसान हुआ और पैदावार लगभग 89 मिलियन टन हुई फिर भी जो योजना आयोग का अनुमान था, कुल उत्पादन 87 मिलियन टन से एक मिलियन टन ज्यादा था। इसलिए इस साल गेहूं की आवश्यकता पूरी होने में कोई कठिनाई नहीं है और ऐसा अभी किसी के द्वारा कहा जा रहा है तो यह उसके मन की कपोल कल्पना है।

वर्ष 2015-16 भी वर्षा की दृष्टि से अच्छा वर्ष नहीं रहा है। देश में सामान्य से 14 प्रतिशत कम हुई है। अभी गेहूं की बुवाई चल रही है। मैंने उसका आंकड़ा बताया है लेकिन वर्ष 2015-16 में गेहूं के उत्पादन का हमारा अग्रिम अनुमान फरवरी 2016 में आएगा। तब इसका अंदाज लग सकेगा लेकिन मुझे लगता है कि गेहूं की बुवाई में जो इतनी भारी कमी बताई जा रही है, उतनी भारी कमी नहीं रहेगी। जो सवाल उठता है कि अब हमारी सरकार क्या कर रही है या इससे निपटने के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई है?

सूखा पिछली बार भी पड़ा था। उस समय प्रधान मंत्री जी ने उससे पहले ही सूखा से निपटने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और इस बार भी हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। फिर खाद और बीज पर सहायता तथा चारा पर सहायता भी दी गई है। बागबानी में नुकसान होता है तो उसके लिए कुछ लोग भाषण कर रहे थे कि जमीन पर जाना चाहिए। हमारे केन्द्र के सभी कैबिनेट मंत्री जब ओलावृष्टि हुई थी तो वे सब खेत पर खड़े हुए दिखाई दिये थे। अरुण जेटली जी राजस्थान के खेत में खड़े थे तो मैं नासिक के गांव में था और हम महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी को बधाई देंगे कि अभी उस समय 12000 प्रति हेक्टेअर फलों के लिए था तो 13000 प्रति हेक्टेअर वहां की सरकार ने अपने खजाने से दिया था और 25-25 हजार रुपये लोगों को दिया गया था। हमारे मित्र नड्डा जी यहां पर बैठे हैं। हम दोनों हिमाचल गये थे और हम सिर्फ पहाड़ पर ही नही घूमे थे, बल्कि गांवों में खेतों में भी हम दोनों गये थे और हम सभी राज्यों में गये थे। फिर हमने 600 जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाकर दिया। हमारे एक मित्र चर्चा कर रहे थे कि कंटीजेंसी प्लान बनना चाहिए ।

यह देश का दुर्भाग्य है कि जो काम हुआ और जिसकी चर्चा पूरे देश में है और इस सदन में भी पिछली बार चर्चा हुई थी और काफी काम इस क्षेत्र में किया गया है। कंटीजेंसी प्लान हमने उस समय भी दिया था जिस समय हमारी सरकार आई थी। फिर इस समय जब सूखे का संकट आया़ तो फिर राज्यों से, कृषि विश्वविद्यालयों से और फिर हैदाराबाद में हमारी एक संस्था है, उसके साथ बैठकर, उसको रिवाइज करके पहले ही राज्यों को मुहैया कराया गया कि कितने दिन बारिश में विलम्ब होता है तो कौन सी फसल लगानी चाहिए और उसी कंटीजेंसी प्लान का प्रभाव है कि आज उत्पादन पर जितना असर पड़ना चाहिए, पिछली बार भी नहीं पड़ा है और इस बार भी नहीं पड़ेगा। हम राज्य सरकार और जिले के अधिकारियों को भी बधाई देंगे कि संकट से उत्पन्न प्रभाव को कम करने में राज्यों ने बड़ी सहायता की है।

महोदय, हमने ऋण प्रवाह को भी बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2013-2014 में सात लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2014-2015 में आठ लाख करोड़ रुपए हमारी सरकर ने किया था। वर्ष 2015-2016 में इस राशि को बढ़ाकर आठ हजार करोड़ रुपए कर दिया। मैं माननीय महताब जी की बात से सहमत हूं कि रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसा परिपत्र जारी किया था, जिसके कारण विसंगतियां पैदा हुई थीं लेकिन हमने तुरंत पत्र लिखा था और बाद में रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 2015 में जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कृषि के बीच का अंतर समाप्त कर दिया है, इससे पूर्व प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत 13.5 और अप्रत्यक्ष कृषि के तहत 4.5 की सीमा थी। आरबीआई ने लघु और सीमांत किसानों के लिए एएनबीसी का लक्ष्य चरणबद्ध रूप से मार्च, 2016 तक 7 प्रतिशत और 2017 तक 8 प्रतिशत प्राप्त करना है। कमजोर वर्गों के लिए एएनबीसी के दस प्रतिशत अथवा तुलना पत्र से एक्सपोजर के सम मूल्य राशि जो भी अधिक हो, के लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अक्षम्य व्यक्तियों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है।

हमारे मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि के बीच के अंतर को समाप्त करने के निर्देश को पुनर्विचार करने के लिए लिखा था और उसके पश्चात् आरबीआई ने अपने नए दिशा-निर्देशों के अनुसार मार्गदर्शिता में परिवर्तन करके बैंकों को पिछले तीन वर्षों में सभी गैर निर्मित किसानों को दिए गए प्रत्यक्ष उधारी का औसत बनाए रखने को कहा है। वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए इस औसत की दर 11.57 निर्धारित की गई है। इस विषय को माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाया गया था। मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विसंगति को दूर करने के लिए स्वयं रुचि ली थी। इसी तरह से राहत के जो नार्म्स थे, बहुत लम्बे-चौड़े थे। किसानों के लिए देहात की भाषा ऐसी है जिसे सुनन और बोलने से सही नहीं लगता है लेकिन एक प्रकार से किसानों के लिए जो नौटंकी करते हैं, क्या उनके ध्यान में नहीं था कि किसान की 50 फीसदी फसल बरबाद होगी, तभी उसे मुआवजा मिलेगा। क्या 49

प्रतिशत जिसकी फसल खराब हुई है, उसे मुआवजा नहीं मिलेगा? यह तय करने वाली मशीनरी भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई थी और किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं मिलता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें चेंज किया और कहा कि 33 प्रतिशत तक नुकसान होगा तो उसे भी मुआवजा मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि एक हेक्टेयर से ज्यादा पर नुकसान नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर दो हेक्टेयर तक नुकसान होगा तो भी मुआवजा दिया जाएगा।

महोदय, यह ऐतिहासिक निर्णय था कि यदि ओलावृष्टि हुई और धान की फसल तैयार हुई है लेकिन उसके दाने खराब हो गए। उस फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं जाता था। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें किसान की गलती नहीं है बल्कि प्राकृतिक आपदा से अगर कोई अनाज खराब होता है तो समर्थन मूल्य उस फसल का भी दिया जाएगा और उस फसल का अलग से रखरखाव किया जाएगा और किसान को उस फसल का पूरा पैसा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा में जो लोग मरते थे तो डेढ़ लाख रुपए उन्हें मुआवजे के तौर पर दिया जाता था। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और कहा कि चार लाख रुपया दिया जाएगा। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि जब भूकम्प आया और कई गांवों में जब मैं स्वयं राहत का चैक लेकर गया और चार लाख रुपया जब उस परिवार को मिलता था तो गांव के लोग इकट्ठा होते थे और कहते थे कि नरेन्द्र भाई मोदी सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो देश के पीड़ितों के लिए भाग्य विधाता हैं।

जो लोग गरीब की बात तो नहीं करते हैं, केवल नारा लगाते हैं, निष्ठा से नहीं करते हैं, उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना में क्या है। गांव में जो गरीब किसान परिवार है, इससे उसे मदद मिलती है। नवादा में एक गरीब की दुर्घटना में मौत हो गयी। उसने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत अपना खाता बैंक में खोला था। उसका खाता चालू था। जब बैंक के अधिकारी उसके परिवार को एक लाख रुपया देने गये, तो गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गये और कहने लगे कि यह कौन-सी योजना है। कैसा प्रधानमंत्री है, जो इस बात की चिन्ता कर रहा है कि यदि एक गरीब आदमी मरता है तो उसे एक लाख रुपया मिलेगा। इस प्रकार से, वर्षों से जो विसंगतियाँ थीं, उसे दूर करने का प्रयास किया गया है और किसानों को अधिक से अधिक सहायता मिले, इसे करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

मैं आपके माध्यम से यह भी संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ मित्र भूमिहीन किसान की बात करते थे। भूमिहीन किसानों का ग्रुप बनाकर उनको खेती के लिए कर्ज देना चाहिए, यह ठीक है। यह योजना वर्ष 2006-07 से शुरू हुई थी। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013-14 तक करीब सात साल हो गये, इन वर्षों में, किसानों के लिए घड़ियाली आँसू बहाने वाली सरकार और उसके नेताओं द्वारा उक्त छः-सात वर्षों में छः लाख ग्रुप बनाये गये थे। अभी हमारी सरकार के मात्र 18 महीने ही हुए हैं। इस काम को सीधे तौर से

नाबार्ड करता था। जब हमारी सरकार आयी, तो हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट में ही इसका प्रावधान किया और उसी का परिणाम है कि मात्र 18 महीने के अंदर ही हमने सात लाख समूह बनाये हैं और भूमिहीन किसानों को सात हजार करोड़ रुपये लोन देने का काम किया है।

जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकट है। आज इससे पूरा देश चिन्तित है। जलवायु परिवर्तन पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना परिचालित की है। जिसमें अखिल राष्ट्रीय मिशनों के सृजन की परिकल्पना की गयी है तथा कृषि के लिए कृषि में जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वाइल हेल्थ कार्ड मिशन की भी शुरुआत की गयी है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, जो जलवायु परिवर्तन के प्रशमन में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करेगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आजीविका अवसरों में वृद्धि करने, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए उपयुक्त अनुकूलन को प्रशमन कार्य-नीतियाँ तैयार करके यह मिशन जलवायु परिवर्तन से जुड़े, जोखिमों के संबंध में सतत कृषि से जुड़े मसलों का समाधान करेगा। हमारे परिवर्तन की जो योजना बनी है, उसमें भारतीय कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए अंतिम उद्देश्य से विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में सौ जिलों को आईसीएआर द्वारा चयनित किया गया है। जहाँ जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए विकसित टैक्नोलॉजी की प्रारंभिक जांच के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल की शुरुआत की है और इससे पूरा देश चिन्तित हो रहा है। सरकार इसे प्राथमिकता में लेकर इस दृष्टि से काम कर रही है।

जहाँ तक आर्सेनिक की बात है, हालांकि इसका संबंध कई मंत्रालयों से है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आर्सेनिक से प्रभावित भूजल की समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इस संबंध में अध्ययन-कार्य शुरू किये गये हैं, जिनके निष्कर्षों को पश्चिम बंगाल में प्रयोग में लाया गया है। इस अनुक्रम में आर्सेनिक हटाये जाने संबंधी तकनीकों का इस्तेमाल करके आर्सेनिक युक्त भूजल को साफ करके, श्री भोला बाबू ने यह विषय ज़ीरो आवर में उठाया था, वैकल्पिक स्वच्छ जल संसाधनों की व्यवस्था करके आर्सेनिक संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाली संपूर्ण आबादी को आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। हमारे मंत्रालय की इकाई, जो ट्यूबवेल से संबंधित काम देखती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर इस अभियान को तेज किया जा रहा है।

फसल बीमा योजना की चर्चा अधिकतर सदस्यों ने की है। फसल बीमा योजना के बारे में, मुझे याद है, जब श्री अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो इसे वर्ष 2000 में प्रारम्भ किया गया था।

15.00 hours

फिर वह सरकार चली गयी, उसके बाद जो दूसरी सरकार बनी, जिसने दस वर्षों तक राज किया, वह एक नई संशोधित कृषि बीमा योजना लेकर आई। पिछले 18 महीने में मैं यह नहीं समझ पाया कि वह बीमा योजना किसानों के लिए बनाई गयी थी या कंपनियों के लिए बनाई गयी थी। ...(व्यवधान) यह बात आज तक समझ में नहीं आई की वह बीमा योजना कंपनियों के लिए बनाई गयी या किसानों के लिए बनाई गयी। जब मोदी सरकार आई तो पहला फोन शिवराज सिंह चौहान जी का आया, उन्होंने बहुत तर्क दिए, लेकिन मुझे लगा कि पुरानी सरकार ने बनाया है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर दूसरा पत्र असम से आया, जहां कांग्रेस की सरकार थी और तब तक कई राज्यों में चालू हो चुका था। इसमें इतनी विसंगति थी, किसान को इतना प्रीमियम देना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में वही मोडिफाइड नाइस ही चल रही है। ध्यान में कि बीमा योजना में कौन कंपनी काम करेगी, इसका टेंडर तय करना, यूनिट इकाई क्या होगी, यह तय करना, किन-किन फसलों को इसमें शामिल करना है, ये सब राज्य सरकार के काम हैं। हम केवल भरपाई में आधी राशि देते हैं, लेकिन मैं आश्चर्य में था कि मोडिफाइड नाइस किसके लिए बनी है। हमने तुरंत आदेश किया कि ठीक है, जो राज्य सरकार इसे नहीं चाहती है, वह पुरानी वाली स्कीम को चलाए और अगले वित्तीय वर्ष में हम एक नई कृषि बीमा योजना लेकर आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान में इसमें जो खामियां हैं, प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है और भुगतान में भी काफी विलम्ब होता है, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान में लागू फसल बीमा योजना की खामियों को दूर करके, इसे किसानोन्मुखी बनाने के लिए सरकार बीमा योजनाओं की, यदि मैं यह बोलूंगा कि समीक्षा कर रही है तो लोग कहेंगे कि 18 महीने से यही बोल रहे हैं, समीक्षा हमने पूरी कर ली है। आज हम इस स्थान पर खड़े हैं कि शीघ्र ही हम प्रीमियम की दर को कम करेंगे, उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, जल्द से जल्द बीमा दावों के भुगतान के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, बेहतर प्रशासन एवं पारदर्शित हेतु बीमा पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, लेकिन ये चीजें राज्य सरकार के माध्यम से ही करना है और जल्दी से जल्दी हम इस नई कृषि बीमा योजना को देश में लाने जा रहे हैं।

महोदय, बीमा से संबंधित अभी बहुत से प्रश्न आए हैं, गणेश सिंह जी का एक प्रश्न है, फसल बीमा योजना के संबंध में श्री संजय धोत्रे जी का एक प्रश्न था कि फसल बीमा योजना सभी फसलों के लिए लागू क्यों नहीं है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या संशोधित कृषि बीमा योजना में सभी खाद्य फसलों एवं वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों की कवरेज की जाती है। मैंने शुरू में ही बताया है कि राज्य को

यह तय करना है कि उसमें किस फसल को वे रखते हैं। अभी करीब 70 फसलों के लिए फसल बीमा योजना उपलब्ध है।

महोदय, समर्थन मूल्य के बारे में एक प्रश्न आया, जो समर्थन मूल्य है, वर्ष 2004 में किसान आयोग बना, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और उस आयोग ने जो सिफारिशें कीं, उसके बाद यूपीए सरकार ने किसान नीति बनाई और वही किसान नीति आज कृषि मंत्रालय में चल रही है। आयोग बना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हुक्मदेव बाबू को ध्यान में होगा, उसकी सिफारिशें आईं। आयोग की 200 से अधिक सिफारिशें थीं। उन्हीं में से निकालकर यू.पी.ए. सरकार ने 2007 में किसान नीति नीति बनाई। उस किसान नीति में 13 सिफारिशों को नहीं माना गया। कांग्रेस पार्टी के नेता जिक्र कर रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में यह एफीडेविट दिया है कि यह सम्भव नहीं है। जो आपने किसान नीति बनाई, वही किसान नीति है, उसीको हमारा मंत्रालय अभी तक लागू कर रहा है। उन्होंने जो सिफारिश की थी कि किसान की जो उपज हो, उससे 50 प्रतिशत ज्यादा उसे लाभ हो। सवाल यह नहीं है कि समर्थन मूल्य कितना बढ़ता है, सवाल यह है कि लागत भी कितनी कम होती है। लेकिन उनकी सिफारिश थी कि जो लगता है, उससे 50 प्रतिशत ज्यादा मिलना चाहिए। उस समय क्यों इनकार किया। इन्होंने लिखा :-

"न्यूनतम समर्थन मूल्य वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर विभिन्न सम्बद्ध घटकों पर विचार करते हुए सी.ए.सी.पी. द्वारा सिफारिश की जाती है। इस प्रकार लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित करना बाज़ार की स्थिति को विकृत कर सकता है। एम.एस.पी. और उत्पादन लागत के बीच एक यांत्रिक पैमाना इस मामले में प्रतिरक्षात्मक हो सकता है।"

मतलब यह है कि उस समय आप इसे किसान नीति में नहीं लाए और हम उसे चालू कर रहे हैं। हमने इस बीच रमेश चंद्र जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, जिसमें कई किसान भी थे। उस कमेटी की रिपोर्ट इस सम्बन्ध में आई है। उसमें दिए गए सुझावों को हमने अन्य मंत्रालयों में परिचालित किया है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि आठ बरस हो गए किसान नीति बने हुए, मैंने कल भी चर्चा के दौरान कहा था कि इसका पुनरीक्षण होना चाहिए। इसके लिए मैं शीघ्र एक कमेटी बनाऊंगा और जो भी विसंगतियां होंगी, उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आयोग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट काफी देर से आती है। कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने के बाद जब कोई पूछेगा, तब हम बताएंगे।

किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का काफी उल्लेख हुआ है। हम इससे सहमत हैं, कोई भी सहमत होगा कि अगर एक भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश में यह बहुत शर्म और दुख का विषय होता है। आखिर क्यों महाराष्ट्र के कई सांसद बता रहे थे कि इतने हजार करोड़

रुपए सिंचाई के लिए गए, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि रुपए तो गए, लेकिन पूरा का पूरा घोटाला हो गया। मैं एक-दो जिलों के गांवों में गया था। मेरा मानना है कि अगर वे रुपए खर्च हो जाते तो वास्तव में महाराष्ट्र सबसे आगे रहता। लेकिन महाराष्ट्र सौभाग्यशाली है कि उसे एक ऐसा मुख्य मंत्री मिला है, जिसने संकल्प लिया है, उन्होंने मराठी में एक योजना 'जल सिवार योजना' की घोषणा की है। उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद जो केबिनेट की पहली बैठक हुई, उसमें इस योजना को शुरू किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की सरकार जब तक हर खेत में पानी नहीं पहुंचाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। हम उनकी यथासम्भव सहायता करेंगे। हम जो प्रधान मंत्री सिंचाई योजना ला रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे।

महोदय, कई माननीय सदस्यों के सवाल हैं, सबका उत्तर देना सम्भव नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होगी की अधिकतर सवालों का जवाब दूं। सबसे पहले मैं हैदराबाद से आने वाले माननीय सदस्य के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अभी वह हाउस में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि अंत्योदय कार्ड पर रोक लगा दी है। यह सवाल सीधे कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने अंत्योदय योजना को समाप्त नहीं किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 में नए अंत्योदय परिवारों की पहचान पर जो रोक लगाई गई थी, अब उसे हटा दिया गया है। इस सम्बन्ध में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधित आदेश 2015 दिनांक 29-10-2015 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, इस पर रोक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सिंधिया जी अभी सदन में मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कुछ सवाल यहां चर्चा के दौरान उठाए थे। उन्होंने जो सवाल उठाए थे और कहा था कि देश का किसान चक्रव्यूह का सामना कर रहा है। मेरी थोड़ी उनसे मत-भिन्नता है। मैं मानता हूं कि पिछले वर्षों में हम सब लोगों ने जो करतब दिखाया है, उसके कारण देश का किसान केवल चक्रव्यूह का सामना नहीं कर रहा है, अपितु चक्रव्यूह में फंस चुका है। पिछले 60-62 वर्ष में जो चक्रव्यूह हमने तैयार किए, उसी चक्रव्यूह में आज देश का किसान फंसा हुआ है।

महोदय, आजादी के 67 साल बाद भी हम देश की खेती योग्य जमीन के लिए पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। हम कहते हैं कि 60 प्रतिशत खेती योग्य जमीन आज भी असिंचित है। यदि इस 60 प्रतिशत में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि जैसे राज्यों को हटा दें तो शेष राज्यों में तो मुझे लगता है कि 80-90 प्रतिशत जमीन सिंचित नहीं है। यदि 90 प्रतिशत जमीन असिंचित है और दस प्रतिशित शेष राज्यों में सिंचित है तो बड़े-बड़े फार्म हाउसिज या बड़े किसानों की है। यानी 90 प्रतिशत जो स्मॉल और लघु-सीमांत किसान हैं, उनके खेत पर पानी नहीं पहुंचा है। मैं अपने गांव की बात बताता हूं कि मेरे गांव में जो सम्पन्न

किसान है, उसके पास बोरिंग है और वह दो सौ रुपये प्रति घंटा देकर हम अपने खेत में पानी पटवाते हैं। एक एकड़ में पानी पटवाने में घंटों लगता है और दो सौ रुपये प्रति घंटा, वह बोरिंग का मालिक घड़ी देखता रहता है। उसका एक आदमी ड्यूटी पर रहता है कि कितने घंटे पानी चला है? हम खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चलायी है। यह कहा जा रहा है कि पैसा कम किया गया है। 50 हजार करोड़ रुपये का आवंटन पांच वर्ष के लिए किया गया है। पैसे की कमी नहीं है। पैसा खर्च कीजिए और लीजिए।

मैं एक राज्य का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं झारखण्ड गया था। वहां के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। कृषि विकास योजना के लिए वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में 66 करोड़ रुपये गए थे। लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। वह पैसा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। हमने वर्ष 5015-16 के लिए उनको पैसा देना है। वहां नई सरकार आयी और पिछले तीन साल से पड़ा हुआ धन अब खर्च हो रहा है। इसी प्रकार से सुक्ष्म सिंचाई योजना जो कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत ही है, वर्ष 2014-15 में 15 करोड़ रुपये दिए गए। वह वर्ष 2014-15 में खर्च नहीं हुआ। उसको हमने पुनर्जीवन दिया है कि उसको इस वर्ष में खर्च करो। यह एक राज्य की कहानी नहीं है और इसमें राज्यों का कुसूर नहीं है। हम नारे लगाते रहे हैं लेकिन निष्ठा के साथ काम नहीं किया है। सरकार ने खर्च नहीं किया तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं थी कि राज्य में जाएं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक-दो राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों के साथ दो-दो, तीन-तीन बार स्वयं मैं और हमारे राज्य मंत्री एवं अधिकारी राज्यों में जाकर बैठक करते हैं। खर्च न होना संकट है, पैसे की कमी नहीं है।

सूक्ष्म सिंचाई की बात एक माननीय सदस्या ने की है। मैंने इस बार तय किया है, पुरानी परिपाटी है कि किसी राज्य को पैसा दिया, लेकिन उसने खर्च नहीं किया। पहला एलोकेशन गया, लेकिन खर्च नहीं किया, दूसरा एलोकेशन पड़ा हुआ है। मैंने तय किया है कि 31 दिसम्बर तक जो पहले पड़ा हुआ धन है, वह खर्च नहीं करेगा और जो राज्य तेजी से खर्च कर रहा है, उसको हम पैसा देंगे। पैसा पड़ा रहता है, इस साल का उस साल में और लगता है कि दस साल तक सरकार हेराफेरी करती रह गयी, इधर का उधर, लेकिन इसको गतिशीलता प्रदान नहीं की।

महोदय, सोइल हेल्थ कार्ड की चर्चा की गयी। हमारे तमिलनाडु के एक सदस्य ने हमें पत्र भी दिया है। हमारे देश के किसान को आज तक यह नहीं पता है कि उसके पास जो जोत की जमीन है, उसमें कौन सी बीमारी है और उसके लिए कौन सी दवा कितनी देनी है? उसको भोजन की कितनी खुराक देनी है। यूरिया कितना देना है, पोटाश कितना देना है, आज तक उनको पता नहीं है। इसमें किसका कसूर है? सन् 2007-08 में पूरी दुनिया में यह बात सामने आई कि सॉयल हैल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए। सन्

2007-08 से 2013-14 तक किसकी सरकार थी? हम तो 2014-15 में आए और जिस दिन सरकार में आए, पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद, हमारे प्रधान मंत्री जी ने मुझे मीटिंग के बाद में बुलाया और कहा कि ध्यान रहे कि हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह हमारी माता है। हम अपनी माँ की कोख से जरूर पैदा होते हैं, लेकिन इसी मिट्टी की गोद में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और जब तक हमारी यह माता बीमार है, उसका जो पुत्र है, किसान है, गांवों में रहता है, वह संपन्न नहीं हो सकता है। हालत क्या थी?

मैंने आंकड़े देखे कि सन् 2006-07 से 2013-14 तक, मोदी सरकार आने तक सौ करोड़ रूपये सॉयल हैल्थ मैनेजमेंट के लिए राज्यों को दिया गया। सॉयल हैल्थ कार्ड बनाने के लिए एक पैसा अलग से नहीं दिया गया था। महोदय, पहले वर्ष में 88 करोड़ रूपये सॉयल हैल्थ मैनेजमेंट के लिए दिया, 100 मोबाइल लैबोरेट्री के लिए रूपयों का आवंटन किया गया। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर सभी किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड मिले। इसके लिए कितनी राशि खर्च होगी? उसके लिए लगभग 10-15 दिनों तक बैठक चली और देश के अंदर जो साढ़े तेरह करोड़ किसान हैं, उन सबको सॉयल हैल्थ कार्ड मिल जाए, इस पर खर्चा 568 करोड़ रूपये आया। कितने बड़े-बड़े घोटाले देश में हो चुके हैं। 568 करोड़ रूपये कोई बड़ी राशि नहीं थी। प्रधान मंत्री जी ने तुरंत इसका आवंटन किया। हमने उसी वर्ष 27 करोड़ रूपये राज्यों को दिये कि आप जागरूकता पैदा करो, आप लोगों को ट्रेनिंग कराओ और इस वित्तीय वर्ष में सौ करोड़ रूपये दिए हैं। सौ करोड़ रूपये राज्यों को सॉयल हैल्थ कार्ड बनाने के लिए दिये गए हैं। ढाई करोड़ नमूने लेने हैं और एक नमूने से पांच-छह किसानों का कार्ड बनेगा क्योंकि एरिया है दस हैक्टेयर असिंचित।

अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति कितनी है। उसका मैं एक उदाहरण दूंगा कि उनकी लगातार मॉनिट्रिंग के कारण आज हम कहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व सॉयल हैल्थ डे है। देश में पता ही नहीं था, कभी मनाया नहीं जाता था। उसके लिए एक लक्ष्य तय हुआ। हमने सभी सांसदों को, सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा। इस अभियान को जब इस साल शुरू किया तो अभी तक साठ लाख नमूने इकट्ठे कर लिए गए हैं और पांच तारीख को जो सॉयल हैल्थ डे था, मैं एक सौ सांसदों को बधाई दूंगा, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है कि एक सौ सांसद कृषि विज्ञान केंद्रों पर राज्य सरकारों के कार्यक्रम में उपस्थित थे। इसमें से जो नहीं गए थे, वे आगे ध्यान रखेंगे। भारत सरकार के आठ मंत्री, राज्यों के भी लगभग दो-ढाई सौ एमएलए, 40-50 मंत्री, केरल के माननीय मुख्य मंत्री जी, ओडिसा के मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, कुछ राज्यों के गवर्नर आए थे। देश के कोने-कोने में कार्यक्रम आयोजित किए गए और उस दिन 40 लाख कार्ड बांटे गए। उसके पहले 20 लाख बंट चुके थे।

एक करोड़ नमूने एकट्ठे होंगे, लैबोरेट्री में कार्ड बन रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, मार्च-अप्रैल आते-आते देश के अंदर लगभग पांच करोड़ किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड मिलेगा। यह सब राज्यों के सहयोग से किया जा रहा है। कुछ राज्य ऐसे जरूर हैं, जिनकी बहुत रूचि नहीं है, लेकिन अधिकतर राज्य इसमें लगे हुए हैं। यह पहला वर्ष है। जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा, उसमें हम डेढ़ करोड़ नमूने इकट्ठे करेंगे। वर्ष 2017 के अंत तक निश्चित रूप से हम देश के हर किसान की पॉकेट में जो उसकी जोत है, जमीन है, उसका स्वाइल हेल्थ कार्ड रखने वाले हैं।

महोदय, जैविक खेती की बात की जाती है। यह स्वाइल हेल्थ कार्ड इसलिए है कि जो किसान की जमीन है, वह बीमार न पड़े, स्वस्थ रहे और एक लंबा जीवन उसको मिले। इसकी चिंता भारत की सरकार ने नहीं की थी। लंबे-चौड़े भाषण जरूर हुए, नारे जरूर लगाए गए, थोड़ी भी निष्ठा होती तो इसकी चिन्ता होती। अपनी चिन्ता तो हो रही है। नौकर को भेजते हैं कि जरा जैविक फूड ले आओ। अपनी चिन्ता हो रही है, लेकिन दस वर्ष तक इसकी चिन्ता नहीं हुई। पहली बार प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट में जैविक खेती के लिए एक नई योजना, पारम्परिक कृषि विकास योजना चलाई और उसके लिए तीन सौ करोड़ रूपए दिए। राज्यों ने इसमें रूचि दिखाई है। पहले राज्य सरकारें जैविक खेती करती थीं, लेकिन वे अपने संसाधनों से करती थीं। भारत सरकार की ओर से कोई पैसा उनको नहीं मिलता था। इतना ही नहीं सवा सौ करोड़ रूपया इस वर्ष पूर्वी राज्यों के लिए दिया है। जैविक खेती, मिट्टी, हमारी माँ स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, इसकी चिन्ता पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, इस सरकार ने की है।

किसान को लाभकारी मूल्य मिले, इस संबंध में कहना चाहूँगा कि यह जो मार्केटिंग है, यह राज्यों का विषय है, लेकिन पहली बार इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य का विषय है तो क्या हुआ, पूरे देश के लिए एक मंडी होनी चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने का किसान यदि अपनी मंडी में जाए तो उसे पता चल जाए कि देश के दूसरे कोने की मंडी में हमारी फसल की क्या कीमत है। चार-चार, पाँच-पाँच बार राज्यों के मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ हम लोग बैठे। देश के राज्यों के जितने कृषि मंत्री थे, जितने मार्केटिंग के आफिसर थे, उनको हमने अपने साथ घुमाना शुरू किया। उनको मार्केट में ले गए, कर्नाटक के मार्केट में ले गए और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कर्नाटक के अंदर, हर राज्य में एक मंडी का अलग कानून और दूसरी मंडी का अलग कानून है। एक मार्केट से दूसरे मार्केट के बीच में दीवार है। किसान एक मार्केट में जाता है, तो दूसरे मार्केट का पता नहीं चलता है कि उसमें क्या रेट है? कर्नाटक को हम इसके लिए बधाई देंगे। इसके बाद चार राज्यों ने गुजरात, महाराष्ट्र, वह सूची मेरे पास है, चार राज्यों ने अपने राज्य के अंदर एक मार्केट से दूसरे मार्केट के बीच की दीवार को खत्म किया है। बिहार और केरल में तो यह सिस्टम नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से

तय नहीं किया है, लेकिन बाकी जितने राज्य हैं, सब तैयार हो गए हैं। अभी तक लगभग दो सौ से ज्यादा मंडियों के प्रस्ताव राज्यों से आ गए हैं, जिनको हम तीस लाख रूपए और आईटी के अधिकारी भी दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अप्रैल आते-आते हम देश के अंदर तीन सौ मार्केट को जोड़ लेंगे। मेरा लक्ष्य है कि देश की 585 मंडियों को एक साथ जोड़ना, एक साफ्टवेयर लाँच करना, जो हम अप्रैल-मई के महीने में निश्चित रूप से करेंगे।

महोदय, मनरेगा की बात हमारे कुछ मित्र कर रहे थे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि मनरेगा में राशि बढ़ाई गई है। वह हमारे मंत्रालय का विषय नहीं है, लेकिन मनरेगा में राशि बढ़ाई गई है। जो वर्ष 2012-13 में राशि थी, जो वर्ष 2013-14 में राशि थी, उससे ज्यादा राशि वर्ष 2014-15 में, उससे ज्यादा राशि वर्ष 2015-16 में और पहली बार, जब से मनरेगा आया है, पहली बार बजट में अलग से पाँच हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है कि आप खर्चा करो, जितना खर्चा करते हो करो, हम देने के लिए तैयार हैं। मनरेगा के अन्दर पहली बार यह व्यवस्था की गई है।

महोदय, अंत में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि जिस वक्ता ने इसकी शुरूआत की थी, उन्होंने कहा कि इन्दिरा जी का और राजीव जी का बड़ा योगदान है। मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन वे भूल गए कि देश के प्रथम कृषि मंत्री डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी थे। वे कृषि मंत्रालय को जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, सरदार पटेल देश की किसान नीति को जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, हमने उसका शीर्षासन करा दिया और उसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में निश्चित रूप से हम आगे बढ़े हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जवाहर लाल नेहरू जी का भी बड़ा योगदान है। लेकिन हम भूल गए लाल बहादुर शास्त्री को जिसने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया। हम भूल गए अटल बिहारी वाजपेयी को जिसने 'जय जवान जय किसान और जय विज्ञान' की बात की। मुझे आश्चर्य हो रहा था, इन नेताओं ने प्रेरणादायी भूमिका निभाई है और उसका परिणाम है कि अटल जी और लाल बहादुर शास्त्री को यह देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि 'जय जवान और जय किसान' जब नारा नहीं था तब हम भीख का कटोरा लेकर दुनिया के देशों में जाते थे। लेकिन जब शास्त्री जी ने हमारा आह्वान किया तो हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। अटल जी ने जय विज्ञान की बात की और जब नरेन्द्र भाई मोदी देश के प्रधान मंत्री बने, तो देश ने तरक्की की। महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा कि यदि बहुत अधिक चिन्ता थी तो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद् पूसा में क्यों रहा? उसकी संख्या क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि साइंस के बिना, नई टैक्नोलॉजी के बिना कृषि का विस्तार नहीं हो सकता है, किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। इतनी यदि चिन्ता थी तो

सिर्फ एक क्यों रहा? नरेन्द्र भाई मोदी जब देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने घोषणा की कि इस प्रकार के दो और संस्थान बनेंगे। वे खुद रांची गए जहाँ झारखंड में एक का शिलान्यास हुआ है और दूसरा असम में होने वाला है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्र के लिए एक समर्पित जीवन देश का प्रधान मंत्री बना है, रीयल एस्टेट के लिए समर्पित जीवन आज देश का प्रधान मंत्री नहीं है। परिवार के लिए समर्पित जीवन का व्यक्ति आज देश का प्रधान मंत्री नहीं है। देश का प्रधान मंत्री राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन है। हमारे पास संसाधनों की कमी थी लेकिन जितने घोटाले हुए थे, चाहे कोयला का हो या 2 जी का हो, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक जो जनता का पैसा लूटा गया, वह खजाने में आए और उन पैसों के माध्यम से हम निश्चित रूप से देश के किसानों का भविष्य बदलेंगे और संकट की घड़ी में हम किसानों के साथ हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Krishna Raj to only ask a question from the hon. Minister.

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तृत तौर तरीके से हम लोगों के सामने अपनी बात रखी और देश क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, हम सबको बताया। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि किसानों के मुआवज़े का जो पैसा है जो हम राज्यों में एन.डी.आर.एफ. का या एस.डी.आर.एफ. का पैसा देते हैं, इन पैसों का जो वितरण निचले स्तर पर, गाँवों के स्तर पर होता है, क्या उसमें कोई जाँच कराकर सही व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे?

दूसरी बात यह है कि यह विषय आ रहा था कि पार्टीबद्ध तरीके से राज्यों में वितरण हो रहा था। हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर घर हैं, वहाँ मुआवज़ा दे दिया गया और जहाँ पर गन्ना है, वहाँ गेहूँ का मुआवज़ा दे दिया गया। ऐसी स्थिति मे ...(व्यवधान)

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से सीधा सवाल है कि आँकड़ों में मंत्री जी ने कहा कि सूखे की इतनी मार नहीं आई है लेकिन कहा कि देश में हम सूखा फेस कर रहे हैं। सूखे की मार नहीं है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है यह सोचने का विषय है। अधिकारी जो आँकड़े देते हैं, इनको नहीं देखें। लेकिन अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा का सर्वे दिसम्बर में हो रहा है जबकि फसल की कटाई सितम्बर में हो गई है, नई फसल डाल दी है। ये सारे प्रश्न अधिकारियों का मायाजाल हैं। इस मायाजाल से निकलने के लिए मंत्री जी क्या करेंगे, यह भी मैं जानना चाहता हूँ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Minister made a very forceful diposition, but I would say that he forgot about one luminary from Bihar who led this Ministry and led this country to the green revolution. He was Babu Jagjivan Ram. It was during his tenure and his effort that during Shri Lal Bahadur Shastri's Prime Ministership Babu Jagjivan Ram was Agriculture Minister and during Shrimati Gandhi's time,

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, please ask your question.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : But my question here is relating to expansion of ICAR activities दलहन और तिलहन के बारे में आपने कहा। एक जामनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट है ग्राउंडनट का and in pulses there is a national institute in Kanpur. Are you going to expand, especially, in areas where more areas are getting drought-affected like in Odisha? इसका अलग अलग इंस्टीट्यूट एक्सपैंड करने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं?

एक और बात है जो शायद आप कलैक्ट कर सकते हैं, I would have been happy if other Ministers would have participated in this deliberation. केसीसी की दिक्कत हमारे देश में आ रही है। के.सी.सी. की दिक्कत है कि अगर कोई फार्मर 30,000, 40,000 या कुछ लोन ले लेता है, जब तक वह उसे वापस नहीं करता, he is not able to get any other benefit, which one is supposed to get in KCC. इसका आप संग्रह कर लीजिए कि के.सी.सी. के हमारे देश में कितने डिफंक्ट काड्र्स हैं, जिसकी हमारे एग्रीकल्चरिस्ट्स को सुविधा नहीं मिल रही है।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): The hon. Minister mentioned about the introduction of Soil Health Cards, which is a good thing. I myself have participated in one such programme in my district. At the same time, the work is being done at the primary level. How is the Government going to implement it at the grass-roots level? My suggestion is that Panchayats should also be included in this.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, the Minister made a detailed reply, but he has forgotten to clarify two important issues. One is with regard to the drought relief sought by the States. My State of Telangana has requested for a relief of Rs. 2,000 crore in order to take care of the input subsidy for the farmers, cattle fodder and also for drinking water.

Secondly, the Government has increased the MSP of cotton by Rs. 50 only. The MSP of cotton last year was Rs. 4,050. They have increased it only by Rs. 50 this year. We requested the Government to increase the MSP of cotton price to Rs. 5,000. I would like to know whether the Government is taking any steps to increase the MSP of cotton.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखी है। मेरी एक जिज्ञासा है, आपने मार्केटिंग को डैवलप करने की बात कही है। मैं उत्तर प्रदेश के अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूं, जितनी मार्केटिंग मंडियां डैवलप की गई थीं, उनमें से 90 प्रतिशत खाली, डैजर्टिड पड़ी हुई हैं। उनमें काम नहीं होता है, आप कैसे मार्केटिंग को डैवलप करेंगे और उसमें एक्टिविटी को डैवलप करेंगे, यह बात आनी चाहिए। खाली स्ट्रक्चर बनाने से काम नहीं चलेगा, वहां वायब्रेशन होनी चाहिए, मार्केटिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके ऊपर आप बताइये।

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, दो विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक मार्केटिंग का और एक बीमे का।

SHRI SATYAPAL SINGH (SAMBHAL): Sir, I wish to seek one clarification.

HON. DEPUTY-SPEAKER: We have to take up the Private Members' Business.

श्री राधा मोहन सिंह: मैं आगे इधर आऊंगा। महोदय, मैंने बताया कि बीमे के अन्दर जो विसंगति है कि किसान को प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है, समय पर भुगतान नहीं होता है और एक दूसरी जो गड़बड़ी है, जिसकी मैंने उस समय चर्चा नहीं की थी, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र कई ऐसे इलाके हैं कि किसी पंचायत का एरिया यदि 400 एकड़ है और बीमा 500 एकड़ का हुआ है, बहुत सारी विसंगतियां हैं, हम उन सारी विसंगतियों में नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर किसान को प्रीमियम कम और समय पर भुगतान नहीं, इससे राहत उसको कैसे मिले, हम नई बीमा योजना में इसकी व्यवस्था जरूर कर रहे हैं और वितरण प्रणाली जो हो, वह पारदर्शी हो।…(व्यवधान) मोबाइल एप का प्रयोग करें। … (*Interruptions*)

बीमे में वितरण जो होता है, इसमें राज्य सरकार की मशीनरी है, वह करती है। हमने राज्यों से जानकारी ली और सबसे अन्तिम सम्मेलन हमने तीन महीने पहले भोपाल में किया। देश भर के ऐसे हितधारकों को बुलाया, जानकारों को बुलाया और खुद वहां के मुख्यमंत्री जी थे, उसके पहले हमने राज्यों के मंत्रियों को बुलाया था, सचिवों को बुलाया था, वैबसाइट से लोगों से जानकारी ली थी। हम पूरी समीक्षा कर चुके हैं और अब हम अन्तिम रूप से उसको निकट भविष्य में ही लाने वाले हैं।

मार्केटिंग के विषय में बिहार और केरल में तो यह व्यवस्था है नहीं, यू.पी., हरियाणा और पंजाब इससे सहमत नहीं हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, सारे देश के कृषि मंत्री और मार्केटिंग के ऑफिसर्स हम बैंगलौर गये थे और वहां लगभग उससे 50 मार्केट्स को जोड़ा गया था। उस समय हमने पैसा सरकार को नहीं दिया था, लेकिन अब हम अन्य राज्यों को दे रहे हैं। एक मार्केट के अन्दर ई-मार्केटिंग की व्यवस्था है, आई.टी. की व्यवस्था है, कम्प्यूटराइज्ड मार्केटिंग, इसमें उस राज्य के अन्दर के अन्य मार्केट्स में जो कीमत है, वह भी आये। एक ही प्रकार के नियम उस राज्य के सभी बाज़ारों में लागू हों। एक मार्केट में अलग नियम है और दूसरे में अलग नियम हैं। राज्य सरकारों से बात करते-करते यह एक साल के अंदर तैयार हो गया। एक राज्य ने उसे लागू कर दिया। बाकी राज्य भी उसको करने में लगे हैं। जिस दिन आठ-दस राज्यों में 200-250 मार्केट इस स्टेज में आ जाएंगे कि राज्यों के अंदर एक मार्केट से दूसरे मार्केट के बीच में उनके बॉर्डर को हटा देंगे, तो हम भी उन राज्यों के बॉर्डर को समाप्त करके उनका एक सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे और उससे पूरे देश के मार्केट को जोड़ेंगे।

मेरा एक विषय छूट गया था। यह जो सहायता की बात है, तो हमने सहायता के नॉर्म्स बढ़ाए हैं। मैंने उस दिन कर्नाटक को जो हमने राशि दी है, उसके बारे में बताया, तो यह कहा गया कि मंत्री जी अपना सीना तान कर बोल रहे हैं कि उन्होंने कर्नाटक को 40% सहायता दी है। जितना डिमांड किया गया, उसकी 40% सहायता हमने दी है। सभी राज्यों ने डिमांड की थी। हमने कर्नाटक को 40% दिया, तो मुझे यह कहा गया कि मंत्री जी सीना तान कर कह रहे हैं कि उन्होंने 40% दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके पहले उसी कर्नाटक में पांच बार सूखा आया, और कर्नाटक ने जो डिमांड किया, वह था एक लाख करोड़ रुपए का, और उसे दिया गया मात्र सात हजार करोड़ रुपए। इसका मतलब उसे मात्र सात प्रतिशत दिया गया। हमने उन्हें 40% दिया। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी राज्यों से जो डिमांड आए हैं, तो पहले की सरकार जिस डिमांड की सात प्रतिशत राशि देती थी, हम उससे दोगुना, चार गुणा सहायता देने की स्थिति में हैं।...(व्यवधान)

महोदय, माननीय सदस्य की बात महत्वपूर्ण है। वितरण प्रणाली, जो राज्य के अंदर है, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। लेकिन, अगर आप उसके संबंध में कोई शिकायत देंगे तो मैं उसे दिखवाऊंगा।

महताब जी का बहुत अच्छा सुझाव था और मैं समझता हूं कि हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। दलहन, तिलहन के विषय में इस साल हमने तय किया है कि 300 कृषि विज्ञान केन्द्रों में दलहन और 200 कृषि विज्ञान केन्द्रों में तिलहन किया जाएगा। उन्होंने जो सुझाव रखा है, उसके संबंध में मैं जनवरी महीने में आपके साथ चलूंगा और अपने अधिकारियों को भी ले चलूंगा। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर विचार किया जाएगा।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: That is over. You go and meet the Minister. Now we are taking Private Members' Business. We have already exceeded the time. I cannot extend it further.

15.38 hours

MOTION RE: 16TH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Private Members' Business.

Now, we shall take up Item No.20.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): With your permission, I beg to move:

> "That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 9th December, 2015."

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 9th December, 2015."

The motion was adopted.

15.39 hours

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS
(i)Immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir...Contd

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 21. Hon. Members, before I call Shri Bhartruhari Mahtab to resume his speech, I would inform the House that he has also given notice of an amendment to the Resolution moved by Shri Nishikant Dubey. Shri Mahtab may first move his amendment and thereafter resume his speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move:

> That in the resolution, --
>
> *add* at the end –
>
> > "and also to take steps to settle the refugees who migrated to India at the time of partition in 1947 in the Kashmir Valley and are now living in different parts of the country".

Sir, last time I had just initiated and the House got adjourned. Today in this Winter Session, in the first day of discussing on the Private Member Resolution, I stand here to participate in the Resolution that has been moved by my friend Shri Nishikant Dubey ji asking the Government to take immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition.

The purpose of my moving an amendment to this Resolution in addition to that is that exodus of people from Kashmir Valley did not happen just towards the last part of the last century but it had happened just after Partition also. Repeatedly some criminal activity had occurred in the Valley that had forced a large number of people to migrate from the Valley. From the Valley that we all call as the Paradise on the Earth, people have been forced to leave their hearth and home for their own safety and for their own succour.

Return of the Pandit community to their homeland is a strategic imperative to ensure that a credible Indian civil presence is in the Kashmir Valley. But can the beleaguered community return as a part of a larger Kashmiriyat family even if ensconced in composite township? That is the question that needs to be answered. Or will they continue to remain hostages to militancy inside India? This is the dilemma confronting the Kashmiri Pandits and has to be addressed by the State and the Union Government.

The return of Pandits to Kashmir will be opposed by pro-Pakistan fifth columnists in that valley. Given the history of their exodus, insurgency in Kashmir and the results thrown up by the Assembly elections, the Ghar Vapasi as we call it of Kashmiri Pandits will be a watershed movement in Indian history. But it can come about only if the Government of India intervenes directly in the process. Paving the way for their return requires major political restructuring in the Valley itself. This country of ours watched with a growing sense of frustrated outrage as Masarrat Alam, an active 'hate India leader' in Kashmir calmly strutted out of jail. Mr. Alam is the emerging face of Kashmiri separatism and Srinagar downtown parade welcoming him could be an ominous signal.

Sir, there has been Wahabi mindset that has been engulfing the western borders of our country. A large part of Pakistan also, which was at one point of time influenced by Sufism, was of a composite culture, has been in a sense today totally influenced by Wahabi culture. And what is Wahabi mindset? Wahabi mindset emanates from a small group of people of Saudi Arabia who think they are the purest people on this earth and the rest either have to believe them and adopt their religion or they have no right to live on this earth. And that is what Islamic State is now propagating in Syria and in Iraq. Therefore, to keep India and Indians protected, there is a need also to counter that type of cultural expansion of Wahabi mindset that is creating a problem in our country.

We should also remember that when forces supported by Pakistan Army came into Kashmir, by that time King Hari Singh was yet to sign an accord with

the Indian Government, when the Indian forces went to Srinagar to oust the Pakistani marauders. There is an artificial line that was constructed by dividing Kashmir. One is Pak Occupied Kashmir and the other is the Jammu and Kashmir that is part of India. But what is our societal position in both parts of Kashmir? The part of Kashmir that is with Pakistan is Sunni dominated.

The larger part that is with India is Shia-dominated. So, I was not surprised when two or three days back, Dr. Farooq Abdullah said, 'let that part be with Pakistan and let this part be with India.' This is the mindset and this is being said. Though it is political in nature, it has something to do with the Shia and Sunni divide. That division has occurred since 1948 but that division is something which needs to be corrected, corrected in the sense that the conflict between these two communities of Islam has to be addressed by the leaders of Shia and Sunni and Kashmir should not become a corridor of their competition.

15.46 hours (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

No doubt there is a need to have a composite township. But the fact is, in our villages, do we not have communities living separately? Do we not have people of specific castes living separately in our village? Do we not have communities of different religions living in different parts in that village? They do. So, in Kashmir an idea was floated that let the Pandits also go back to the valley and live separately. Why should we say that we are ghettoising them? That means we don't want them to go there. If the idea is to send them to Kashmir, as they are part of that culture, and to bring in Kashmiriyat, they should live as they were living there. Accordingly, that should have been done. As I mentioned last week on another occasion while participating in the discussion, Jammu & Kashmir Government has come out with a statement before the Supreme Court of India. The Court asked how many families have returned after all the packages and all the things that have been done by the elected Government that has come in Jammu & Kashmir. Only one family had returned to the Kashmir Valley.

I would mention here one thing. The debate that goes on in Jammu & Kashmir relating to the settlement of Kashmiri pandits in Kashmir is one that will only bring pain to a true nationalist. Here I am not quoting anyone, but I would only say there was a time and time changes. With the change of time, there is a need to change the mindset and accordingly we have to create a position there.

Divergent views emerged from the newly formed BJP-PDP coalition Government in Jammu & Kashmir when Union Home Minister hinted that there was no going back on the plans for a separate settlement for the displaced community in the valley and the Government is firm on that aspect. As has been claimed, the Prime Minister's clear directive on this was that the Government must honour its commitment on the rehabilitation of Kashmiri pandits and should aggressively pursue this. I quote here one of the officers who has been reported in the Asian Age on 10th April, 2015:

"We are committed to the resettlement of nearly 62,000 registered Kashmiri migrant families who had moved out of the Valley when militancy broke out in 1989. Most of these families have moved either to Jammu, Delhi and other parts of the country. So the Centre has a clear view on this: the state government has to provide land, and quickly, for making separate townships for pandits as this will give a greater sense of security to the community."A senior officer had mentioned this.

While answering a Question on 15th July last year, the Minister of State for Home Affairs said, 'At present, there are about 60,452 registered Kashmiri migrant families in the country, not persons but families; about 38,119 registered Kashmiri migrant families are residing in Jammu; about 19,338 registered Kashmiri migrant families are living in Delhi; and besides Jammu and Delhi, about 1,995 families are settled in other States'. This is because of the onset of militancy in 1990 when most of the Kashmiri Hindu families along with the families of Sikhs and Muslims migrated from the Kashmir Valley. It was not only Kashmiri Pandits; Muslims also migrated because of the militancy and Sikhs also

migrated because there was some killing that had taken place. 'At present', the reply says, and this is the point I think which the Government can respond to. This was in 2014.

The Government has been providing a cash incentive of Rs. 1,650 per head per month, maximum Rs. 6,000 per family per month plus dry ration. There are 17,248 eligible families and this is the amount of relief that is being provided. Is this sufficient? Is this adequate? Or, are you thinking of increasing this relief a bit more?

Under the Prime Minister's Package, 2004, 5,242 two-room tenements have been constructed in Jammu and Kashmir at four locations and allotted to migrants who are living in various one-room tenements. How pitiable a condition it is! Persons had left their fields, their homes, their hearth, and are living in one-room tenement, in two-room tenement. Since 1989-90, it is already 25 years. The family must have grown. What adequate provision has been made for them? What steps have been taken for them? Of course, a number of governments have changed but this is the pitiable condition about which my friend Shri Nishikant Dubey has brought this question.

A comprehensive package amounting to Rs. 1,618.40 crore was announced by the Government in 2008 but how much money has been spent and for what? That needs to be gone into.

I would like to say this because we have to remember, recollect what the position then was. This was published in *The Tribune* on 29th July, 2014 and we are now in December, 2015. Chilling accounts of murders and rapes return to haunt 55-year old Ramesh Raina, the moment he mentions his homeland Kashmir. He says, 'I can never forget that night'. 'I can still feel the jitters', says the physician who fled his Srinagar home on the intervening night of January 19th and 20th in 1990. Long settled in Delhi as a migrant Raina recalls with despair the events that led to his escape: "My wife was four months pregnant and I had just bought a flat. Outside, on the streets, mayhem was playing out. Loudspeakers were

constantly blaring out one warning, '*Kafiron, bhag jao*'. We were scared to death after the killing of our tallest leader Tikalal Taplu and the gruesome murder of another Pandit D.N. Chaudhury whose eyes the militants gouged out. The terrorists' policy was to kill one and scare hundred, scare thousand. We escaped and never returned." He was wondering if the conditions that drove them out of the Valley had ceased to exist. Should I narrate more? He said this in 2014; we are now in December, 2015. This occurred in 1990. The question he has posed through this newspaper is a question to the nation. I would not say he is posing this question to the Government alone. He is posing this question to the nation. Has things changed in the Valley?

What did our Parliamentary Standing Committee on Home Affairs relating to Rehabilitation of Jammu and Kashmir Migrants have stated in 2009? I would like to understand from this Government because I believe this Government is responsive and will answer to certain questions that are posed before this House. There is a Kashmir Division. There is Jammu and Kashmir Migrants Immovable Property Act. Here is a very intriguing question that arises from this Report and that intriguing question is, the Secretary in the Presentation also stated:

> "That efforts were being made to restore the temples in the valley affected by the militancy. The following are the details:
>
> Number of temples prior to 1989 - 436
> Temples intact – 266
> Temples got damaged – 170
> Temples renovated – 90"

What happened to the rest 80 temples there? I would like to understand from this Government, with a new dispensation in Srinagar, Jammu, how many temples have been restored after this Report was submitted in 2009. In this figure I find 80 temples missing. I am not talking about the house, the hearth and homes of Kashmiri pandits alone. I am asking this Government – temples renovated were 90 and demolished were 170 – what has happened to the rest 80 temples. Have they been restored? Have they been renovated? Have Kashmiri pandits gone back to their homes to pray in the temple where their parents were praying and where their children were supposed to go?

The recommendation of this Committee had stated:

> "The Committee is also of the opinion that the Government should explore the possibility of declaring all the properties, movable and immovable, sold by the displaced persons after 1989-90 as "distress sales" and declare the sales as null and void and accordingly restore possession of the properties back to the respective Kashmiri pandits who were the recorded owners through the custodian of the properties duly constituted. "

What has happened? This is the Report of 2009 and Action Taken Report must have been submitted before this House. Or it has not come. I have tried to find out actually what Action Taken Note has been submitted by the then Home Minister. If it has come, let the country know. As it is being said in the TV, 'let the nation know'.

The reply is: "Under the Act the competent authority has been authorized to take action for eviction of the unauthorized occupants." If this is the action taken by the Government, telling us that somebody is authorized to take action, we would like to understand what action has been taken actually on the ground. The properties sold after the enactment of the Act are not covered for relief under this Act. This is the reply which we get.

The recommendation was:

> "The Committee strongly feels that there should be a blanket ban on the acquisition of the property of Kashmiri pandits by the State Government. The Jammu and Kashmir Migrants (Immovable property preservation, protection and Restriction on Distress Sale) Act, 1997 should be implemented in letter and spirit. "

Another recommendation was:

> "The Committee is of the considered view that the word migrant used in the context of Kashmir displaced persons is not an appropriate expression because the affected persons have been forced to give up their homes and hearths against their own will due to the mayhem caused by the militants. "

16.00 hours

Sir, I am repeating these because these are all records and property of the Parliament. The Government is supposed to work on this and Government is a continuous process. If the previous Government has not acted, I expect that this Government would act on the recommendations of the Committee that had submitted its report.

Sir, there are around 651 families who had not left. I was mentioning about the temples that were destroyed and not restored, but there were still some families who stayed back in the Valley. The Resolution that has been moved by Shri Nishikant Dubey, of course, does not cover them, but they face the problem. About 651 families comprising around 2500 persons were left in the Valley who endured one of the most violent periods in recent history of Jammu and Kashmir. About 3.5 lakh Hindus have left the Valley after militancy and selective killing campaign in 1989 started. But thousands stayed back in the hope that the situation would improve. They feel discriminated against as non-migrant Pundits have been kept out of every relief and rehabilitation package announced by successive Government for people living in Jammu and other parts of the country. It is estimated that there were around 19000 Hindus in Kashmir in 1998 but following

the Sangrampura and Wandhwa massacre, the population has reduced to 10000 in 2002. In 2003 there was another exodus after militants killed 23 members of a minority community in Phoolwana and since then the exodus continued.

Sir, I come to the crux of the issue. Who are the people who threatened the Kashmiri Pundits? Who are those people who killed the other minority community people in Phoolwana? Who are those people who are, even today, threatening others that if they come they will not be safe? One may say, as was being mentioned by Prof. Saugata Roy, they are the Fifth Columnist; they are supporters of Pakistan. But what does our Government do? They claim that they are political activists. I would like to understand from the Ministry of Home Affairs as to how much this Government is spending for their protection and to provide them with security not only when they move around in the Valley but also when they come to Delhi to meet the Pakistan High Commissioner. The Government has all those records. The Government has allocation for them. Does the Government not provide them with security? How many people are being protected like this? Let that answer come from the Government. How many such people are being provided protection and security by this Government who, day in and day out, the moment they get a chance to speak, they speak against this country, against India, against this nation? Yet, we provide them protection; yet provide them security. On the other hand, our people, our citizens are not allowed to go to Kashmir.

Therefore, I have moved that amendment. It is necessary that the return of Kashmiri Pundits have to be routed in uninterrupted inter-community dialogue and we have to identify those saner persons who are there in the Valley. We have to interact with them and not with these people, I need not name them and make them hero here. It may take time to sort out and reconcile the sharply opposed narratives and arrive at consensus on some bare and bold truths which may be unpalatable.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I have to inform the House that two hours allotted for the discussion of the Resolution is almost over. As there are

eight more Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion of the Resolution. If the House agrees, the time for discussion of the Resolution may be extended by one hour. Is this the sense of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Since only one hour is left for the discussion and there are eight more Members are to speak, Shri Mahtab, please cooperate with the Chair and conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: At least a beginning can be made in this respect. Let those who have a political agenda, let those who always come out with a statement when an election takes place, and let those who give a call to boycott participating in the election, express regret. Let them today say that what had happened was wrong. At least, that will give a good signal that peace and tranquility will prevail in the Valley. Until and unless they say this, why should this Government provide them with security? I have this question to ask.

While concluding, I would say that pragmatism lies in first of all toning down rhetoric and then reaching out to each other. That is why, an effort by a Valley-based civil society group comprising of Muslims, pandits, Sikhs is a wholesome one. That attempt can be made by the elected Government of Jammu and Kashmir. That would be a very good beginning. The Government must facilitate this move and allow various groups to meet and interact with each other. Ultimately, let them be open to incorporate the suggestions that emerge from these discussions before a written policy is put in place.

While coming back to my addendum to the Resolution, I would say that a large number of people migrated because of the political situation during the time of partition. They never thought that Pakistan will ultimately come into being and be able to survive. I think, the Ministry of Home Affairs is aware that those people who migrated from the other part of Kashmir is an integral part of this country. It is Pak occupied, no doubt but it is integral part of our country, no matter how artificial that Line of Control may be. I have my doubts as to how long

it will remain. But I would say that those migrated in 1948, those who are migrating after that, also should be settled. They may have settled in Jaipur or in parts of Rajasthan or in some other parts of the country but they have the right to go back to the Valley. We should not restrain them under certain pretext. They have every right because they were and are a part of that Valley and Kashmir.

I support this Resolution and my request to this House is, this House should unanimously support the Resolution that has been moved by Shri Nishikant Dubey and the addendum that has been added by me to that Resolution.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं श्री निशिकांत जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने गैर-सरकारी प्रस्ताव के रूप में सदन के माध्यम से देश और दुनिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है।

यह कहानी किसकी है? हम अपनी पीड़ा की कहानी स्वयं सुनाते हैं। लेकिन दुख है कि उस पीड़ा को पैदा करने का कारण न खोजा जाता है, न ही उसका निवारण किया गया। अगर इसके कारण को ढूंढना चाहें और निवारण करना चाहें, तो मैं भारत वर्ष के सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा, खासकर युवा पीढ़ी से कि अमेरिका, फ्रांस और रूस ने इस समय जैसा निर्णय लिया है, वहाँ के लोगों ने, मीडिया ने और राजनीतिक दलों ने तथा जनता ने जिस एकता, कटिबद्धता, प्रतिबद्धता का परिचय अपने राष्ट्रवाद के लिए दिया है, भारत के अंदर जिस दिन जन-जन और कण-कण में वही एकता, वही समरूपता और वही प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रवाद की भावना उग्र रूप से प्रज्ज्वलित हो जाएगी, उस दिन हिन्दुस्तान से इन समस्याओं का सदा के लिए समाधान हो जाएगा। लेकिन दूसरे को कौन कहे। हिन्दुस्तान बार-बार क्यों गुलाम हुआ? दुनिया में सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान गुलाम होता रहा, इसका कारण क्या था? सन् 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में 1200 घुड़सवारों के साथ बाबर हिन्दुस्तान आता है और हिन्दुस्तान को फ़तह करके चला जाता है। इतना बड़ा मुर्दा देश उस गुलामी को कबूल कर लेता है। हम वर्षों तक मुगलों के गुलाम रहे, वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, इसलिए हम उस गुलामी की मानसिकता से जब तक नहीं निकलेंगे और इससे देश को निकालेंगे नहीं, तब तक हिन्दुस्तान में समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता है।

आखिर, जो लोग विस्थापित होते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, इसे कौन जानता है। हम तो बाढ़ में बसने वाले हैं, जब भयंकर बाढ़ आती है, तो विस्थापित होकर जाते हैं, कहीं बांध पर बसते हैं, कहीं पेड़ पर बसते हैं या फिर कहीं अन्य जगह पर बसते हैं। पन्द्रह दिनों या महीना तक खानाबदोस की जिन्दगी जीते हैं। उस पीड़ा से इतने व्यथित हो जाते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो लोग इतने वर्षों से विस्थापित हैं, उसका क्या कारण है? श्री महताब जी अभी सारे कारण बता रहे थे। लेकिन इसका एक कारण इसी संसद में डॉ. लोहिया ने बताया था और मैं उसे किताब में से निकालकर इस संसद में कई बार कह चुका हूँ। डॉ. लोहिया ने इसी संसद में कहा था कि पिछले 1500 वर्षों में हिन्दुस्तान ने दास भाव के सांस्कृतिक समन्वय को सीखा है, उसने स्वामी भाव के सांस्कृतिक समन्वय को सीखा ही नहीं है। आज भी हिन्दुस्तान उस दास भाव के सांस्कृतिक समन्वय में जी रहा है। हम स्वामी भाव के सांस्कृतिक समन्वय को कब जिएगें। इतिहास की दो धाराएँ रही हैं। रोमिला थापर और आर.सी. मजूमदार जैसे

इतिहासकार इस देश में हुए, जिन्होंने सांस्कृतिक समन्वय की धारा की बात कही है। वह धारा, दास भाव की धारा है, वह स्वामी भाव की धारा नहीं है। आज भी हम उस दास भाव की सांस्कृतिक धारा को ही अंगीकार किये हुए हैं। दास भाव का मतलब है कि हम परायी संस्कृति के आगे, जो ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, उसके आगे सिर झुकाकर उसके साथ समन्वय करें और स्वामी भाव का मतलब यह है कि यदि हम किसी की अच्छाई को सीखें, तो मेरी अच्छाई को भी वह सीखे, अच्छाई का लेन-देन हो, दोनों बुराई का त्याग करें, तब वह स्वामी भाव का समन्वय कहलाता है। यह कारण उसी का है। उसी से यह पैदा हुआ है। आखिर उन पर क्यों आक्रमण हुआ, उन पर आक्रमण करने वाले कौन थे? मान लीजिए आक्रमण किये, तो धन लूट ले जाते, जेवर लूट लेते, पैसे ले जाते, लेकिन मन्दिरों ने क्या बिगाड़ा था? गज़नी-गोरी ने जैसा किया था, उन लोगों ने सोमनाथ के मन्दिर को तोड़ा था और आकर हिन्दुस्तान को लूटा था, उसी तरह से ये दूसरे गज़नी-गोरी हिन्दुस्तान में घुस रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि यह कोई साधारण कारण है। बहुत-से मन्दिरों को तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया? उस मन्दिर ने क्या बिगाड़ा था? इसका एक मात्र कारण यह है कि कश्मीर की घाटी से उन राष्ट्रवादियों को चुन-चुनकर निकालकर बाहर कर दो और बाहर करने वाले वे लोग हैं, जो इस राष्ट्र के विरोधी हैं, आतंकवादी हैं, उग्रवादी नहीं, आतंकवादी हैं। उस आतंकवाद के कारण आज भी देश पीड़ित होता है। जब आतंकवाद से देश पीड़ित होता है। हम उस दास भाव से यहाँ तक गुलाम हैं कि उन आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए दो बजे रात में सुप्रीम कोर्ट को बिठा देते हैं। धिक्कार है इस देश पर। क्या अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में है किसी वकील में ऐसी ताकत। है किसी अदालत में यह ताकत, जो ऐसा करके दिखाये। लेकिन हम ऐसा करते हैं। फिर यदि आतंकवादी के नाम पर पकड़े जाते हैं, तो हम ही, तथाकथित मानववादी और तथाकथित भ्रमजीवी-बुद्धिजीवी उनको जाति के श्रेणी में गिनाने लगते हैं।

कितने आतंकवादी पकड़े गए, किस जाति के हैं, किस सम्प्रदाय के हैं। श्रीमान जी, मेरा खेत चरेगा भैंसा तो क्या हम नाथने जाएंगे सांड को, बकरी को। क्यों यह देश में बढ़ता जा रहा है, केवल कश्मीर में नहीं है, अन्य जगहों पर भी है। क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? किसी अन्य देश में अगर ऐसा हुआ होता तो इसको बर्दाश्त नहीं किया होता, उन्होंने इसका निराकरण कर लिया होता। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। राष्ट्रवादियों को उजाड़ो, राष्ट्रविरोधियों के लिए नारे लगाओ, उनका सम्मान करो, उनकी जय-जयकार करो, उनको प्रतिष्ठित करो? कहां गए थे हिन्दुस्तान के वे सारे बुद्धिजीवी, पद्म भूषण और पद्म विभूषण वाले, साहित्य रत्न वाले, साहित्य पुरस्कार लेने वाले जिस दिन कश्मीर के इतने पंडितों को और कश्मीर के राष्ट्रवादियों को चाहे वह मुसलमान हो, सिख हो या हिन्दू हो, उनको उजाड़कर वहां से भगाया गया? उस समय इनकी बुद्धि, विद्वता, योग्यता कहां चली गयी थी? उस दिन उन लोगों को सोच नहीं आई

थी। उनकी पीड़ा कहां चली गयी थी? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। क्या बात करते हैं साहब। इसीलिए मैंने कहा था ये हैं भ्रमजीवी बुद्धिजीवी। हिन्दुस्तान में अनुग्रह और अनुकम्पा पर पलने वाले बुद्धिजीवी बनाए गए, उन्होंने एक अलग तरह से लिखना शुरू किया, अलग धारा से लिखना शुरू किया और लोगों के अंदर यह भ्रम पैदा करना शुरू किया। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने यह फैसला किया कि उनको पुनर्वासित करेंगे, बसाएंगे, सब कुछ ठीक करें। लेकिन अगर उनको वहां बसाने का निर्णय हुआ है तो बसाइए। चाहे जितनी ताकत लगे, सारे कश्मीरी पंडितों के इलाके को कांटेदार तारों की तीन तह से घेरिए, उनको उसी जगह बसाइए, हिन्दुस्तान की पलटन को लगाइए और उससे भी अगर कम पड़े तो हिन्दुस्तान के वे नौजवान जो अपने देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए मरने वाले हैं, ऐसे लाखों नौजवान उस घाटी को घेरकर पहरा देंगे और आतंकवादियों से मुकाबला करेंगे। हमको वहां जाने तो दीजिए। लेकिन कानून बना दिया कि बाहर से किसी हिन्दुस्तानी को घुसने नहीं दिया जाएगा। यह कानून किसने बनाया? पाकिस्तानी आना चाहे तो आ जाए, दूसरे लोग आ जाएं तो आएं, लेकिन कश्मीर में किसी हिन्दुस्तानी को न जमीन खरीदने देंगे, न रहने देंगे, न बसने देंगे। क्यों? अगर उस समय यह कानून नहीं बनाया गया होता,तो मैं कहता हूं, जिस सरकार ने यह कानून बनाया, उस सरकार ने सबसे बड़ा अपराध किया। हमारा देश है, हम सब जगह जाकर बस जाएं, लेकिन कश्मीर में जाकर नहीं बसने देंगे। क्यों? अगर कश्मीर में भारतीयों को बसने की इजाजत होती तो मैं आपसे कहूंगा, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में ऐसी लड़ाकू जातियां हैं कि वे सीमा पर जाकर बस जातीं और मिलिटेंट्स को बता देते कि उन्होंने मां का कितना दूध पिया है और हिन्दुस्तान का नौजवान मां का कितना दूध पिया हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : मेरे अमेंडमेंट में यह बात है कि कैसे जा सकते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : लेकिन नहीं, उनको बसने नहीं दिया, कानून नहीं बनाया। कौन सी धारा है - 370। मैं नहीं कहता, आज भाजपा के लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि गलत बोलते हैं, आप पढ़िए डॉक्टर लोहिया को। इसी सन्दर्भ में डॉक्टर लोहिया ने धारा 370 का विरोध किया था, वह तो समाजवादी थे। हम सोशलिस्ट पार्टी में थे, उस समय नारा लगाते थे - 370 हटाओ, कॉमन सिविल कोड लाओ। डॉक्टर लोहिया समाजवादी थे, जिन्होंने जन-जन में इस आन्दोलन को चलाया था। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, नम्बर एक, यह सदन संकल्प ले और सदन के मार्फत राष्ट्र संकल्प ले कि हम सदन के साथ-साथ राष्ट्र के लोग संकल्प लेते हैं कि जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस के नागरिकों ने, मीडिया ने और सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए संकल्प लिया है और सरकार का साथ दिया है, उसी तरह

भारत की सरकार निर्णय ले तो पूरी मीडिया और सभी राजनीतिक दल उसका साथ देंगे। क्या इस संसद में हम सब ये प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जब हमारे ही शरीर में खुजली है तो हमें दूसरे की खुजली का इलाज क्यों करना चाहेंगे हम अपने यहां उग्रवादियों को छिपाने के लिए उन्हें सहारा देते हैं, खिलाते हैं और रखते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो उस दिन हुई थी, जब इसी संसद पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण किया गया था। जिस पर पूरे सदन ने शोक व्यक्त किया था। हम उस समय यहीं थे।

सभापति जी, मैं अंत में एक बात और कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, जिससे और भी माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें। इसका एक ही उपाय है, और वह है राष्ट्रीय जागरण, समलक्ष्य, समबोध। देश के हर नागरिक में एक बोध हो कि राष्ट्र का कण-कण हमारा है और जो हमारे राष्ट्र की एकता, संस्कृति और सभ्यता को चुनौती देगा, उससे इस देश का एक-एक नागरिक निपटेगा, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हर नागरिक उस विदेशी ताकत को यहां से खदेड़ कर बाहर करेगा। कश्मीरी पंडितों को पुनः वहां स्थापित करने के लिए अगर सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो देश के नागरिकों से मांगे, मैं समझता हूं कि तब उसे पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इन लोगों को चाहे कश्मीर में हो या जम्मू में हो, पुनर्सवासित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सरकार को यह भी चाहिए कि वहां जो मंदिर तोड़े गए, उनका जीर्णोद्धार कराए। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कई राजनेताओं के विरोध के बावजूद कराया था, उसी तरह भारत सरकार सभी मंदिरों का वहां जीर्णोद्धार कराए। कश्मीर घाटी में एक नहीं अनेक सोमनाथ मंदिरों का निर्माण अगर कराना पड़े तो अपने खजाने से पैसा लेकर या लोगों से पैसा लेकर जैसे भी हो, सरकार यह काम करे। वहां से विस्थापित हुए लोगों को स्थापित किया जाए, हिन्दुस्तान के मान-सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, यही आह्वान मैं देश के सभी नौजवानों से करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Thank you, Sir. I stand here to support this Resolution. … (*Interruptions*)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : आपने तो बायकॉट किया था।

प्रो. सौगत राय : बायकॉट किया है ऑफिशियल बिजनेस का, यह प्राइवेट मेम्बर्स का बिजनेस है। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, हम प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं।

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रैस करें।

PROF. SAUGATA ROY: Sir, as I told you, I support wholeheartedly the Resolution brought by Shri Nishikant Dubey and I thank him for bringing this issue to the core of national discussion.

The displacement of Kashmiri pandits was one of the issues that the BJP had used politically in the past saying that earlier the Governments were so weak that people were displaced inside their own country. It is indeed a matter of shame. If you look at the figures, at the beginning of militancy in 1990, there were 75,343 Kashmirii pandit families. By 2008, they had reduced to 651 families only. Now, 60,000 Kashmiri pandit families are registered with the Government. Out of them, 38,000 are staying in Jammu; 19,338 families staying in Delhi Transit camps; and 1,995 families are staying in other States. It is indeed pathetic that even after one and a half years of formation of the new Government led by the BJP at the Centre not even a single family has been returned to J&K. There has been no lack of money. In a reply, Minister of State for Home Affairs Shri Kiren Rijiju said that more than Rs. 1,500 crore has been already allocated by the Central Government for the rehabilitation of the Kashmiri pandits. These include money for construction of new houses, repair of dilapidated ones and creating other infrastructure for resettlement of Kashmiri pandits. So, we have to ask ourselves as to why this rehabilitation is not taking place. क्यों कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है? इसका एक कारण यह है कि जम्मू-कश्मीर में अभी पीडीपी-बीजेपी की सरकार है। अगर कश्मीरी पंडितों को

रिहेब्लिटेशन के लिए ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा तो पीडीपी-बीजेपी के बीच जो समझौता है, उसमें कठिनाई आएगी। इसका मतलब यह है कि कश्मीरी पंडित फिर से सियासती कारणों से विक्टिम बन रहे हैं।

सर, आज मैं इस सदन में प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस में आपको बताना चाहता हूं। मैं भी एक बंगाली रिफ्युजी परिवार से संबंध रखता हूं और उसके दुख और कठिनाइयों के बारे में आपको बताऊंगा।

We are also displaced people from what is now Bangladesh. We know as to what are the experiences of people who grew up in camps and colonies. Now, the present generation has overcome these problems but my parents and relatives of ours suffered these problems.

So, in an independent country of India, for Indians to be refugees is really a very tragic thing. It should not have happened. Many people know that – Shri Bhartruhari Mahab ji has mentioned this – what happened from 1990 onwards was an attempt of ethnic cleansing. These are the words which we heard from the last part of the 20th Century. It happened where the Muslims were subjected to ethnic cleansing in Bosnia Herzegovina of former Yugoslavia. It again happened in Armenia. In Armenia, still this problem is going on. I met many Armenians recently. This ethnic cleansing is that you clear out all the people who do not belong to your race and you convert women by having children through them. This is one of the worst and heinous forms of crimes against humanity. That is what had happened in Jammu and Kashmir. But at the same time, I must say this with some pride. Many people thought that due to rise of militancy in Jammu and Kashmir, Kashmir would go over to Pakistan.

I was in Pakistan on two occasions, in 1999 and also in 2002. I was there when Shri Nawaz Sharif was the Prime Minister in his earlier term. I met with a lot of Pakistanis here. When you talk with them, they talk very nicely and they offer you good hospitality. मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे दोस्ती क्यों नहीं हो सकती है? वह बोला, क्योंकि कोर इश्यु रह गया है। What is the core issue? वह क्या है? They said: “unfinished business of partition”. When I asked as to what it is, they said: “Jammu and Kashmir”. According to the Pakistani mindset, Jammu and Kashmir should be a

part of Pakistan because it is a Muslim majority. That is why, I think that Jammu and Kashmir is so crucial, and the test of secularism of India will be in Jammu and Kashmir, which is a Muslim majority State. We must prove to the world that a Muslim majority State can stay in India with pride.

Of course, in meeting the proxy war with Pakistan, our soldiers have given a befitting reply. Col. Rajyavardhan Rathore is here. I must pay tributes to our Armed Forces. With their blood, they have kept J&K together and foiled all efforts of shadow war by the Pakistanis, whether in the heights of Kargil or whether on the plains of Srinagar and Baramulla, and this is not from today.

Sir, you read the book 'Slender Was the Thread' by Gen. L.P. Sen, a Bengali General. When the *hanadars*, invaders came into Pakistan in 1947-48, they had reached up to the Srinagar Airport. Then the Maharaja, in fear, signed Instrument of Accession. The Indian troops were airlifted to Srinagar Airport and they held the Srinagar Airport. Otherwise, the whole of Kashmir valley was in the dark; they had seized the power station. Our Army has been bold.

But I must also remind you, Sir, that we must also pay our tributes to the people of J&K who, under the leadership of Sheikh Abdullah, resisted the Pakistani invaders in 1947-48; who in 1965 when Pakistan had sent a large number of infiltrators into India, stood firm with the Indian Army when Pakistan attacked in the Chamb-Jurian Sector; who in 1971, again stood with this country; and who in 1998 during the Kargil War supported our Army. Kashmiri people basically believe in Kashmiriat. They do not believe in the 'two-nation' theory. That is why Sheikh Abdullah supported Kashmir's accession to India. We must not forget this basic fact.

Yes, we have made major mistakes. Historically, mistakes have been made. The first major mistake was removal of Sheikh Abudllah and his incarceration, his jailing. The second major mistake was rigging of elections in J&K and stuff the ballot boxes. The last major mistake was made in 1987 when elections were rigged. Many Kashmiri young men lost faith in the Indian

democratic process. Successively, Governments in Jammu and Kashmir were corrupt Governments. All the money that the Government of India had sent were not properly utilised in the service of the people. The land reforms, which Sheikh Abdullah had initiated, are not properly implemented. That is why in 1990, we saw a large number of young men from J&K joining militancy… (*Interruptions*)

Sir, the initial militants were JKLF (Jammu and Kashmir Liberation Front) headed by Yasin Malik. They were for an independent status for J&K. But later, the Hizb-ul-Mujahideen and the Lashkar-e-Toiba made Kashmir a place of international *jihad.* People from different countries of the world came to capture Kashmir. They burnt down Charar-e-Sharif. But India has held firm.

As I always tell my Pakistan friends: "If your condition is that for friendship with you, J&K will have to be given to you, it will not happen in a thousand years. India, with all her might, will hold on to J&K because test of our secularism will be there. We, as a big country, cannot afford to given an inch of our territory. If there are unsettled problems, the problems are in PoK (Pak Occupied Kashmir) with Capital at Muzaffarabad. Gilgit and the Northern Areas should all have been part of J&K."

Lastly, Sir, I would appeal to my BJP friends. In the past, you have made J&K a take for your campaign. Now, you are in the Central Government. You are a part of the Government in J&K. Please do not raise the demand for abolition of article 370. Let Kashmir retain its special status. Let Kashmiri people not feel that the rest of India is imposing things on them. May I say that we debate intolerance in this country and any act of intolerance in the rest of India strengthens the hands of militants, separatists and secessionists in J&K. We must show to the world that we are a tolerant country in which people from all religions can live in peace.

Lastly, for the last five days in Parliament, I have been raising the question of Sushma Ji's visit to Pakistan and before that, secret hush-hush meeting between NSA and the Pakistani NSA at Bangkok. Before that, meeting of Indian Prime

Minister and Pakistani Prime Minister on the sidelines of the climate change talks in Paris, till today, we have had no statement from the Government as to what they talked but I am sure the Pakistani Prime Minister said that we talked on all issues. The Pakistani NSA said all issues include Jammu and Kashmir. Let us again state that Kashmir is non-negotiable thing. We shall discuss everything with Pakistan. But Jammu and Kashmir cannot be negotiated. Similarly, the return of Kashmiri Pandits to J&K should be non-negotiable. We must prove that we are strong enough. This country is strong enough so that part of our brethren can live wherever they want to. There will no ethnic cleansing. We shall not allow it in the republic of India. That is why, I again thank my friend Nishikant Dubey for bringing this to focus and we shall pass this resolution and we shall wait and see how soon and how much the Government of India implements this resolution by leading Members of the Ruling Party.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं श्री निशिकान्त दुबे जी का जो इस संकल्प को लाए हैं, उनका बहुत अभिनन्दन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। यह हम लोगों के लिए एक रिमाइन्डर है कि इस देश की संसद के अन्दर पिछले 25 वर्षों से, मुझे लगता है कि हर वर्ष, हर संसद के अन्दर हम इस बात को डिस्कस करते रहे, लेकिन आज तक इसका हम कोई हल नहीं ढूँढ पाए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का यह नाम, हम कहते हैं कि धरती का स्वर्ग कश्मीर रहा, यह स्वर्ग इसलिए नहीं है कि वहाँ पर प्राकृतिक सौन्दर्य है, कश्मीर को स्वर्ग इसलिए कहा गया, क्योंकि यह ज्ञान का तीर्थ रहा, ज्ञान का केन्द्र रहा। बहुत लोगों को यह बात मालूम नहीं होगी, एक जर्मन राइटर ने एक किताब लिखी है कि जीसस क्राइस्ट भी कश्मीर में आकर के पढ़े थे और उनकी कब्र अभी भी कश्मीर के अन्दर है। 14वीं शताब्दी तक इतने विद्वान, इतने ब्राम्हण पंडित कश्मीर के अन्दर पैदा हुए कि कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीर के अन्दर तिल के दाने के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं, जो तीर्थ न हो। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी, विल्हण ने विक्रमांकदेव चरित लिखा, क्षेमेन्द्र ने संयमत्रिका लिखा, सोमदेव ने, दुनिया की, वर्ल्ड बेस्ट नोन टेल्स जिसे कहते हैं, कथासरित्सागर लिखा, गुणाध्याय ने बृहत्कथा लिखा, मंख ने श्रीकंठचरित लिखा, लगध ने वेदांगज्योतिष लिखा, अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती और तन्त्रलोक लिखा, जिसे कहते हैं कि वह उस समय का सर्वोत्म कवि था, मम्मठ ने काव्यप्रकाश लिखा, इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि यह शारदा की भूमि थी। गोडेस ऑफ लर्निंग की भूमि थी। इसलिए दुनिया के अन्दर और इस देश के अन्दर कश्मीर को स्वर्ग माना गया है। यह स्वर्ग की भूमि आज नरक कैसे बन गई? मेरे से पहले के कई वक्ताओं ने कश्मीर के पंडितों की बातें कीं। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्ष 1948 के अन्दर लगभग 65 हजार हिन्दू गुर्जर पाकिस्तान से आकर के जम्मू के अन्दर बसे।

यह दुर्भाग्य की बात है और पूरी संसद के लिए...* है कि आज भी ये लोग जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के लिए वोट नहीं डाल सकते।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : लोक सभा के लिए डाल सकते हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : केवल लोक सभा के लिए वोट डालते हैं लेकिन इससे बात बनती नहीं है। हम बाहर जाकर तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ खाना नहीं मिलता है, उनके बच्चों को स्कूलों और

---

* Not recorded.

कालेजों में एडमिशन नहीं मिलता है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। वे ज़मीन नहीं खरीद सकते। क्या यह हम लोगों के लिए यह दुर्भाग्य की बात नहीं है?

मैं अपने साथियों को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि लश्करे तइबा जो आतंकवादी संगठन है, यह अभी पैदा नहीं हुआ। जब कश्मीरी पंडित वहाँ से भागने लगे, 1989 और 1990 में यह शुरू हुआ, उससे पहले 1960 के दशक के अंत में और 1970 के प्रारंभ में वहाँ के स्कूलों और कालेजों के अंदर रेडिकल प्रीचर, जेहादी प्रीचर और जेहादी उपदेशक वहाँ पर यह काम कर रहे थे और जेहादी आतंकवाद और जेहादी विचारधारा फैला रहे थे। 1960 और 1970 के दशक में जिनको पढ़ाया गया, 1990 तक आते आते वे लोग आतंकवादी बनकर तैयार हो गए। हमारे देश की इंटैलिजैन्स एजेन्सीज़ के लिए भी यह विफलता थी ...* है कि हम लोग जागे नहीं। जिस प्रकार से हमारी अक्साई चीन एरिया की ज़मीन 1962 में नहीं ली गई, जो भारत-चीन युद्ध हुआ, उसमें नहीं ली गई, उससे बहुत साल पहले ले ली गई, पर हमारे देश को कई सालों बाद मालूम चला जब वहाँ सड़कें बनीं मिली। इसी प्रकार आतंकवादी गतिविधि केवल तब शुरू नहीं हुई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ।

1986 में मैं पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ पहलगाँव गया था। एक खेत में अखरोट सुखाए जा रहे थे और हमारी टीम के साथ लोकल पुलिस से केवलमात्र एक लद्दाखी बौद्ध पुलिस सब-इंस्पैक्टर था। हमने उसको कहा कि पता करो, यहाँ अखरोट सूख रहे हैं, यहाँ से हम ताजे अखरोट खरीद लेते हैं। उसकी शक्ल और हमारी शक्ल देखकर वहाँ का किसान कहता है कि हम हिन्दुस्तानियों को अखरोट नहीं बेचते। यह तब की बात है। हम उससे कई साल पहले 1981 में एक जगह गए थे। जहाँ रूके थे, वहाँ का पम्प ऑपरेटर कह रहा था कि जब हम हिन्दुस्तान में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है आदि-आदि। उन लोगों ने हिन्दुस्तान को अलग माना और कश्मीर को हमेशा से अलग माना और इस भावना को हमने खत्म करने की बात नहीं की न कोई यथोचित कदम उठाये। इसलिए एल.ई.टी. कहती है कि Kashmir is the gateway to the entire India. हम पहले कश्मीर को लेंगे, बाद में पूरे इंडिया के अंदर इस्लामीकरण करेंगे, पैन-इस्लामिज़्म फैलाएँगे। हिज़्बुल मुजाहिदीन भी यही कहता है, लश्करे तइबा भी यही कहता है और इसलिए वहाँ पर इस तरह से किया गया। इसलिए कश्मीरी पंडितों को वहाँ से जान-बूझकर भगाया गया। हमारे देश का कोई भी बुद्धिजीवी नहीं बोला। हमारे देश का ह्यूमन राइट्स कमीशन और मानव अधिकार की बात करने वाले जो लोग हैं, ये क्यों चुप हैं? अगर कहीं जेल में किसी की नैचुरल और प्राकृतिक रूप से मौत हो जाती है तो वहाँ से मैमो भेजते हैं, लैटर भेजते हैं, स्टेट गवर्नमैंट का

* Not recorded.

एक्सप्लानेशन कॉल करते हैं, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडितों के बारे में या जो गुर्जर 1948 में आए, उनके बारे में किसी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोई नोटिस नहीं निकाला। ये सब सो जाते हैं, उनके बारे में कभी कुछ नहीं लिखते।

महोदय, अगर हमें इसका इलाज ढूँढ़ना है तो सबसे बड़ा इलाज है कि हमें मखमली दस्तानों में लोहे के हाथ चाहिए। जब गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में यह बात डिसकस हुई तो बड़े दुर्भाग्य की बात है क्योंकि सब अपनी संसद के लोग हैं, मैंने कहा कि भारत सरकार इतना बजट कश्मीर को देती है लेकिन वहाँ गूजरों को आज तक क्यों उनके अधिकार नहीं दिए गए, पिछले इतने वर्षों में कश्मीर गवर्नमैंट ने उसके लिए कोई निर्णय नहीं लिया। मैं अकेला संसद सदस्य उस कमेटी में था जिसने कहा कि मेरी बात उसमें रखी जाए कि जब तक ये लोग उन गूजरों को अधिकार नहीं देंगे, तब तक भारत सरकार से उनको बजटरी एलोकेशन नहीं दिया जाएगा।

लोग बोलते हैं, नहीं-नहीं, चलता रहना चाहिए। यह चलता रहा, 40 वर्षों से, 60 वर्षों से चलता है, अभी भी चलता रहना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं उसे भूल गया कि वहां केवल मंदिर ही नहीं तोड़े गये, निशिकान्त दुबे जी ने कहा था, जहां तक मुझे याद है, 600 से ज्यादा गांवों का इस्लामीकरण किया गया, उनके नाम बदल दिये गये। उनके बारे में कोई बोलता नहीं है, उनका इस्लामीकरण कर दिया गया, उनके नाम बदल दिये गये। अभी मेरे से पहले आदरणीय सौगत दादा जी बोल रहे थे कि हमें तो धारा 370 खत्म करने की जरूरत नहीं है, इससे मालूम चला कि हम कितने टोलरेंट हैं। ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। अगर हाथ में कैंसर हो जाये या शरीर में कैंसर हो जाये, उसको टोलरेंस नहीं कहते, उसको निकालना ही पड़ता है। धारा 370 इस देश के लिए इर्रीटेंट है, इस देश की राष्ट्रीयता के ऊपर धब्बा है। एक कश्मीरी कहीं भी जाकर देश में रह सकता है, बस सकता है, व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है- पर कोई गैर-कश्मीर कश्मीरी में जाकर न ही बस सकता है, न ही संपत्ति खरीद सकता है। यह कितना हास्यास्पद है। जब तक धारा 370 इस देश के अन्दर रहेगी, इस देश के अन्दर राष्ट्रीयता नहीं फैलाई जा सकती। जब तक धारा 370 को खत्म नहीं किया जायेगा, वहां जाकर कोई बस नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता। कश्मीर अलग है और हिन्दुस्तान अलग है, जब तक धारा 370 रहेगी, तब तक कश्मीर के अन्दर राष्ट्रीयता नहीं आ सकती। इसलिए धारा 370 खत्म होनी चाहिए।

मैं यह भी कहता हूं कि वहां के अलगाववादी लोगों को वहां पर हाउस अरैस्ट किया जाता है, क्या उनके ऊपर यू.ए.पी.ए., जो हमारा कानून है, उसके अन्दर एक्शन नहीं लिया जा सकता। नश्तर को काटना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए केवलमात्र समझाने से बात नहीं बनती। आज भी अगर ये अलगाववादी वहां पर रहकर काम करते हैं तो यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से जिन लोगों

ने पंडितों की जमीनों पर कब्जा किया है, उनको खाली करवाओ। उनको तीन महीने का समय दिया जाये और सख्त कार्रवाई की जाये, यह सरकार को तय करना पड़ेगा।

माननीय सभापति : अब समाप्त करें। ये हमारे पड़ोसी हैं, मैं इन्हें जानता हूं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैं बस खत्म कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर राज्य को कोई हिंसा करनी पड़े तो वह हिंसा नहीं, वह धर्म है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, वहां के पंडितों को बसाने के लिए अगर हमें हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वह हिंसा नहीं है, वह हमारा राष्ट्रधर्म है और हमें उसका साथ देना चाहिए, उनको बसाना चाहिए।

मैं तो एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का जो हश्र हुआ, उसका दुख अतुलनीय है। यह सरकारों की अकर्मण्यता का और असहायपन का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। आज भी हम कहते रहे, जो हुआ कि:

‘अपूज्या यत्र पुज्यन्ते, पुज्यांचः व्यतिक्रमः,
त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, रोगं, दुर्भिक्षं, भयम्।’

जिस समाज के अन्दर, जिस देश के अन्दर पूज्य लोगों का निरादर, तिरस्कार होता हो और बुरे लोगों को प्रोटैक्शन दिया जाता हो, आतंकवादियों, अलगाववादियों को प्रोटैक्शन दिया जाता हो और आपको तो मालूम होगा, उनको पैसे दिये जाते हों, वहां यही होने वाला है। वहां दुख, दुर्भिक्ष और अलग-अलग प्रकार की मुसीबतें व रोग होते हैं। ...(व्यवधान)

मैं खत्म कर रहा हूं, केवल इतनी बात कहकर कि कश्मीर का बड़ा उज्ज्वल इतिहास रहा है:

‘उज्ज्वल रहा अतीत तो भविष्य भी महान है,
अगर संभल जाये वो, जो वर्तमान है।’

धन्यवाद।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति महोदय, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए समय दिया, सबसे पहले मैं निशिकांत दुबे जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आप लेकर आये।

मैं दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी कि:

'वह रिश्ता भी क्या रिश्ता है, जो खुलकर सांस लेने से भी डरता है,
वह रिश्ता भी क्या रिश्ता है, जो अपने तरीके से जीवन जीने से भी डरता है।
क्या मैं बंदी हूं, क्या मैं पशु हूं, क्या मैं बंधुआ हूं,
कहने को तो मैं आजाद हूं, लेकिन अहसास कैदी सा है।'

आज जम्मू-कश्मीर के बारे में बात हो रही है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जम्मू-कश्मीर की उसी धरा पर पैदा हुई हूं, जहां की आज हमारे माननीय सदस्यगण बात कर रहे हैं। अभी सब बात करके गये, हमारे भर्तृहरि महताब जी ने एक कटिंग थी, उसके बारे में भी बताया।

महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि चाहे वह पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी का हो, चाहे हमारे कश्मीरी पंडितों का हो, उनका दर्द मैंने बहुत करीब से देखा है। कश्मीरी पंडित और सिख लोग, जो वहां से माइग्रेट होकर आए हैं, उन्हें कठुआ जिला में फ्लैट दिए गए थे। मैं खुद उनके एक फ्लैट में गयी हूं। मुझे मौका मिला था। मेरी दीदी की एक मित्र के घर एक छोटा-सा प्रोग्राम था। मैं उनके घर गयी थी। वहां एक छोटा-सा कमरा था। उसी कमरे में सभी लोग रहते थे। एक छोटा स्टोर के जैसा एक और कमरा था, जिसमें उनके पिता जी थे। तभी एक शोर की आवाज़ आई। मैंने दीदी से पूछा कि दीदी, दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है। आपने उसे बंद क्यों कर रखा है? उस समय मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। मुझे आज इस पर बोलना था, तो मैंने इस विषय को पढ़ा और फिर मुझे वह क्षण याद आया। जब मैंने दीदी से पूछा कि उस कमरे में कौन है, तो उन्होंने मुझे वह कमरा खोल कर दिखाया। वहां उनके पिता जी थे। वे कश्मीर से आए तो थे, उनका शरीर तो वहां आया था, पर वे अपनी आत्मा वहीं छोड़ आए थे। उनकी आत्मा वहीं पर थी। वे एक ही बात कहते थे कि मेरा घर मुझसे मत छुड़वाओ। सब कुछ मेरा कश्मीर में ही रह गया। बस दो-तीन ही बातें उनको याद थीं, बाकी कुछ उन्हें याद नहीं था। कठुआ में आए हुए उन्हें एक-दो साल भी नहीं हुआ था कि उनका एक बेटा था, वह भी गुज़र गया। आज एक बेटी है और उसी से उनके घर का गुज़र-बसर चल रहा है। क्या हम यह कभी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को जो फ्लैट्स दिए गए, वे किस स्थिति में हैं? वे लोग वहां पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उन्हें उसमें क्या मिलता है? आज उन्हें कठुआ से उठाकर जम्मू में नगरौटा भेज दिया गया। वे एक ज़गह से तो

ऑलरेडी विस्थापित होकर आए हैं और फिर उन्हें कठुआ में लाया गया और फिर जम्मू में भेज दिया गया। वे कितनी बार इस तरीके से अपना घर छोड़ेंगे?

महोदय, मैं रिफ्यूजियों की बात करना चाहूंगी। आज़ादी के 67 साल गुज़र जाने के बाद भी इनको आबाद नहीं किया गया। ये लोग अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग अपने अधिकारों के लिए संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गयी सिफारिश, जिसमें रिफ्यूजी के लिए 30 लाख रुपए प्रति परिवार, विधान सभा में आठ सीटें, पी.ओ.जे.के. के कोटे के तहत नौकरी इत्यादि देने की बात की गयी थी। मैं माननीय श्री निशिकान्त दुबे जी से यह कहना चाहूंगी कि सरकार रिफ्यूजी बोर्ड का गठन करे, क्योंकि इनकी संख्या पन्द्रह लाख है। जो अधिकार इन्हें मिलना चाहिए, जैसा अभी सतपाल जी ने भी बताया, कि इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला है। मैं अभी चुनाव के समय वहां गयी थी तो वे लोग हमारे पास आए थे। लोक सभा के चुनाव में वोट डालने का तो इन्हें अधिकार है, पर विधान सभा के चुनाव में इन्हें अधिकार नहीं है। इन्हें नौकरी नहीं मिलती है और जो वहां से दलित आए हैं और उन्हें कोटे से जो आरक्षण मिलना चाहिए, वह भी उन्हें नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि इस चर्चा को हम केवल चर्चा तक सीमित न रखें, बल्कि इसको अंतिम रूप से अमली जामा पहनाया जाए। इन्हें इनका अधिकार दिलाया जाए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि यह हमारी विडम्बना ही है कि पाक़िस्तान से विस्थापित व्यक्ति भारत के प्रधान मंत्री के पद तक पहुंच गए, लेकिन पाक़िस्तान से विस्थापित जो रिफ्यूजी हमारे जम्मू-कश्मीर में आए, उन्हें वहां वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। वर्ष 1987 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर सरकार पश्चिमी पाक़िस्तान से आए हुए विस्थापितों को हर प्रकार के बुनियादी अधिकार दे सकती है, जिसके लिए उन्हें जम्मू-कश्मीर के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एकमात्र शासकीय आदेश के द्वारा यह किया जा सकता है। लेकिन, 28 वर्षों में भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया और न ही जम्मू-कश्मीर के संविधान में उन प्रावधानों के संशोधन की कोई प्रक्रिया शुरू की गयी, जबकि दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उन लोगों को नागरिकता के अधिकार दिए जा सकते थे। लेकिन, दुर्भाग्य से पूर्व की सरकारों ने इस प्रकार की कोई पहल नहीं की तथा इनकी आर्थिक मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। यह विश्व मानवता पर आधारित है। इसके लिए राज्य और केन्द्र सरकार को मिल कर 67 वर्षों से पीड़ित पाक़िस्तानी विस्थापितों को न्याय दिलाना होगा, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाना होगा। वहां से आए हुए सिखों को भी न्याय दिलाना होगा।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और दो शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगी -

जमीं के जलजले में आस के दीए बुझ गए,
फिर कायम हुए होंसले रोशनी-ए-जुगनू तले

जय हिन्द। जय भारत।

माननीय सभापति : चूंकि 6-7 माननीय वक्ता और हैं और इसके बाद में एक विषय और आना है। मेरा आग्रह है कि आप लोग 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

जगदम्बिका पाल जी।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): यह जो संकल्प आज सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उस संकल्प को शायद मुझे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे पहले इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य चाहे इस पक्ष में बैठे हों या चाहे उस तरफ बैठे हों, सबको यह चिंता है कि आज एक ऐसे विषय और संकल्प पर हम चर्चा कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : इस पक्ष में कोई नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: आप हैं, सौगत राय जी थे। ...(व्यवधान) मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देश का जो भी सिटीजन है, देश का नागरिक है, उस नागरिक को जो फंडामेंटल राइट है, वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक के देश के हर व्यक्ति पर लागू है, चाहे वह कश्मीर की वैली में रहता हो, चाहे वह केरल के कोचीन में रहता हो, चाहे वह ओडिशा में रहता हो या उत्तर प्रदेश में रहता हो। जहां देश के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट है और देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो और उस संकल्प पर जिस पर सभी हमारे सहयोगी अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां 25 वर्षों में हमारे सामने पैदा हुईं कि 25 वर्ष पूर्व 19 जनवरी, 1990 को बहुत बड़ी संख्या में लोग कश्मीर वैली से विस्थापित हुए। आज भी वे अपने ही देश में भारत के नागरिक होकर उसी देश में शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। यह विषय राजनीति का नहीं है, बल्कि इस सदन में चुने हुए जनप्रतिनिधियों और सरकार के लिए एक निश्चित तौर से गंभीर विषय है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम आज 25 वर्षों के बाद यह सदन पूरी गंभीरता से आज उस पर डिसकस कर रहा है कि जो लोग कश्मीर से माइग्रेट हुए, उनके रिहैबिलिटेशन और वेलफेयर के लिए, वे चाहे जम्मू में हों या दिल्ली में हों या देश के किसी हिस्से में हों, उनके वेलफेयर के लिए कदम उठाए जाएं। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसके पहले या अभी तक भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। यह बात सभी ने स्वीकार किया है कि जो जम्मू-कश्मीर से माइग्रेंट हैं, वे चाहे देश के किसी राज्य में हों, देश की राजधानी दिल्ली में हों, अगर उन कैंप्स में, जैसा कि अभी माननीय सदस्या अंजू जी ने कहा, इसके पहले निशिकांत जी ने कहा, जिसको भी जाने का मौका मिला है, उन्होंने देखा है कि उन कैंप्स में रहने वाले लोगों की कंडीशन, कश्मीरी पंडितों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उनकी इतनी बदतर स्थिति है कि जब उन्हें एलॉट हुआ था तो एक कमरा एक परिवार का था। आज जब उनके परिवारों की संख्या बढ़

रही है, उसके बाद भी न उनके रहने की सुविधा है और न उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। जिनको रिलीफ दिया जा रहा है, एस्टीमेट ऑफ रिलीफ एक्सटेंडेड टू दी डिसप्लेस्ड पीपुल फ्रॉम कश्मीर, वह फेमिलीज नंबर 34,305 है, जो जम्मू में रह रहे हैं और जो वैली से कश्मीर से विस्थापित हुए हैं, जबकि 19,338 परिवार दिल्ली में विस्थापित होकर रह रहे हैं और देश के दूसरे राज्यों में 2,603 परिवार विस्थापित हैं। उनका क्या दुर्भाग्य है? वे जब जम्मू-कश्मीर में थे, तो वहां के लैंड लार्ड थे, एन्सिएंट टाइम से एक-दूसरे के साथ रहते थे। उस वैली में 4 परसेंट उनकी पॉपुलेशन थी। एक मिलीजुली भाईचारे की संस्कृति कहलाती थी। उस संस्कृति को कोई अलग नहीं कर सकता था। किन्हीं कारणों से चाहे वह सेपरेटिस्ट हों या वहां की पॉलिटिक्स रही हो, आज विडंबना है कि उस विडंबना के कारण लोग अपने घर से बेघर हुए और दूसरे राज्यों में विस्थापित हुए।

17.00 hours

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आज जिन विस्थापित परिवारों को जो रिलीफ दिया जा रहा है, जैसा मैंने कहा है कि 34,305 परिवार जम्मू में हैं उनमें केवल 13,378 परिवार रिलीफ के लिए एनटाइटल हैं। इससे यह साफ है कि 34,305 परिवारों में केवल 13,378 परिवारों को रिलीफ मिल रहा है। दिल्ली जो 19,338 परिवार हैं, उनमें 1,268 परिवारों को आज सरकार की तरफ से रिलीफ पैकेज मिल रहा है। दूसरे राज्यों में 2,603 परिवार हैं, उनमें से केवल 2,484 लोगों को रिलीफ मिल रहा है। आप अन्य परिवार के लोगों के लिए सोचिए। …(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। यह तो अभी कंटीन्यू रहेगा।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह आज ही खत्म हो रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी है।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो परिवार विस्थापित हुए हैं उनके परिवारों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उनके रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं। इस पर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक सबकमेटी फरवरी 2009 में बनी, जिसमें रिहैब्लिटैशन ऑफ जेके माइग्रेन्ट्स पर डिसकशन हुआ। 30 जुलाई, 2013 में जेके माइग्रेन्ट्स विथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जम्मू-कश्मीर गवर्नमेंट और माइग्रेन्ट्स के साथ डिसकशन हुआ और एक बहुत स्ट्राँग रिकमैंडेशन हुआ। आज के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, वैंकैय्या नायडू जी उस कमेटी के चेयर मैन थे। उन्होंने साफ तौर से स्ट्राँग रिकमैंडेशन दिया है। आज माइग्रेन्ट्स की कंडीशन में सुधार लाने की आवश्यकता है। माइग्रेन्ट्स के परिवारों को रिहैब्लिटेट करने की आवश्यकता है। आज सभी ने जो कहा है, उससे मैं भी सहमत

हूं।...(व्यवधान) पिछले दिनों जो सरकार जम्मू-कश्मीर में बनी है, उन्होंने भी कहा है कि जो माइग्रेन्ट हो गये हैं, उनको जम्मू-कश्मीर में लायेंगे, उनके लिए कॉलोनी बनायेंगे और उन्हें बसायेंगे। अभी तक वहां एक परिवार गया है। मैं सभी सदस्यों के साथ चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश के विभिन्न राज्यों, राजधानी, और जम्मू में जो विस्थापित हो चुके हैं, सबसे बड़ा टारगेट हमारा उस दिन पूरा होगा, जब हम फिर से उनको अपने घरों में ले जाकर उन्हें रिहब्लिटेट कर सकें तो शायद हमारे देश के संविधान की मूल आत्मा पूरी होगी। निश्चित तौर पर, यह सरकार के लिए एक बड़ा कदम होगा। उनके कंडीशन में सुधार लाने की जो बात है, उनकी वोटिंग राइट की जो बात है, वहां विधान सभा का कार्यकाल छः साल है, बहुत से ऐसे बिन्दु थे, जिन पर मैं अपनी बात कहता, लोक सभा की बात आयी, मैं समझता हूं कि उन कंडिशंस से ज्यादा, कम से कम उनके लिए ब्रेड-बटर और उनके रोजगार का इंतजाम किया जाये। जब मंत्री जी प्राइवेट मैम्बर बिल के माध्यम से ही उन पर उत्तर देंगे तो उनके भविष्य में आने वाले परिवार के लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी का क्या प्रबंध होगा, मैं चाहता हूं कि वह अपने उत्तर भाषण में जरूर कहेंगे। इसी के साथ, मैं माननीय निशिकान्त दुबे द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, "यतो धर्मः ततो ईष्टः, यतो ईष्टः ततो जयः।" मैं अपने भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसी के दर्द को महसूस करके यह प्राइवेट मैम्बर बिल लाए। यह पता नहीं है कि उन्होंने अंतरात्मा से उस दर्द को महसूस किया है या कहीं इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण ज्यादा है। ...(व्यवधान) मैं विवेकानंद जी की एक बात कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कर्मयोग की बात की थी। अरविन्द घोष ने धर्म के बारे में कहा था कि स्वयं से स्वयं को समझो और स्वयं से समाज को समझो। मैं बहुत ही गंभीरता से कहूंगा कि मामला बहुत गंभीर है और आप निश्चित रूप से गंभीर संवालों को लेकर आते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत इच्छाशक्ति की जरूरत है। हमारी नीयत और नीति बहुत ही बेहतरीन हो। मुझे लगता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित नेहरू और फिर नरेन्द्र मोदी जी, निश्चित रूप से इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक मजबूत दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग है, जिद्द हैं, जुनून हैं, नीयत भी है और नीति भी होगी, लेकिन आपको उनके उस भाषण को समझना होगा जिन्होंने सार्वभौमिक समाज की कल्पना इसी जगह चार दिन पहले की थी। सर्व धर्म समभाव की कल्पना इसी जगह बैठकर उन्होंने की। मानव-मानव एक है, मानव का धर्म एक है, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व अपने भाषणों में इस बात को उदृत किया। मैं उससे आगे बढ़कर कहना चाहूंगा - एक चूल्हा, एक समाज, एक है मानव समाज। आप लोग धर्म की बहुत बात करते हैं...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I have to inform the House that the time allotted for the discussion on the Resolution is almost over. As there are six more Members to take part in the discussion, we have to extend the time for further discussion on the Resolution. If the House agrees, the time for discussion on the Resolution may be extended by one hour. Is this the sense of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री राजेश रंजन : मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं -

ऊं भूर्भुव: स्व:
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न: प्रचोदयात।

इस परिकल्पना को लेकर ही हम सर्व धर्म समाज की बात कर सकते हैं।

ऊं संगच्छध्यं संवदध्वं
सं वो मनांसि जानताम्
देवा भागं यथा पूर्वे
सज्जानाना उपासते।

सम्पूर्ण विश्व की मानव कल्पना को ध्यान में रखे बगैर यदि ऊं का मतलब समझते हैं तो विराट और भूर्भुव का मतलब सम्पूर्ण धरती की बात करना चाहते हैं तो कश्मीर को राजनीतिक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी भी चीज की कल्पना करते हैं तो वे क्यों बने। उस युग में झंझावात की दुनिया से तंग होकर माया, ममता, कर्मकांड, आडम्बर जैसी चीजों का विरोध नानक, मोहम्मद साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, महात्मा बुद्ध, विवेकानन्द, गुरु तेग बहादुर जी आदि ने करके सम्पूर्ण समाज की कल्पना की। आपको इस बात को मानना होगा कि क्या कारण है चाहे इस्लाम विचारधारा आई, सिखिज़्म की विचारधारा आई, बौद्धिज़्म की विचारधारा आई, कहीं न कहीं हम सब लोग स्वयं को नहीं समझ पाए और समाज के शोषण को समझने में देर कर दी जिसके चलते यह सारी विचारधारा समय, काल, पात्र के अनुसार आती गई और आगे बढ़ती गई। आप लगातार मंदिर की कल्पना करते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि धर्म व्यक्ति के लिए है, धर्म राजनीति के लिए नहीं हो सकता। धर्म व्यक्ति के विश्वास की चीजें हैं। धर्म को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।...(व्यवधान) कुछ देर में घंटी बजेगी, इसलिए मैं उन चीजों में न जाकर कश्मीर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। राम जन्म भूमि जैसी बातें जब आती हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वह इतिहास में है। सुप्रीम कोर्ट में भी राम जन्म भूमि पर बहुत सारी चर्चा हुई। आप राम चरित मानस की कल्पना याद कीजिए या तुलसीकृत रामायण क्यों लाई गई, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन आग्रह करेंगे कि भानुमति के पिटारे की तरह मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा हो, चर्च भी हो। यदि आप अपने पूर्व के गुरू को देखें, सदाशिव की कल्पना कीजिए या कृष्ण की कल्पना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी लोगों के भाव में आत्म मोक्षारतम् जगत हितै की कल्पना गई। सार्वभौमिक समाज और बगैर दूसरों के कल्याण के आप मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकते, यह बात आपको समझने की जरूरत है। कश्मीर ईशू को समझने से पहले इस बात को कहना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। कश्मीर के बारे में बार-बार जो बातें आती हैं, उसमें सिर्फ एक चीज को नहीं ले सकते। आप याद कीजिए, 12 लाख मुस्लिमों ने भी भारत में शरण ली थी। कश्मीरी पंडितों के सवाल पर, आपको याद होगा 1947, 1948, 1965 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से विस्थापित भारत के सीमांत क्षेत्र के लोग जम्मू के इलाके में, बेशक भारत इन युद्धों में विजयी रहा, लेकिन दो लाख लोगों को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी जबकि वे समृद्ध किसान थे।...(व्यवधान) मैं प्वाइंट पर ही आ रहा हूं। आपने दो मिनट में ही घंटी बजा दी।...(व्यवधान) बगैर इसे समझे कुछ नहीं हो सकता।...(व्यवधान) इन बातों के बगैर कल्पना नहीं सीखी जा सकती।

17.10 hours (Dr. P. Venugopal *in the Chair*)

मैं आपको बता दूं, कि मैं भारत और भारत से बाहर भी पढ़ा हुआ हूं, आपकी तरह हम अमेरिका में भी पढ़े थे। यदि जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों की बात की जाएगी, चीन को आप देखिए, मधेशियों के सवाल को देखिए, दुनिया में खालिस्तान को लेकर कितनी हायतौबा मची थी, पंजाब की स्थिति को भी हमें ध्यान में रखना होगा। कश्मीर की बहुत जटिल समस्या है। देश के कई प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत प्रयास किएं। नरेन्द्र मोदी जी और मुफ्ती मोहम्मद साहब की गठबंधन की सरकार बनी है। सरकार द्वारा वहां अत्यधिक पैसे दिए गए हैं, इस सरकार के पहले भी पैसे दिए गए हैं। आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने काफी पैसे दिए हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। जिन कश्मीरी पंडितों को आप लौटाने की बात कर रहे हैं, क्या वे पैसे या धन से लौटेंगे? यदि समाज में भय का वातावरण बना रहेगा और असहिष्णुता रहेगी, जो बौद्धिक लोग हैं, तथाकथित संपन्न लोग हैं, ऐसे माहौल में जाकर अशांति का माहौल पैदा करना नहीं चाहेंगे। यह बिल निश्चित रूप से देश हित के लिए है। चाहे हिन्दु हो या मुसलमान हो, जो भी विस्थापित हुए हैं उन विस्थापितों को बसाने के लिए आपकी सरकार दृढ़संकल्पित है। आप मंदिर और मस्जिद में मत जाइए, सभी विस्थापित लोगों को बसाने का आप प्रयास कीजिए।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, मैं श्री निशिकान्त दुबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस रिजोल्यूशन को मूव करके कश्मीरी पंडितों के बारे में संकल्प किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किए बगैर कश्मीर की बात पूरी नहीं हो सकती है। जिन्होंने इस देश में दो विधान और दो निशान नहीं चलेगा, का ऐलान करते हुए देश और कश्मीर के लिए अपना बलिदान कर दिया। मैं आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद करना चाहूंगा। इसके आंकड़े बहुत शर्मनाक हैं, कश्मीर के लिए आज तक जितने पैसे इस देश ने दिए हैं, जितने जवानों ने अपनी जवानें गवाई हैं, जितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितने कश्मीरी पंडितों को हम पुनर्वासित कर पाए हैं? यह आंकड़ा हैं, जो बहुत ही लज्जाजनक है। इसलिए आंकड़ों पर न जाते हुए वास्तविकता की बात करनी चाहिए।

मैं तथाकथित मीडिया और अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि वे इस देश में टोलरेंस और इंटोलेरेंस की बात करते हैं। आज भ्रष्टाचार समाप्ति की ओर है। ऐसे समय में कम से कम तथाकथित बुद्धिजीवी और मीडिया के लोग कश्मीरी पंडितों को वहां स्थापित करने के लिए और कश्मीर की समस्या को समाप्त करने के लिए कोई डिबेट करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे एक नया दौर प्रारंभ हो सकता है, एक नया माहौल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। पप्पू यादव जी कहते है कि मंदिर और मस्जिद की बात मत कीजिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम मंदिर और मस्जिद की बात न करें, तो कश्मीर में सिर्फ मंदिर ही क्यों तोड़े गये? कश्मीर में से सिर्फ हिन्दुओं को ही क्यों भगाया गया? गृह मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में 72 फिरके रहते हैं तो उसमें से बहुत सारे फिरके कश्मीर में रहते होंगे। उन फिरकियों के बारे में क्यों वहां के अलगाववाद और आतंकवादी लोग हल्ला नहीं करते? क्यों सिर्फ कश्मीरी पंडितों और हिन्दुओं को ही वहां से खदेड़ने का काम किया गया? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है।

मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में कश्मीर के बारे में चर्चा करते समय हमें कोई एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। इस एक्शन प्लान को बनाने में हम जितनी देरी करेंगे, उतनी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। हमें कीमत तो चुकानी है, वह चाहे आज चुकाइये या कुछ साल के बाद चुकाइये। हम जितनी देरी करेंगे, उतनी ज्यादा कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, इसलिए इसका फैसला हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आर्टिकल 370 के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे बहुत बुजुर्ग सदस्य ने यहां पर कहा कि आर्टिकल 370 के बारे में बात मत कीजिए। क्या कश्मीर के लोग कह सकते हैं? वहां पर अलगाववाद की बात करने वाले लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 को आप समाप्त करने की बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नाता तोड़कर पूरा पाक आक्यूपाई कश्मीर भारत के साथ एक नाता बनाने का प्रयत्न करेगा। क्या इस बात के बारे में कोई कह सकता है? क्या इस बारे में कोई चर्चा हो सकती है। हमें

लगता है कि इस समस्या को दूर करने के लिए आर्टिकल 370 को समाप्त करना अनिवार्य है। लेकिन इसके बारे में बातें हो सकती हैं, चर्चा हो सकती है क्योंकि लोकशाही है। अगर सारा विपक्ष कश्मीर के मुद्दे पर एक होता है, तो मैं मानता हूं कि कश्मीर की समस्या हम देखते-देखते समाप्त कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर के आतंकवादी जितना इस देश के लोगों को हैरान-परेशान करने का काम करते हैं, उतना हमारे विपक्ष के कुछ भाई कश्मीर के मुद्दे को जीवित रखकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। हम खुले दिल से बातचीत करना चाहते हैं। हमारे जितने भी प्रधान मंत्री अटल जी से लेकर मोदी तक बने हैं, वे सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा याराना संबंध हो, दोस्ती हो। हम उनके साथ बातचीत करें और उससे कोई रास्ता निकालें। लेकिन पाकिस्तान कभी भी बातचीत का माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तान बातचीत का माहौल इसलिए नही बनाता, क्योंकि हमारे देश में भी विपक्ष के कुछ लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश के सारे विपक्ष के लोग इन्कूलडिंग भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ खड़ी हो जाती है, तो कश्मीर का यह मसला हम देखते-देखते समाप्त कर सकते हैं।

मैं इस चर्चा के माध्यम से चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। हम सारे मीडिया के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि वे देश और दुनिया के सामने अपनी बुद्धि का परिचय दें कि कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं? आर्टिकल 370 के बारे में आपकी क्या विचारधारा है और कश्मीर में जो अलगाववाद है, जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, उनके बारे में आपकी सोच और समझ क्या है? इस बारे में एक बहुत बड़ा डिसकशन हमें आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। यह सिर्फ लोक सभा में डिसकस करके समाप्त होने वाला विषय नहीं है। लोक सभा के बाहर भी तथाकथित बुद्धिजीवियों के साथ हमें चर्चा करनी पड़ेगी तब हम इस समस्या का समाधान ढूंढ़ पायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति महोदय, कश्मीर के लिए बहुत सारे लोगों ने जानें गंवायी हैं। कश्मीर के लिए हमने बहुत सारे पैसे खर्च किये हैं। इस देश ने कश्मीर के लिए जितना खोया है, उतना 90 प्रतिशत आबादी के लिए भी नहीं खोया। लेकिन इतना खोने के बाद भी अगर हम इस समस्या का समाधान किसी झगड़े या वार के बिना ढूंढ़ सकते हैं, तो यह देश और समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on a Private Member's Resolution moved by Shri Nishikant Dubey for immediate step for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir. After going through various debates on the issue, it is clear that the bone of contention lies in Article 370. If the controversy with respect to Article 370 is resolved, then there will be no problem with respect to Kashmir. For the last so many years- since 1947 or we can say since 1950- we have been facing tremendous problem at international level as well as at national level. For that purpose, we have spent a lot of money and the economy of the country has also been affected by it.

If we see why Article 370 was enacted, the purpose of enacting Article 370 was only temporary. It was not meant for a permanent purpose because the words used in Article 370 say that it is a temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir. The provisions were made and promulgated way back when our Constitution was enacted in 1950. For such a long period of time we cannot say and we cannot assume that the provision made long back should be treated as temporary. Now, at the same time the Constitution framers were also vigilant and conscious of this fact. For that purpose, the provision has been made under Article 368.

The question is whether Article 370 is subject to Article 368 or not. It is within the legislative power of this august House, Parliament of this country even to abrogate and amend the provision of Article 370. There is no doubt that in Article 370 the provision has been made for having consultation with the Government of the State and concurrence of the State in any order made by the President of India with respect to that State as well as taking the permission of the State Legislature. So far as Article 368 of the Constitution of India is concerned, it is within the legislative competence of Parliament Article 368 on the basis of which it starts like:

> "Notwithstanding anything in the Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution …"

The expression used under Article 368 as to 'any provision of this Constitution' included the provision of Article 370. It is not only this but Article 368 (5) provides:

> "For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article."

The provision of Artcile 370 is also a provision of this Constitution. Therefore, it is high time that Parliament amend the Constitution under its constituent power under Article 368 and repealed the provision of Article 370 so that all the problems which have been created in our country can be solved. Besides this, the Explanation to Article 370 says that the provisions of Article 1 shall be applicable to that State. Article 1 of the Constitution of India says:

"India, that is Bharat, shall be a Union of States."

Jammu and Kashmir is also a part of India. Once it is a part of India, Article 368 is applicable and this legislative competence with Parliament is there for abrogating Article 370. Once it is done, all the problems of refugees will be resolved.

Thank you Sir very much for affording me an opportunity.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Thank you very much. I thank the Chair for giving me this wonderful opportunity.

Recently, I had occasion to visit Jammu and Kashmir and to tour the entire length and breadth of the State out of sheer interest to know the developmental activities and to study the sentiments of the people. In my opinion, the Jammu and Kashmir issue cannot be compared with any other issue for the simple reason that whenever we discuss or talk about Jammu and Kashmir the background of what happened at the time of partition has to be kept in mind. The people of Jammu and Kashmir, particularly of Kashmir believe that what has been promised at the time of partition has not been agreed to.Where the majority of the muslims are there, it should be given to Pakistan. Later, because India got into the 'catch-22' situation, we were not able to give it. There were also certain situations where that could be considered on the lines of Switzerland, where an independent state could be created which will act as a buffer state between Pakistan and India. But, instead of taking the sentiments of the people into consideration and the background, what has been promised at the time of the partition, we are going in one direction.

Maybe, India is helpless for the simple reason that Jammu and Kashmir is such a location where India cannot afford to leave it. That is a different issue. But there the majority of the people are muslims and what they want is the promise India has given to them at the time of partition should be respected.

We do not see any development there. On top of it, we have literally deployed Army there. As a result there is no freedom for any of the citizens there. I have gone as a tourist there. Every 10 feet there is one army soldier. So, we cannot freely move and cannot talk freely. Imagine the situation of the local people there. Therefore, it simply cannot be compared with any part of the country. While I agree with the Resolution there, the Kashmiri pandits who have suffered, resettlement is not a harmful thing. But if you consider the human resettlement there we are really adding fuel to the fire. They will not keep quiet and the situation will continue forever. Pakistan will not keep quiet. On top of it

we also know how much Indian land has been taken over.… (*Interruptions*) Kindly appreciate I am only telling the facts. I am not supporting anything here.… (*Interruptions*) You may be knowing it, but it does not mean that others do not know. Why do you rake up issues here?

HON. CHAIRPERSON : Please do not disturb him.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: Kindly have a little patience. What I am trying to say is that they are the citizens and they have certain fundamental rights. They have to live there happily.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please address the Chair.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI: So, the economic development is the best solution.… (*Interruptions*) Very prominent leaders, like Shri Farooq Abdullah has clearly mentioned that the PoK will stay with Pakistan. That means a dialogue is essential with the local people. In the morning it will be very peaceful and suddenly there will be a flare up. The local people have no peace there. Therefore, in my opinion resettlement is a small issue. Passing of a Resolution is not harmful at all but without taking the sentiments of the local people and what happened to the State in the past… (*Interruptions*)

AN. HON. MEMBER: What do you mean by the local people? Please define it.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI : You know it very well and I know it very well.… (*Interruptions*)

To have a permanent solution, dialogue is the best way and unless that is done the innocent lives will keep on going. Any amount of our talking outside the Kashmir will not find a solution in Kashmir. Only the people of Kashmir have to come to an understanding and a dialogue has to take place along with the development. The ethnic cleansing, and all that, is simply not possible there. What has been considered in Palestine or Israel cannot be done here for the simple reason that it only will aggravate the situation. Therefore, I am of the opinion that dialogue is the best solution. What has happened in the past also should be

considered. All the people should be taken to the dialogue table and give a resolution to that.

Thank you very much, Sir.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय निशिकांत दुबे जी द्वारा लाये संकल्प, जो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से संबंधित है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं इस संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सन् 1990 में चौबीस हजार से ज्यादा परिवार और चार लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए। फुटकर रूप में तो बहुत लोग मारे गये, लेकिन 2000 लोगों का तो सामूहिक नरसंहार हुआ था। आज वह पूरे देश में विभिन्न जगहों पर अमानवीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। पूर्व की सरकार ने इसकी कोई चिन्ता नहीं की, वह केवल घोषणाएँ करती रही। वे लोग टेन्टों में अमानवीय स्थिति में रहने को मजबूर हुए थे। मैं अपने केन्द्रीय सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही घोषणा की कि हम अटल जी के तीन मंत्रों पर चलकर कश्मीर का विकास करेंगे और कश्मीरी पंडितों की समस्या का हल करेंगे। माननीय अटल जी द्वारा दिये गये तीन मंत्र- कश्मीरियत, इंसानियत और ज़म्हूरियत के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर का विकास करने का संकल्प लिया है। उसी आधार पर हमारी सरकार ने आते ही कौशरनाग तीर्थस्थल, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, तमाम उग्रवादियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कौशरनाग तीर्थ यात्रा को शुरू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके बाद हमारी सरकार ने मकान बनाने के लिए राशि को बढ़ाकर बीस लाख रुपये करने का काम किया। सबको रहने के लिए घर उपलब्ध कराने और साथ ही तीन हजार से ज्यादा नौकरियाँ देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। दो हजार करोड़ रुपये केवल घर बनाने के लिए हमारी सरकार ने देने का काम किया है। विशेष तौर से जो पुरानी योजनाएँ फेल हुई थीं, उनको दुबारा चालू करने के लिए सरकार ने तीन प्रकार से प्रयास किये। पहले उनके सामुदायिक भवन का निर्माण हो, साथ ही उनके रहने के लिए आवास और उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जहाँ सबको पारिवारिक वातावरण मिले, ऐसी एक बस्ती बनाना चाहते हैं। लेकिन स्थानीय सरकार स्थानीय और राजनीतिक कारणों के कारण, न-नूकुर करने के बाद 50 पर्सेंट पर राजी हुईं। मैं कहता हूँ कि चलिए 50 पर्सेंट ही सही, कुछ और लोग रहेंगे, लेकिन 50 पर्सेंट कश्मीरी पंडित वहाँ रहेंगे। उसकी योजना बनाने का काम वहाँ शुरू हुआ और वहाँ पर वह योजना लागू हो रही है और घर बन रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि यदि कोई स्मार्ट सिटी बने, तो वह कश्मीरी पंडितों के लिए बने। आज आप इस सदन से सरकार को निर्देश देने का काम करें। जिन्होंने इतनी

यातनाएँ झेली हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाया है, इसलिए यदि देश में स्मार्ट सिटी बनायी जाए, तो वह सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के लिए बनानी चाहिए।

इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधीन लाकर कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का समाधान किया जाए और उनकी चिन्ता राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग करे। यदि जरूरत पड़े तो उनके लिए अलग से एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का काम करना चाहिए।

धारा 370 की चर्चा भी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि धारा 370 वहाँ से हटे क्योंकि वहाँ की समस्याओं का स्थायी समाधान धारा 370 का हटना ही है। इसके लिए हमारी सरकार को सार्थक पहल करनी चाहिए और उसके लिए माहौल बनाने का काम करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ, इस संकल्प का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। …(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री निशिकान्त दुबे जी द्वारा प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर रिज्योल्यूशन पर उनके वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कश्मीर से विस्थापन पर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण और विस्थापित परिवारों के कल्याण के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। उनके साथ अन्य तेरह माननीय सदस्यों श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री भर्तृहरि महताब, श्री हुक्मदेव नारायण यादव, प्रो. सौगत राय, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्रीमती अंजू बाला, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राजेश रंजन, श्री गोपाल शेट्टी, श्री पी.पी.चौधरी, श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली और श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने इस चर्चा में भाग लिया और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सदन में पेश किए हैं।

मैं इन सभी रचनात्मक सुझावों के लिए माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि श्री निशिकान्त दुबे एवं अन्य माननीय सदस्यों ने जो सुझाव सदन में दिए हैं, उन पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि कश्मीर से विस्थापित परिवारों का जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। माननीय गृहमंत्री जी द्वारा भी इस बारे में बजट पर बहस के दौरान सदन को अवगत कराया गया था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ भी आयोजित बैठकों में इस बारे में विस्तृत चर्चा की है। मैं जम्मू-कश्मीर से विस्थापितों की संख्या, उनके कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में कुछ बातें सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 1990 में जम्मू-कश्मीर राज्य में उग्रवाद की घटनाओं के कारण, अपने सुरक्षा के मद्देनजर काफी संख्या में कश्मीरी पंडित, सिख एवं कुछ मुस्लिम परिवार कश्मीर घाटी से जम्मू, दिल्ली एवं देश के अन्य भागों में शिफ्ट हो गए। आज विस्थापित कश्मीरी परिवारों की वर्तमान संख्या करीब 62,000 है, जिनमें से 40,660 से ज्यादा रजिस्टर्ड विस्थापित परिवार जम्मू में रह रहे हैं, करीब 19,000 परिवार दिल्ली में रहते हैं और बाकी परिवार अन्य राज्यों में बस गए हैं।

सरकार द्वारा रजिस्टर्ड विस्थापित परिवारों को शुरूआत से ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जम्मू में रह रहे पात्र 18,250 विस्थापित परिवारों को जो सहायता के रूप में 1650 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास मिलता था, 6600 रुपये प्रति परिवार प्रतिमास मिलता था, उसको हमारी सरकार ने 1650 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास और 6600 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति परिवार प्रतिमास कर दिया है। इसके साथ ही राशन के लिए प्रति व्यक्ति नौ किलोग्राम चावल, दो किलोग्राम आटा तथा प्रति परिवार एक किलोग्राम चीनी प्रतिमास दिया जाता है। केन्द्र सरकार राज्य को इस संबंध में प्रति वर्ष किए गए लगभग 137 करोड़ रुपये के खर्च को रिइम्बर्स करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बसे हुए पात्र 3385 परिवारों को भी उपरोक्त दर से सहायता दी जाती है। अन्य राज्य भी अपने बजट से विस्थापित परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं। सरकार ने इन राज्यों को भी उपरोक्त दर से सहायता प्रदान करने के लिए आग्रह किया है। सरकार द्वारा ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत विस्थापित परिवारों के पुनर्वास में सहायता के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री पैकेज, 2004 में जम्मू-कश्मीर के चार स्थानों पर 5242 दो कमरे वाले आवासों का निर्माण किया है, जिनका आबंटन इन परिवारों को किया गया है जो अलग-अलग जगहों पर रह रहे थे। इसके अलावा बड़गाम जिले के शेखपुरा में 200 फ्लैट बनाकर शेयरिंग बेसिस पर आबंटित किया गया है। इनमें से कुछ फ्लैट उन विस्थापितों को आबंटित किए गए हैं जो प्रधानमंत्री पैकेज, 2008 के तहत नौकरी लेकर कश्मीर में वापस आए हैं। इनमें से 31 फ्लैट्स सार्वजनिक रूप से विस्थापित परिवारों को भी उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों की वापसी और पुनर्वास के लिए वर्ष 2008 में 1618 करोड़ रुपए के एक काम्प्रीहेंसिव पैकेज का भी प्रावधान किया था। उसके तहत कुल 1967 विस्थापित युवकों को सरकारी नौकरी दी गई है, जिसमें 1500 युवकों ने सरकारी नौकरी जॉइन कर ली है। इस पैकेज के तहत घर बनाने के लिए साढ़े सात लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त 469 ट्रांजिट आवासों का भी निर्माण किया गया है। इसी पैकेज के अंतर्गत घर खरीदने, मरम्मत कराने और नया घर बनाने के लिए भी राशि द्वारा सहायता की जाती है। ट्रांजिट आवासों का निर्माण, नकद राहत जारी रखना, छात्रों को छात्रवृत्ति, रोजगार और स्वरोजगार के लिए सहायता देना, कृषि एवम् बागवानी के लिए भी सहायता और ऋण माफी शामिल है।

इसके अतिरिक्त मैं सदन को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हाल ही में नवम्बर 2015 को इस बारे में 2,000 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त पैकेज भी मंजूर किया है, जिसमें 3,000 सरकारी नौकरियों का प्रावधान करना और नौकरी पाने ऐसे कर्मचारियों के लिए लगभग 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन का निर्माण करने की बात भी है। कश्मीरी परिवारों की वापसी के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए प्रधान मंत्री पैकेज योजना अमल में है। समय-समय पर इसकी सघन समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके अमल के सम्बन्ध में रिव्यू के समय आने वाली अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयत्नों के लिए सरकार इसकी सतत् समीक्षा करती है और विस्थापित परिवारों के कल्याण और उनकी कश्मीर वापसी के लिए कार्यरत है।

इस विषय में मैं माननीय सदस्यों के सुझावों का हमेशा स्वागत करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और कल्याण के लिए सरकार व्यापक और प्रभावी नीति के तहत कार्यवाही कर रही है। जिन 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने सुझाव दिए हैं, उन सभी सुझावों पर हम अच्छी तरह

से गृह मंत्रालय में विचार करेंगे। हम इस रिजोल्यूशन का पूरा सपोर्ट करते हैं और इस सम्बन्ध में जितने भी कदम उठाने होंगे, हम उठाएंगे और आप सभी ने जो सुझाव दिए हैं, उन्हें लेकर सरकार आगे बढ़ेगी।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : सभापति जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यहां से खड़े होकर मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा। मैं निशिकांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे सम-सामयिक विषय को चर्चा के लिए यहां रखा। ऐसे विषय जो देश के लिए राष्ट्रीय शर्म के विषय हैं। दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है, जहां गृह युद्ध की स्थिति नहीं होते हुए भी देश के नागरिक शरणार्णी कैम्प में रह रहे हैं। सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मंत्री जी ने इस संकल्प का समर्थन किया और इस संकल्प से अपनी समप्रासंगिकता को जाहिर किया। मैं मंत्री जी के जवाब के अनुक्रम में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुझे सौभाग्य से देश के सभी थल बॉर्डर्स पर काम करने का मौका मिला है। देश के इतिहास का यदि अध्ययन किया जाए तो देश के सीमावर्ती क्षेत्र में जिस-जिस जगह एक मजहब विशेष के लोगों की संख्या या अनुपात बढ़ा है, वह-वह हिस्सा देश से अलग होता आया है। इस चर्चा के दौरान भी कई सदस्यों ने ऐसी बात कही। कई सदस्यों ने इत्तिफाक भी जाहिर किया कि फेंडामेंटलिज्म प्रायोजित तरीके से ग्रो किया गया कश्मीर में, 1990 में जो इम्पैक्ट दिखाई दिया, वह 1960 और उससे पहले यह फेंडामेंटलिज्म ग्रो किया गया था। क्या देश के अन्य हिस्सों में इस तरह का फेंडामेंटलिज्म ग्रो किया गया है?

मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, वहां भी लगातार एक क्षेत्र विशेष से लोग आकर चाहे कश्मीर हो, चाहे देवबंद हो या बरेली से हों, वहां पर सम्प्रदाय विशेष के लोग आकर पिछले 20 सालों से फेंडामेंटलिज्म ग्रो कर रहे हैं। इस दौरान वहां जिस तरीके से फेंडामेंटलिज्म बढ़ा है या जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात बांग्लादेश या अन्य जगह से आने वाले घुसपैठियों से बढ़ा है, उस दिशा में सरकार की क्या सोच है, सरकार की क्या मंशा है? इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हुए यदि मंत्री जी इस पर भी अपना पक्ष रखेंगे तो उचित होगा।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे सहयोगी साथी आदरणीय निशिकांत दूबे जी द्वारा लाए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी संविधान के अनुच्छेद 35ए को रिमूव करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव लाने वाले हैं? यदि ला रहे है तो कब तक?

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ क्लैरीफिकेशन पूछने से पूर्व श्री निशिकांत दूबे जी को, जो यह संकल्प लेकर आए हैं, बहुत धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ जो संशोधन आदरणीय भर्तृहरि महताब जी लाए हैं, उस का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह

जानना चाहूंगा कि देश के पार्टिशन के बाद से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत को अपनी भूमि समझने वाली बहुत सारी आबादी पाकिस्तान से भारत में आयी, लेकिन वे आज तक नागरिकता के संकट से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से आज भी आते हैं, उनके बारे में हमारे मंत्रालय और सरकार का क्या दृष्टिकोण है? दूसरा, जब हम जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों को बसाने की बात कर रहे हैं तो वहां के गुर्जर आदि लोगों को संसद के इलेक्शन में वोटिंग का राइट है, लेकिन विधान सभा के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार नहीं मिलता है। इन लोगों को वोट देने का अधिकार क्या सरकार देगी या नहीं? पैकेज में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। जिस साढ़े सात लाख हाउसिंग की बात कर रहे हैं, वह हाउसिंग सात लाख में आज की डेट में संभव नहीं है। तीसरा, नियोजन का जहां तक मामला है, वह कितना हुआ है, वह भी बताएं।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में जो ग्रांट दी जाती है, पाकिस्तान से जो शरणार्थी हिन्दुस्तान में आए हैं, उनको ग्रांट देकर, उन विस्थापितों को कहीं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार ला रही है या नहीं?

श्री हरिभाई चौधरी : महोदय, सम्मानित सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं, लेकिन आज का विषय 'कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाने' से संबंधित है। माननीय सदस्य ने 35ए के बारे में कहा है, उस बारे में मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा। गृह मंत्रालय और भारत सरकार का यह निश्चय है कि विस्थापितों के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए, वह उठाएगी। माननीय सदस्यों के जिन सवालों के उत्तर रह गए हैं, वह मैं उनको भेज दूंगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): भर्तृहरि महताब जी जो संशोधन लेकर आए हैं, क्या आप उसको स्वीकार कर रहे हैं?

श्री हरिभाई चौधरी : उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अप-टू वर्ष 1947, यह कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है, पार्टिशन के समय जितने लोग आए हैं, उन सब के लिए।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी का और उनकी सरकार का आभारी हूं कि जब से यह जनसंघ बना, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, जब से हमारी आइडियोलॉजी बनी है और हमारी पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस बात को कहा था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और विधान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। उस आइडियोलॉजी से आज भी हमारी पार्टी जुड़ी हुई है। मैं विशेष तौर पर धन्यवाद यह है कि हमारे द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर हमारे बड़े भाई, सहयोगी सांसद माननीय श्री भर्तृहरि महताब के अमेंडमेंट को सरकार ने माना है। इसके लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं। अपनी आइडियोलॉजी की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, देश की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

इस चर्चा में काफी लोग हिस्सा लेना चाहते थे और मैं बड़ी गौर से सभी को सुन रहा था। जितने लोगों ने चर्चा में भाग लिया, वे सभी मुझसे ज्यादा जानकार हैं। उनको इस देश के बारे में ज्यादा जानकारी है। इस पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी के बारे में उनका ज्यादा अनुभव है। मैं इससे आत्मविभोर हूँ क्योंकि चर्चा की शुरूआत मैंने की, उसके बाद प्रहलाद सिंह पटेल साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब, बड़े भाई भृतहरि महताब साहब, हुक्मदेव नारायण साहब, सौगत राय साहब, जिन्होंने कि एक अलग डायमेंशन दिया, सत्यपाल सिंह जी, अंजु बाला जी, जगदंबिका पाल जी, राजेश रंजन जी, गोपाल शेट्टी जी, पी.पी. चौधरी जी, वाराप्रसाद राव, भैरो प्रसाद मिश्रा जी और फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, शरद त्रिपाठी जी, सुनिल कुमार सिंह जी और रमेश बिधुड़ी जी, इन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन सभी ने इस चर्चा में भाग लिया। लेकिन इस रेज़ोल्युशन को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? मैं जब पिछली बार बोल रहा था, तो सौगत बाबू ने कहा कि बढ़ते रहिए-बढ़ते रहिए और मैं सन् 1990 में आ कर अटक गया था। आज जब चर्चा चल रही थी तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, उसके पॉइंट तक जाना चाहिए। ये हिंदु, मुस्लिम, सिख और ईसाई का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह प्राब्लम क्यों है। लगातार इस पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, देश-दुनिया में लगातार यह चर्चा होती रहती है। एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडोलॉजी, आप समझिए कि जनसंघ के हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी जम्मू-कश्मीर के कारण कुर्बानी दे दी और जो सन् 1947 से यह प्रॉब्लम चल रही है। आज भी आजादी के 69 साल के बाद यह नासूर बना हुआ है। यही कारण है कि हमारे एन.एस.ए. कहीं मिलते हैं, हमारे प्रधान मंत्री कहीं मिलते हैं, हमारे विदेश मंत्री कहीं से मिल कर आते हैं तो एक सवाल होता है कि हम आखिर किस आधार पर बात कर रहे हैं। हमेशा बात यह होती है कि जम्मू-कश्मीर एक ऐसी जगह है कि जहां कोई नेगोशिएसन नहीं हो सकता है। मैं केवल दो-तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इसके प्रॉब्लम में है क्या, क्या फाइनली हुआ था

और आज इस देश की क्या स्थिति है। यह 06 दिसंबर, सन् 1945 में हुआ था। जिन्ना साहब का यह स्टेटमेंट है, जो कि 06 दिसंबर, सन् 1945 का है। कश्मीर के प्रॉब्लम में ये चीज़ें, टू नेशन थ्योरी कैसे आगे बढ़ी, उसमें यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने क्या कहा था : -

> "I wish His Majesty's Government, who by now ought to be in full possession of the facts regarding the quintessence of the Indian problem, would apply their mind to the real issue. Sir Stafford Cripps made it clear in his statement after the breakdown of the Simla Conference on July 15th 1945, when he said there will be no agreement possible till the Pakistan issue is solved…"

यह 06 दिसंबर, सन् 1945 का है और आज भी जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिन लोगों ने टू नेशन थ्योरी किया, आज भी वे कहते हैं कि कश्मीर इंटिग्रल प्रॉब्लम है, कश्मीर के बारे मे यदि बात नहीं करोगे तो कोई बात नहीं होगी और हमारे देश के जो सो कॉल्ड सैक्युलरिस्ट हैं, वे हमेशा कहते हैं कि नहीं ये बाते होनी चाहिए। एक स्टेट के पूर्व मुख्य मंत्री जो यहां कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जिसके बारे में माननीय महताब साहब ने जिक्र किया, वे कहते हैं कि तुम आधा ले जाओ-आधा ले जाओ, जैसे लगता है कि कोई घर का बंटवारा कर रहे हैं, दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है। यह जो मानसिकता है, दूसरा जो नैशन कॉन्फ्रेंस बना, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। यह स्टेटमेंट शेख अब्दुल्लाह साहब का 23 मार्च, 1938 का है। वे यह कहते हैं कि:-

> "Muslims of India cannot accept any Constitution which must necessarily result in a Hindu Majority Government. Hindus and Muslims brought together under a democratic System forced upon the Minorities can only mean Hindu Raj. Democracy of the kind with which the Congress High Command is enamoured would mean the complete destruction of what is most precious in Islam. We have had ample experiences of the working of the Provincial Constitutions during the last two and a half years and any repetition of such a Government must lead to civil war and raising of private armies as recommended by Mr. Gandhi to Hindus of Sukhur when he said that they must defend themselves violently or non-violently, blow for blow, and if they could not, they must emigrate."

यह 1938 का शेख अब्दुल्ला साहब का मुस्लिम कान्फ्रेंस में स्टेटमेंट है। मुस्लिम कान्फ्रेंस बाद में नेशनल कान्फ्रेंस बना।

श्री भर्तृहरि महताब : इसके बाद वर्ष 1948 में उन्होंने अपना बयान बदला।

श्री निशिकान्त दुबे : मैं यह कह रहा हूं कि आज जो इस देश की स्थिति है, वह इसी में निहित है। वह क्या कह रहा है? आज जो इस देश की स्थिति है कि चोला बदल लेने से आदमी नहीं बदलता। मैं केवल इस देश को यह कहना चाहता हूं कि चोला बदलने से आदमी की मानसिकता नहीं बदल जाती है। जो उन्होंने 6 मार्च, 1938 को वक्तव्य दिया, आज कश्मीर की क्या स्थिति है, यदि इस पूरे को इलैबोरेट करेंगे तो यह पता चलेगा। आज क्या है? उन्होंने कहा कि दे मस्ट इमीग्रेट, उनका स्टेटमेंट है कि दे मस्ट इमीग्रेट और मैंने अपनी पिछली तकरीर में बोलते हुए यह कहा कि वर्ष 1982-83 में जब फारूख अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, वहां के गांवों का नाम बदलने का प्रयास किया। सारे हिन्दू के नाम के जो गांव थे, वे मुस्लिम के नाम पर हो गए। आज जो टॉलरेंस पर इतनी बड़ी बात हो रही है, उस वक्त किसी आदमी ने कुछ नहीं कहा। आज ही दैनिक जागरण में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल तारीख फतह साहब ने लिखा है। तारीख फतह साहब पाकिस्तानी मूल के कनाडाई समाज चिंतक हैं। मैं यह कह रहा हूं कि किस तरह मानसिकता नहीं बदली है। उन्होंने लिखा कि यदि हम भारत की बात करें तो सवाल है कि असहिष्णुता पर बात करने वाले लोग तब कहां थे, जब कश्मीर से कुछ हिंदू पंडितों को बेघर कर दिया गया था। वे अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। मुट्ठी भर पाकिस्तानी कश्मीर में खुला ताण्डव कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। यह असहिष्णुता किसी को क्यों नहीं दिखती है। जब मैं सच बोलता हूं तो मैं दक्षिणपंथी कहा जाता हूं। मैं एक बात और कहूंगा, जो मुझे बहुत खराब लगती है। भला मुस्लिम धार्मिक स्थलों में महिलायें क्यों नहीं जा सकती हैं? जब यह आपके देश में हो रहा है तो इसका विरोध क्यों नहीं होता है? मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता है, तो उसके बोर्ड पर काला पेंट कोई मुसलमान क्यों नहीं लगाता, क्यों कोई मुसलमान अपने बच्चे का नाम दाराशिकोह नहीं रखता है? हम मुसलमानों को अपने घर में भी साफ करना चाहिए, मुसलमानों के लिए फैशन हो गया है कि वे खुद को मुसलमान होने के लिए अमेरिका को गाली दें। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुस्लिम कह रहे हैं और क्या स्थिति है, पाकिस्तानी मूल का आदमी कह रहा है, जो कनाडा में है, वह इन बातों को कह रहा हैं। आप कह रहे थे कि 1948 में उन्होंने कुछ कहा। इंदिरा-शेख पैक्ट 1975 में हुआ। यह पैक्ट क्या कहता है? इंदिरा-शेख पैक्ट कहता है कि:

"Jammu and Kashmir, which is a constituent unit of the Union of India, shall in its relations with the Union continue to be governed by Article 370 of the Indian Constitution."

जिसके बारे में पी.पी. चौधरी साहब ने, शरद त्रिपाठी साहब ने कहा। काफी अभी चर्चा हो रही है कि 370 किस तरह का टेंपरोरी था, 35 (ए) के कारण क्या हुआ है? मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का आपको लेटेस्ट बताता हूं, आप कहते हैं कि ये चीजें लागू नहीं होती हैं या ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसा सौगत बाबू भी कह रहे थे कि 370 नहीं खत्म होना चाहिए। 370 के कारण क्या परेशानी है? मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बताता हूं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो केस चल रहे हैं। आप देखिए कि क्या स्थिति है?

I would like to quote case no. 490/9/97-98. It says:

"The Commission received a complaint from Kashmiri Samiti about gruesome killing of 23 members of Kashmiri Pandit community in village Vandhama, Ganderbal, Kashmir on 26-01-1998. It was also alleged that members of Kashmiri Pandit community were suffering from continuous harassment and cruelty and insensitivity of the State Government to the severity scale, ….

The Commission vide its proceedings dated 12-05-1999 constituted a Committee to look into all aspects of the problems of the displaced Kashmiri Pandits and to explore avenues for certain satisfactory solutions to their problems. During the course of consideration of the case till 2007, the Commission considered the remedial steps taken by the State Government for provision of facilities to the families in the relief camps. Vide Proceedings dated 02-04-2008 …"

यह वर्ष 1997-98 का केस है, यह एन.एच.आर.सी. में लगातार चल रहा है।

18.00 hours

It further says:

"Vide proceedings dated 02/04/2008, the Relief Commission was directed to inform about the number of criminal cases registered in regard to the terrorist violent besides information on authentication of records of inventory of Kashmiri migrants prepared by different Deputy Commissioners and the policy of creating employment opportunity for the migrant Kashmiri youth…"

HON. CHAIRPESON : Nishikantji, one minute.

Hon. Members, it is already 6 o'clock. If the House agrees, the time of the House may be extended by 10 minutes.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPESON: So, the time of the House is extended by 10 minutes.

Nishikantji, you may continue. But be very brief.

… (*Interruptions*)

SHRI NISHIKANT DUBEY : Sir, it further says:

> "Since January, 2010, the Commission has been monitoring the process of filling up of the 3000 posts which were financed by the Central Government. The process has not yet been completed."

यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है। एक तो वह कह रहा है कि तुमने किसी पर एफ.आई.आर. किया या नहीं,

HON. CHAIRPERSON: Nishikantji, please be brief because we have extended the time of the House by only 10 minutes.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं दस मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। ...(व्यवधान)

It further says:

> "The Government of J&K has submitted status reports mentioning the progress made for appointments against the 3000 posts financed by the Central Government. As per the last report submitted, a total of 2491 selection has been made against the 3000 posts for selection against the other sect of 3000 employment opportunities which were to be provided by them."

और आज भी उनकी हालत वही की वही है।

दूसरा एक टी.एन.कौल की रिपोर्ट है एन.एच.आर.सी. की और 2005-06 से यह केस चल रहा है।

It says:

> "Vide its proceedings dated 10/04/2012, the Commission considered the matter and while observing that the complaint was extremely weak, unable to walk. The status report on treatment provided to the complainant and reimbursement to his medical bills, if any, is still awaited from the State Government. "

इसी प्रकार से शिव कुमार भट्ट के मामले में है। मैं यह कह रहा हूँ कि यदि इस देश में इस तरह के नियम कानून आप चलाते जाएँगे तो हालत फाइनली उसी तरह से होगी।

अंत में मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक मिथ बनाया जाता है कि कश्मीरी पंडितों के बारे में ऐसा क्यों हुआ, कश्मीरी पंडितों के बारे में वहाँ का समाज क्यों खराब है। इसमें पहला मिथ यह है कि Kashmiri pandits were big landlords. यह किताब है हमारे पास, यह कहती है कि कश्मीरी पंडित कोई लैंडलॉर्ड नहीं हैं। 99 परसेंट सेब की खेती मुसलमानों के पास है।

It says that Kashmiri pandits are victims of wide economic disparity that exists between the valley and the rest of the country.'
यह भी एज़म्पशन गलत है जितने लोगों ने तकरीर की।

It further says that Kashmiris feel that their distinct Kashmiri Muslim identity is under threat from Hindu India.

आप यह समझिए कि यह कैसे हो सकता है। जैसे शिया की बात है, सुन्नी की बात है। शिया और सुन्नी सैक्ट को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से जबकि मैंने पिछली बार बात करते हुए कहा कि एम.जे.अकबर की जो किताब है, वह यह कहती है कि कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहाँ तीन बार कनवर्शन हुआ। और नहीं तो शेख अब्दुल्ला साहब की फैमिली के बारे में है कि उनके दादाजी खुद ही कश्मीरी पंडित थे और आज तक उस किताब को किसी ने डिसप्यूट नहीं किया। तो जब आप एक ही डी.एन.ए. के आदमी हैं, जब एक ही धर्म से आप निकले हैं, जब आप कनवर्शन से हुए हैं, सातवीं शताब्दी से पहले यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, सातवीं शताब्दी के पहले इस्लाम नाम की कोई संस्था नहीं थी, तो आप यह समझिए कि आपकी स्थितियाँ किस तरह से इसके प्रतिकूल होंगी?

उसी तरह से जो दूसरा मिथ हमेशा नज़र आता है कि एक्सोडस के बाद क्या हुआ। मैं अंत में कनक्लूड करूँगा, ग्रीनफील्ड ब्रदर्स की एक बहुत बढ़िया पोइट्री है।

"Green fields are gone now, parched by the Sun;
Gone from the valleys where rivers used to run;
Gone with the cold wind that swept into my heart;
Gone with the lovers, who left their dreams depart."

मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि कश्मीरी पंडित बड़ी बुरी स्थिति में हैं। जितनी हत्याओं के बारे में भर्तृहरि महताब साहब ने कहा, यदि समय ज्यादा होता तो मैं आपको बताता कि किस तरह से नन्दीग्राम में लोग मरे, किस तरह से गंदरबल में लोग मारे गए, किस तरह से वाडलू का मैसाकर हुआ। क्योंकि मैं

एक ऐसा आदमी हूँ कि 1999 से कोई ऐसा साल नहीं है जब मैं तीन-चार बार कश्मीर नहीं जाता हूँ। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि अपने एम.पी. बनने के पहले 2008 दिसम्बर में मैंने बीपीओ खोला। वहाँ के कश्मीरी लड़कों को मैंने नौकरी देने का प्रबंध किया और इसके बावजूद भी मैं यह समझता हूँ कि हिन्दू और मुस्लिम के नाम पर वहाँ डिसक्रिमिनेशन है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों को, और 1947 के बाद जो रिफ्यूजी माइग्रैन्ट आए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है।

महोदय, मैं इस सदन का, इस सरकार का और खासकर माननीय प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का शुक्रगुज़ार हूँ कि सरकार ने इस रिजॉल्यूशन को एडाप्ट करने का फैसला किया है। यह रिजॉल्यूशन केवल रिजॉल्यूशन न रह जाए क्योंकि 1994 में भी यह रिजॉल्यूशन आया था। 2001 में भी मदन लाल खुराना साहब ने कहा था, जिस तरह सौगत बाबू ने आज बात कही कि वे रिफ्यूजी हैं, उसी तरह मदन लाल खुराना साहब ने कहा था कि मैं रिफ्यूजी हूं और 1990 के बाद से भी रिफ्यूजियों की हालत वही है, जो कैम्पों में लोग पड़े हैं। उनका विकास हो, उनको आगे बढ़ाया जाये, उनका विकास किया जाये और मेहताब साहब ने जो कहा, जो अपनी बातें कहीं कि हमेशा इस देश में ऐसा होता आया है कि हिन्दू अलग रहते हैं, मुस्लिम अलग रहते हैं, अलग-अलग जातियों के लोग अलग रहते हैं, इसीलिए यदि सरकार सीरियस है तो सैपरेट कालोनी बनाकर कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडितों की वापसी की जाये, उनको एक सम्मान दिया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द, जय-भारत।

HON. CHAIRPERSON : Now, I shall put the amendment moved by Shri Bhartruhari Mahtab.

The question is:

"That in the resolution, -

add at the end-

"and also to take steps to settle the refugees who migrated to India at the time of partition in 1947 in the Kashmir Valley and are now living in different parts of the country.""

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: Now, I will put the motion for adoption of Resolution.

The question is:

"This House urges upon the Government to take immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition."

The motion was adopted.

18.06 hours

(ii)Steps to ensure welfare of employees provident fund pensioners

HON. CHAIRPERSON: The House shall take up item No. 22.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

"This House urges upon the Government to take immediate steps to-

(i) restore the benefits of commutation and return of capital to the Employees Provident Fund pensioners;

(ii) provide pension to the beneficiaries of Employees Provident Fund pension on the basis of average salary of twelve months immediately preceding retirement;

(iii) ensure payment of full pension to pensioners as per the Employees' Pension Scheme, 1995 after realisation of full amount of commuted pension from pensioners;

(iv) increase minimum pension to rupees three thousand per month under the Employees' Pension Scheme, 1995;

(v) implement welfare schemes for pensioners including housing scheme by utilising the unclaimed provident fund amounting to about rupees twenty seven thousand crore;

(vi) revise the whole Employees Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience; and

(vii) extend Employees Pension Scheme, 1995 to various other sectors ."

Sir, this is the Resolution which I would like to move. This is a very important Resolution. I hope that the whole House will accept this Resolution because lakhs and lakhs of employees are coming under the Employees Provident Fund Pension Scheme. They are suffering like anything because the pension amount which is being received by the poor workers after their retirement is

meagre, negligible amount which is being given as the pension. This has been implemented from the year 1995. Twenty years have elapsed. Even after the elapse of two decades, the experience shows that from 2014 onwards, the minimum pension has been given as Rs. 10,00 and that itself is not sufficient to meet the ends of their livelihood. So, my submission is that all these issues which I have enunciated in the Resolution are the need of the hour. Also, in 1971, the Family Pension Scheme was brought. Forty five years have elapsed. The contribution of the Government of India is still 1.16 per cent of the wages. So, my submission is that this Resolution may be accepted unanimously. I hope that the hon. Minister will also take serious concern and serious positive response will come from the part of the Government also. In order to elucidate the details, I want more time.

HON. CHAIRPERSON: You can continue next time.

The House stands adjourned to meet again on 14^{th} December, 2015.

18.10 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 14, 2015/Agrahayana 23, 1937(Saka).